राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का द्वितीय दिवस [संख्या २

गुरुवार, दिनांक २८ फरवरी १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(देवस्थान, योजना, सहकारी-शिक्षा, खनिज, पंचायत, विकास, कर, राजस्व, अकाल सहायता विक्रय कर, सामान्य प्रशासन, वित्त, एवं सामुदायिक विकास-विभाग)

श्री जगदीशजी का ध्वज, अलवर

३४. १. श्री रामकिशन (वैर) एवं **२. श्री सतीशकुमार शर्मा** (बानसूर) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सुभाष चौक, अलवर में स्थित श्री जगदीशजी के मन्दिर पर कौनसा झण्डा लगता है तथा मेले की सवारी में सन् १९५९ तक कौनसा झण्डा लगता था ?

(२) क्या यह सत्य है कि तारीख ३ जुलाई, १९६० को जगदीशजी की सवारी के उत्सव में धार्मिक झण्डे के बदले कांग्रेसी झण्डा लगाया गया था ? यदि हां, तो पचरंगे की जगह तिरंगा किसने और किसकी आज्ञा से लगाया ?

(३) क्या इस संबंध में जनता की ओर से कोई विरोध-पत्र मेला कमेटी के पास भेजा गया था जिसमें जगदीशजी की सवारी के समय धार्मिक झण्डे की जगह कांग्रेस पार्टी का झण्डा न लगाने की मांग की गई थी ?

(४) क्या यह सत्य है कि जनता के विरोध के बावजूद भी सवारी की वापसी पर धार्मिक झण्डे की जगह कांग्रेस झंण्डा पुलिस के संरक्षण में लगाया गया तथा विरोध करने वाले एक जिम्मेवार नागरिक को एस. डी. एम. अलवर ने गिरफ्तार करवाया ?

(५) क्या यह सत्य है कि इस नागरिक की जमानत की दर्ख्वास्त पेश होने पर भी खिलाफ कानून ७ दिन तक जेल में इसलिये रखा गया कि जनता में आतंक बना रहे और सवारी की वापसी के समय भी कांग्रेसी झंडा लगाया जाय ?

(श्री रामकिशन)

(६) क्या यह सही है कि उक्त नागरिक को इस संबंध में बेगुनाह मान कर अदालत ने बरी कर दिया ?

(७) क्या सरकार इस कार्यवाही को धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सुभाष चौक, अलवर स्थित श्री जगदीशजी के मंदिर में इस समय पचरंगा झण्डा लगा हुआ है। सन् १९५९ में कौनसा झंण्डा लगता था, इस बारे में देवस्थान विभाग अलवर के कथनानुसार वहां सदैव से पचरंगा झण्डा लगता रहा है ?

(२) यह सही नहीं है कि जुलूस में धार्मिक झण्डे के स्थान पर तिरंगा झण्डा लगाया गया। तिरंगा झंण्डा जो कि जुलूस में श्री बनेसिह नामक व्यक्ति के हाथ में जरूर था वह धार्मिक (पचरंगे) के अलावा था। पचरंगा झण्डा भी सवारी (जुलूस) के आगे अश्वारोही के हाथ में था। तिरंगे झण्डे को जुलूस में क्यों लगाया गया, इस बारे में मेला कमेटी के व्यवस्थापक ही उत्तर दे सकते हैं।

(३) जनता की ओर से मेला कमेटी को कोई विरोध-पत्र भेजा गया या नहीं, इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

(४) जी नहीं। पुलिस के संरक्षण में धार्मिक ध्वज के बदले कोई ध्वज नहीं लगाया गया। इस झण्डे के विषय में श्री रामलाल बारेठ को मेले के उत्सव में धारा १५१ सी आर. पी. सी. के अन्तर्गत पुलिस अलवर ने तारीख ३०-७-६० को गिरफ्तार किया था क्योंकि उसने झण्डे को फाड़ कर शांति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न कर दी थी।

(५) यह सत्य नहीं है कि जो रामलाल को ७ दिन तक जेल में इसलिये रक्खा गया कि जनता में आतंक बना रहे और सवारी की वापसी के समय भी कांग्रेसी झण्डा लगाया जाय। वाकयात इस तरीके पर हैं कि तारीख ४-७-६० को श्री रामलाल बारेठ को जमानत व मुचलके पर छोड़े जाने का हुक्म दिया गया था किन्तु उसके जमानत मुचलके तस्दीक के बाद तारीख १३-७-६० को पेश हुए, उसी दिन छोडे जाने का हुक्म दिया गया तथा ता० १०-७-६० को वह धारा १०७ सी आर. पी. सी. के अन्तर्गत रिहा कर दिया गया।

(६) पुलिस ने श्री रामलाल बारेठ के विरूद्ध १०७ सी आर. पी. सी. व धारा १५१ सी आर. पी. सी. के अधीन गोश्वारा पेश किया गया था किन्तु नुक्से अमन की संभावना समाप्त हो जाने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

(७) धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं, अपितु शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लक्ष्य से ही इस प्रकार की कार्यवाही की गई। ऐसी सूरत में इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री सतीशकुमार शर्मा : क्या इससे पहले भी कभी तिरंगा झण्डा लगाया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले कभी लगाया गया या नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन : आपने बताया कि कांग्रेस का झण्डा मेला कमेटी की इजाजत से लगाया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह नहीं कहा।

श्री रामकिशन : आपने कहा कि कमेटी ने इजाजत दी थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है कि पहले भी लगाया गया या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार ने जब रामलाल को धारा १०७ १५१ सी आर.पी.सी. के अन्तर्गत गिरफ्तार कियां तो क्या जिन लोगों ने कांग्रेस का झण्डा लगाया उन्होंने वहां पर नुक्से अमन पैदा नहीं किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस घटना से यह संबंध रखता है, पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से कानून के अन्तर्गत उसको गिरफ्तार किया।

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या यह सही है कि उसके प्रोसीक्यूशन के लिये ३४२ धारा के अन्तर्गत इजाजत मांगी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या मेला समिति ऐसे झण्डे लगवा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेला समिति नॉन ओफिशियल बोडी है, उसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं। जलसे में कोई झण्डा लेकर जावे या नहीं, सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह : मेला समिति किसी को इजाजत दे सकती है ?

श्री अध्यक्ष : मेला कमेटी का निर्माण किस तरह से होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नॉन ओफिशियल बोडी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राज्य सम्पत्ति में वृद्धि

३५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में राज्य की कुल राज्य सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है ?

(२) औद्योगिक, कृषि, सार्वजनिक निर्माण व पशुपालन के क्षेत्रों में इस वृद्धि की राशि अलग अलग क्या है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजना-काल में राज्य संपत्ति (Government Capital assets) की वृद्धि निम्न प्रकार से हुई है :—

प्रथम योजना काल रु० ३७.१२ करोड़

द्वितीय योजना काल रु० ७५.८९ करोड़

	प्रथम योजना काल (करोड़ में)	द्वितीय योजना काल (करोड़ में)
(२) औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत :	०.५०	१.३३
कृषि सुधार व अन्वेषण पर	..	०.२८

Page No 4

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भवनों पर व्यय के अतिरिक्त :

	प्रथम योजना काल (करोड़ में)	द्वितीय योजना काल (करोड़ में)
(क) सार्वजनिक निर्माण कार्य :	४.६९	२०.९९
(ख) सिंचाई कार्य	२७.१७	४५.७८

अभी तक पशु पालन क्षेत्र में पूंजी व्यय कोई नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में भवन इत्यादि का व्यय उपर्युक्त सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने यह केल्कुलेशन किस आधार पर किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो खर्चा हुआ उस आधार पर किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न खर्चे का नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में राज्य की कुल राज्य सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है ? आपने जो खर्च किया उससे कैपीटल एसेटस् एग्ज़िस्टिंग कितने हैं। जो आपने खर्चा किया उससे संबंध नहीं है। इसका संबंध जो आपके परमानेन्ट एसेट्स प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैं, उससे है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : योजना में कुल खर्चे का जिक्र नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है कि आपने यह किस आधार पर केल्कुलेशन किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इरिगेशन की योजना है, उस पर जो खर्चा होगा उसकी वैल्यू लेकर चलते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें आपके एस्टेब्लिशमैन्ट के लोगों की तनख्वाह भी शामिल है और जो आपने अपने मजदूरों को पेमेन्ट कर दिये वे परमानेन्ट वेल्यू में नहीं आ सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्रोजेक्ट में खर्चा होता है और जो नियमानुसार एसेट्स में आते हैं उसका जिक्र करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे स्टेटमेन्ट की कॉपी नहीं मिली है, वह मुझे दे दी जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

मार्केटिंग सोसाइटी पदमपुर के तोल

३६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि मार्केटिंग सोसाइटी, पदमपुर किसानों से मन पर एक पाव ज्यादा तोलती है अर्थात् एक मन तोलने के लिए सवा चालीस सेर तोला जाता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सवा चालीस तोले जाने के बाद भी गेहूं चने पर एक पाव सरसों, कपास व गुड़ पर किसान से आधा सेर प्रति मन काट लेती है ?

(ग) ऐसी दशा में सहकारी समिति बनाने से किसानों को क्या लाभ हो रहा है ?

उप मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां, ।

(ख) जी हां, परन्तु गेहूं, चने, सरसों, और गुड़ पर एक पाव प्रति मन और कपास पर आधा सेर प्रति मन।

Page No 5

(श्री भीमसिंह)

(ग) इस समिति द्वारा माल बेचने पर किसानों को २ रु० १३ आना प्रतिशत सीधा लाभ पहुंचता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब किसानों को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री भीमसिंह : उनको नुकसान नहीं, लाभ पहुंचता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब माल उनका ज्यादा तुलता है तब उसको कैसे लाभ होगा? माल उससे ज्यादा ले लेंगे और फिर आप कहते हैं कि उसको लाभ पहुंचेगा, यह कैसे हो सकता है?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि मन्डी में इस प्रकार की परम्परा है और ऐसा ही रिवाज है, उसके अनुसार यह होता है और इसके अलावा २ रु० १३ आने . . .

श्री बलपतसिंह (आबू): उनसे ज्यादा ले लिया जाता है, वह कौनसी परम्परा है जिसके अनुसार लिया जाता है।

श्री भीमसिंह : वजन तो मैंने बताया वह सेपरेट है और यह दो रुपये १३ आने अलग है।

A buyer shall make payment of the price for the goods bought from the society according to the mode of payment prevailing in the market according to usage or law.

इस हिसाब से सोसाइटी के सदस्यों से दीगर काश्तकार मंडी में आते हैं उनको भी इसी हिसाब से एक पाव ज्यादा तोलना पड़ता है। तो जो सोसाइटी के मेम्बर काश्तकार हैं और जो दीगर काश्तकार हैं उन सबको इसी प्रकार से तोलना पड़ता है। २ रुपये १३ आने जो सोसाइटी प्रोफिट देती है वह इससे अलग है। अधिक लेते हैं, यह तो मंडी की परम्परा है।

श्री बलपतसिंह : पाव भर ज्यादा लेते हैं, इस चीज को सरकार बन्द नहीं कर सकती क्या?

श्री भीमसिंह : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): इस प्रकार अधिक लेना, कानूनन कहां तक ठीक है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): परम्परा भी कानून बन जाती है।

श्री भीमसिंह : परम्परा ही कानून का रूप है, सोसाइटी से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री बलपतसिंह : अधिक तोलना गैर कानूनी नहीं है क्या? पाव ऊपर ज्यादा लेते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या फायदा है?

श्री भीमसिंह : २ रुपया १३ आना। इस तरह से होता है कि मंडी के आड़तिये १ रु० २ आना प्रतिशत लेते हैं वह सोसाइटी नहीं लेती, दूसरे मंडी के आड़तिये मुद्दत का काटते हैं, वह सोसाइटी वाले नहीं काटते, तीसरे आड़तिये १ छटांक पानी खर्चा काटते हैं वह सोसाइटी नहीं काटती, चौथे मंडी में आड़तिये १ आना प्रति सैंकड़ा बीमा का काटते हैं वह सोसाइटी नहीं काटती; तो यह टोटल २ रु० ८१ पैसा होता है।

श्री बलपतसिंह : सोसाइटी से इतना फायदा होता है इससे तो बड़ी खुशी हुई कि

(श्री दलपतसिंह)
काश्तकारों को इस तरह से फायदा होता है; पर क्या सरकार आयन्दा विचार रखती है कि पाव ज्यादा तोलते हैं उसको बन्द किया जाय ?

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह २ रु० १३ आना की सुविधा दी जाती है, इसके लिये पाव भर काटा जाता है ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि सोसाइटी नहीं काटती, यह तो मंडी की सदियों से परम्परा चली आ रही है। सहकारी समिति के जो मेम्बर्स हैं उनका और आम काश्तकारों का कम्पेरिज़न है वह मैंने बताया है कि सोसाइटी से २ रु. १३ आना फायदा है। बाकी यह पाव तो जो दूसरे आम काश्तकारों से लेते हैं वही इनसे भी लिया जाता है, यह सोसाइटी नहीं काटती। समिति निजी रूप से कुछ नहीं रखती। जो काटती है पर्चेज़र को पास ओन कर देती है, एक पाई भी प्रोफिट नहीं रखती।

श्री विजयसिंह झाला : मंडी इस प्रकार की खराब परम्परा रखती है तो क्या सरकार इस परम्परा को सुधार नहीं सकती ?

श्री अध्यक्ष : नेक्सट, श्री सतीशकुमार।

श्री मुरलीधर व्यास : एक जानकारी · · ·

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(विराम)

श्री सतीशकुमार।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): एक जानकारी और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:—No debate please !

(विराम)

श्री सतीशकुमार।

अलवर जिले के अध्यापक

३७. **श्री सतीशकुमार शर्मा** (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में अनेक बी. ए. व इन्टर ट्रेन्ड अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे हैं ? अगर हां, तो इनकी क्रमशः संख्या बताई जावे।

(२) क्या यह भी सही है कि अनेक मेट्रिक पास अध्यापक मिडिल स्कूलों में काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह स्थिति अवांछनीय नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कुछ करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (१) शिक्षा निरीक्षक अलवर कार्यालय के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक बी. ए. की योग्यता · · ·

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): बिल्कुल सुनाई नहीं दिया साहब, थोड़ा जोर से बोलिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा विभाग का उत्तर तो धीमा और शान्त होना चाहिये। आप कहते हैं तो जरा और जोर से बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपका तो बड़ा तीव्र होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) शिक्षा निरीक्षक, अलवर कार्यालय के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक बी. ए. की योग्यता का अध्यापक है जो कि इसी वर्ष,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
यानी १९६२ में बी. ए. में उत्तीर्ण हुआ है। इन्टर ट्रेन्ड योग्यता के केवल २६ अध्यापक हैं। अलवर जिले की पंचायत समिति की प्राथमिक स्कूलों में ४० ग्रेज्युएट और १९० इन्टर ट्रेंड टीचर्स हैं।

(२) मैट्रिक योग्यता के अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिये हैं, जिनकी संख्या २९ है।

(३) जी नहीं, क्योंकि मैट्रिक ट्रेन्ड, इन्टर और इन्टर ट्रेन्ड योग्यता के अध्यापक जो थर्ड ग्रेड में वेतन प्राप्त कर रहे हैं वे प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कहीं भी कार्य करने के उपयुक्त हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): प्रश्न यह है कि जो ये, ग्रेज्युएट ट्रेन्ड टीचर्स पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में काम रहे हैं तो जिस समय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिये सरकार नई नियुक्तियां टीचर्स की करती है उस समय इन अध्यापकों को नई नियुक्तियों के समय, प्रोमोशन देते समय, इन लोगों को प्राथमिकता देकर नई पोस्ट पर क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यद्यपि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि जो पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं के अध्यापक हैं जिनको इस प्रश्न में उल्लिखित किया गया है उनको और सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक हैं उनकी एक सम्मिलित सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जा रही है। यह संकेत है कि जो पंचायत समितियों के अधीनस्थ काम कर रहे हैं उन्हें आप फरमा रहे हैं, वही स्थिति प्राप्त हो सके।

एक माननीय सदस्य : कब तक यह हो जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एक अच्छा प्रयास है जो अध्यापकों के हित में किया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): पर यह अच्छा प्रयास कब लागू होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: हमारी आकांक्षा है कि शीघ्र से शीघ्र हो।

श्री विजयसिंह झाला : क्या अच्छे प्रयास में ज्यादा समय लगाना उचित है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां मैच्योर्ड थिंकिंग की आवश्यकता ज्यादा है। जितना थिंकिंग ज्यादा होगा उतनी ही गलतियां कम होंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या नये टीचर्स को अपोइन्ट करते समय उनको प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं इतना कहने की स्थिति में हूं कि माननीय सदस्य के, व्यक्तिगत रूप से नहीं सदन के दृष्टिकोण का बराबर इस प्रश्न पर ख्याल रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

रायलटी की वसूली

३८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) खानों से आने वाली रोयल्टी के कितने रुपये किन किन पार्टियों में कितने वर्षों से बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) क्या यह सही है कि जिन जिन पर रोयल्टी की रकम बकाया है उनको पुनःलीज पर खान दी गई हैं ? यदि हां, तो किन को और क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने ५२-५३ में और बाद में भी खानें लीज़ पर लीं और उनकी रोयल्टी आज तक वसूल नहीं हुई है और उन्हें फिर खानें दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने केसेज़ हैं व उनके क्या नाम हैं ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(२) आम तौर पर ऐसी पार्टियों को जिन पर सरकार की बकाया है, नये लीज़ नहीं देते हैं; किन्तु कुछ पार्टियों को जिनमें बकाया विवादास्पद थी, लीज़ दिये गये हैं; उनकी सूची कारण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जिन पार्टियों के खिलाफ सरकारी रकम १९५२-५३ से अभी तक बकाया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है; इनमें से जिनको सरकारी रकम बकाया होते हुए भी खान व लीज दी गई है उसकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : सदन की मेज पर सूची रखी है उसमें ५१,२८,००० हजार की बकाया रकम लीज़ की बताई गई है और जैसा कि आपने कहा नं० २ में कि जिन लोगों में बकाया है, अक्सर उनको नहीं दिया जाता, इसके बावजूद भी जिनके मामले डिस्प्यूटेड हैं उनको दिया गया है । नं० २ की सूची दी है उसमें मेवाड़ मिनरल कम्पनी लिमिटेड है उसको भी फिर से लीज़ पर दिया गया है जब कि कोई डिस्प्यूटेड मामला नहीं है उनका जब कि लाखों रुपया बकाया है, तो फिर किस आधार पर उनको लीज़ पर दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लाखों रुपया बकाया होने की बात गलत है, पर कमेटी अपोइन्ट की हुई थी उस कमेटी की रिकमन्डेशन पर लीज पर दिया गया था, यह बहुत पुरानी बात है, उस समय उनको लीज़ दी गई थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : कमेटी ने किस आधार पर रिकमन्ड किया जब कि यह नीति रही है कि जिसका बकाया हो और वह डिस्पूटेड बकाया न हो तो उसको लीज़ नहीं दिया जाय ? तो क्या कमेटी को इस प्रकार की बकाया रहने पर भी इस तरह से रिकमन्ड करने का अधिकार दिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की थी जिसमें माइन्स डिपार्टमेंट, फाइनेन्स डिपार्टमेंट के रिप्रेज़ेन्टेटिव थे; ८-१० वर्ष पहले की बात है, कमेटी ने रिकमन्ड किया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह सही है कि पुराना होते हुए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पर जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि आपके नियम हैं कि जिनकी बकाया नहीं है उनको देते हैं; दूसरे, जिनकी बकाया डिस्पूटेड है उनको देते हैं; पर यह थर्ड केटेगरी कैसे बना दी, जिनकी बकाया है और वह बकाया डिस्पूटेड भी नहीं

Page No 9

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
है फिर भी उनको कमेटी ने रिकमेन्ड किया है, उनको लीज़ दी है ।

श्री रामप्रसाद लड्डा: उस कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, पर यह अमाउन्ट डिस्प्यूटेड होने की वजह से ही तो कमेटी अपोइन्ट की थी और उस कमेटी की रिकमन्डेशन पर दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : ७३ हजार की रकम ५२-५३ की बकाया है इसके बावजूद भी लीज़ देने की क्या आवश्यकता हुई, किस आधार पर दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : यह भी उन्हीं दिनों दी गई है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अब आप इसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : वसूली की कार्यवाही जारी है ।

श्री विजयसिंह झाला : कब तक वसूली की जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली की आज्ञा दे देते हैं तो वसूली की कार्यवाही शुरु हो जाती है । पर वसूली होने में और दिक्कतें हो जायं; जैसे उसकी कोई प्रोपर्टी ही प्रूव नहीं हो सके जिससे कि वसूली की जाय और दूसरे भी कारण हो सकते हैं जिनसे वसूली में देरी हो जाती है। पर प्रयत्नशील है कि विभाग की वसूली जल्दी से हो ।

श्री विजयसिंह झाला: दस वर्ष हो गये और असेसमेन्ट नहीं हुआ ?

प्रश्न संख्या ३९

श्री अध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द ।

के. डी जैन हायर सैकन्ड्री स्कूल, मदनगंज

४०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि के. डी. जैन हायर सैकन्डरी स्कूल मदनगंज के मैनेजमेन्ट के विरुद्ध शिक्षा विभाग के ऑडिटरों द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में स्कूल का रुपया गबन करने का इलजाम लगाया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन विभाग ने मैनेजमेन्ट के विरुद्ध गबन करने का केस थाना मदनगंज में दर्ज कराया है ?

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में इस मैनेजमेन्ट पर गबन का आरोप होते हुए भी इस स्कूल को सरकारी अनुदान पूर्ववत् मिल रही है ?

(घ) क्या यह सही है कि मैनेजमेन्ट की अवैध कार्यवाहियों की शिक्षा विभाग तक शिकायत पहुंचाने के परिणाम स्वरुप मैनेजमेन्ट ने कुछ अध्यापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ?

(ङ) क्या सरकार ने इस स्कूल के मैनेजमेन्ट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No 10

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) यह सही है कि शिक्षा विभाग के आडिटरों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ रुपया मैनेजमेन्ट की ओर निकला हुआ बताया है जिसमें से उनकी राय में कुछ रकमें गबन की सी मालूम होती हैं। मैनेजमेन्ट से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच होने पर पूरी तरह कहा जा सकेगा कि वह रकम गबन की है या नहीं । मैनेजमेन्ट का स्पष्टीकरण विभाग के विचाराधीन है।

(ख) शिक्षा विभाग को इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई । थाना मदनगंज, किशनगढ़ ने उप शिक्षा संचालक, जयपुर को ऑडिट रिपोर्ट करने के लिये लिखा था।

(ग) इस शाला की ऑडिट रिपोर्ट शिक्षा विभाग के विचाराधीन है। इस शाला के अध्यापकों को अधिक समय तक वेतन न मिलने के कष्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस शाला को सितम्बर १९६२ तक का अनुदान दे दिया है। वर्तमान अनुदान देने का यह भी कारण है कि अब इस स्कूल की मैनेजमेंन्ट कमेटी के प्रेसिडेन्ट कलेक्टर तथा सदस्य एस. डी. एम., स्थानीय डाक्टर व निरीक्षक शिक्षणालय के होने के कारण सरकारी अनुदान के दुरुपयोग का कोई खतरा नहीं है। आगामी अनुदान देने या न देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) इस स्कूल के मैनेजमेन्ट ने ५ अध्यापकों को स्कूल के अनुशासन भंग करने के अभियोग में सस्पेन्ड किया था। फिर इस शाला की प्रबन्धकारिणी की बैठक दिनांक ३-२-६१ में यह तय हुआ कि पांचवें अध्यापक को भी नौकरी पर लिया जावे। इस प्रकार चार अध्यापकों को २७-१-६१ को नौकरी पर ले लिया गया। मगर पांचवें अध्यापक श्री धन्नालाल बज को रिइन्स्टेट-मेन्ट के ऑर्डर मिलने पर भी उसने इस शाला की प्रबन्धकारिणी को भूख हड़ताल करने की धमकी दी और भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके कारण उनको पुनः नौकरी पर नहीं लिया गया।

(ङ) विभागीय ऑडिट द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट अभी विभाग के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट में जो गबन का इलजाम लगाया गया है उसमें यह बात भी कही गई है कि कुछ ऐसे टीचर्स के नाम पर तनख्वाह ले ली गई जो उस स्कूल में कभी थे ही नहीं; बिल्कुल बोगस नाम से तनख्वाह ले ली गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: ऑडिट रिपोर्ट स्वयं एक डाकयूमेन्ट है। उसमें क्या है, क्या नहीं है; ये सारे प्रश्न विचाराधीन हैं। जब तक उन पर डिसीजन न ले लिया जाय मैं इस समय कुछ भी यहां कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I don't want opinion but यह तो क्वेश्चन ऑफ फेक्ट है। किसी निर्णय पर पहुंचे सरकार, लेकिन ये फैक्ट्स ऑडिट रिपोर्ट में हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑडिट रिपोर्ट जिस स्टेज पर विचाराधीन और जिन आथोरिटीज़ के पास विचाराधीन है मैं उस पर अभी अपना हाथ नहीं रख सका हूं कि क्या एलीगेशन्स हैं और क्या अन्तर है और नहीं। ऐसी स्थिति में मैं इस समय यहां कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर): बिना ऑडिट रिपोर्ट को देखे आप फरमा दीजिये कि यह सही है या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: पांच टीचर्स रिइन्स्टेट किये गये, उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: संख्या बहुत कम है। माननीय सदस्य भी जानते हैं, यद्यपि मेरे पास नाम नहीं हैं। चार कौन हैं, मेरे पास नाम नहीं। बाकी एक तो भूख-हड़ताल पर गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जैसा कल आपने फरमाया इस सदन की जानकारी के लिए, मैं क्या जानता हूं और आप क्या नहीं जानते हैं इसको छोड़िये, सदन को जानकारी मिले इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: नाम मेरे पास नहीं हैं और न उनके नाम मुझे याद हैं। एक नाम बता दिया।

श्री अध्यक्ष: फिर भी काफी याद है आपको।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस ऑडिट रिपोर्ट पर जो एक गंभीर मामला है, सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहूं कि मैं खुद चिन्तित हूं और गवर्नमेन्ट खुद चिन्तित है है कि शीघ्र निर्णय लिया जाय और "शीघ्रातिशीघ्र" का आधार आप स्वयं समझते हैं कि जितना शीघ्र हो सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हैडमास्टर के खिलाफ एन्टीकरप्शन में कोई पुलिस केस दर्ज कराया गया है, क्या विभाग की नोलेज में है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: एन्टीकरप्शन में कोई केस रजिस्टर हुआ है या नहीं, शिक्षा विभाग की जानकारी में नहीं है। शिक्षा विभाग इस बात की जानकारी रखता है कि माइनस एन्टीकरप्शन यह जानकारी आवे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या इस प्रकार का सरकार को कोई मेमोरेन्डम नहीं दिया गया कि एन्टीकरप्शन में इस प्रकार का केस चल रहा है और उसको दबाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह।

ग्राम पंचात अलीगढ़, जिला टोंक द्वारा बनवाया गया भवन

४१. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अलिगढ, जिला टोंक ने एक नया भवन और बनवाया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि वहां पर पुराना भवन पहिले से ही बनवाया जा चुका था ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भवन के लिये टेक्निकल एप्रूवल पी. डब्ल्यू. डी. की नहीं ली गई जो कि लेना आवश्यक था ? यदि नहीं ली गई, तो क्यों ?

(४) क्या यह आवश्यक नहीं था कि नया भवन बनवाने से पूर्व उसकी जिलाधीश से स्वीकृति होनी चाहिये थी और उसका एस्टीमेट भी पी. डब्ल्यू. डी. से एप्रूव होना चाहिये था ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(५) क्या यह सही है कि उक्त भवन राजस्व विभाग की भूमि पर बनवाया गया है? यदि हां, तो क्या राजस्व विभाग ने उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित कर दिया था? यदि नहीं, तो यह भवन तहसील ने कैसे बनने दिया?

(६) क्या इस सम्बंध में सरकार उक्त पंचायत के सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नंदवाना): (१) बनाया जा रहा है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने की आशा में कार्य शुरू कर दिया गया था। स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही चालू है।

(४) जी नहीं। तकनीकी अनुमोदन आवश्यक था जिसे प्राप्त करने की कार्यवाही चालू है। भवन निर्माण, पंचायत घर के लिये आम तौर पर निश्चित प्लान के अनुसार किया जा रहा है जिससे पंचायत ने कार्य आरम्भ के पहले स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

एक्सटेन्शन आफिसरों का स्थानान्तरण

४२. **श्री तेजाराम** (सोजत) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार एक्स्टेन्शन ऑफिसर का स्थानान्तरण होम डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता है?

(२) पाली जिले में ऐसे कितने एक्सटेन्शन ऑफिसर्स हैं जो राज्य सरकार की उक्त आज्ञा के बावजूद भी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) प्रश्न (२) में वर्णित एक्स्टेन्शन आफिसर्स कितने अर्से से होम डिस्ट्रिक्टस में ही हैं व उन्हें डिस्ट्रिक्ट के बाहर पोस्ट न करने के क्या कारण हैं?

(४) प्रश्न (२) में वर्णित प्रसार अधिकारी अपनी नौकरी-काल में कब २ अपने जिले से बाहर रहे?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना दी हुई है।

(४) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)।

श्री रामकिशन (वैर): सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसा क्यों देते हैं? बात खुलती नहीं।

(श्री रामकिशन)

'जी नहीं', 'जी नहीं', 'जी हां', इससे सदन को जानकारी होती नहीं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): सरकार की आज्ञा होते हुए भी उनको रखा गया है। इस सूची में तो दर्ज नहीं है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना: उनको बदला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर सिनेमा गृहों में मनोरंजन कर की चोरी

४३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बीकानेर के सिनेमा गृहों में मनोरंजन कर की बहुत ज्यादा चोरी होती है?

(२) क्या यह सत्य है कि यहां टिकटें ब्लेक में बेचने का ठेका होता है?

(३) क्या यह सही है कि यहां नियमों की कोई पाबन्दी नहीं होती और सिनेमा गृह २ बजे रात तक चलते हैं?

(४) क्या यह सत्य है कि यहां निम्नतम वेतन कानून के अनुसार वेतन नहीं मिलता व ओवर टाइम व काम के घंटों का कोई नियम नहीं है?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): (१) जी नहीं। इस किस्म की कोई इत्तला सरकार के पास नहीं पहुंची है।

(२) ऐसा कोई केस अब तक सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है।

(३) नियमों की पाबन्दी जरूर होती है, मगर मुमकिन हो सकता है कि कोई पिक्चर बडी होने की वजह से सिनेमा रात्रि को कमी देर तक चलता रहा हो।

(४) मिनिमम वेजेज एक्ट (Minimum Wages Act) छबि-गृहों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास: आपने कहा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं होती तो क्या इस प्रकार की जांच अपनी तरफ से करा सकते हैं जिससे साबित हो सके कि आज भी ये बातें हो सकती हैं?

श्री बालकृष्ण कौल: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आपने सवाल किया है, जांच करायी जा सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): रात को सिनेमा लम्बे होने के कारण चलते रहते हैं तो क्या सिनेमा मालिकों ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अन्तर्गत कोई सरकार से इजाजत ली है?

श्री बाल कृष्ण कौल: मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या बीकानेर के सिनेमा-चालकों ने सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अन्तर्गत इतनी रात तक सिनेमा चलाते रहने के लिए आपसे आज्ञा प्राप्त की है और यदि नहीं की है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं इतना जानता हूं कि कानून के हिसाब से ११। बजे रात तक सिनेमा शो चल सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपके सामने मिसालें पेश करूं, सिनेमा शो रात्रि को १॥ बजे तक चलते हैं यह सिनेमाटोग्राफ एक्ट के खिलाफ नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : साढ़े बारह बजे तक ही चलते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इंगलिश और ग्रीनविच टाइम में फर्क हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

घासोली तहसील किशनगढ़ (अलवर) के हरिजनों को मकानों के लिये जमीन

४४. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि घासोली तहसील किशनगढ (अलवर) के हरिजनों के पास रहने के लिये मकानों की जमीन नहीं है और वे पहाड़ पर रह कर अपनी जिन्दगी गुजारने पर मजबूर हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि इनकी औरतों और बच्चों को पहाड़ पर नीचे से पानी लेकर चढना पडता है, जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती है ?

(३) क्या यह सही है कि कितनी ही बार सरकार से मांग की जा चुकी है किन्तु अभी तक उनको जमीन नहीं मिली है ? अब सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) ग्राम पंचायत द्वारा भूमि अवाप्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप केवल 'जी हां', 'जी हां', कह कर टाल देते हैं, पूरी जानकारी नहीं देते । प्रश्न का उत्तर इस प्रकार का होना चाहिये जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण हो तो अच्छा रहे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने स्वीकार किया है कि वे लोग पहाडों पर रहते है और नीचे से पानी लाकर चढ़ते हैं । सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? इतना अर्सा हो गया, आपने पंचायत समिति पर छोड दिया !

पंचायत समिति करती होती तो आपको क्यों कहा जाता ? पंचायत समिति कुछ नहीं कर रही है, सरकार पंचायत समिति में हस्तक्षेप करके अपनी तरफ से कोई इनीशियेटिव ले ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह केवल हरिजनों का ही सवाल नहीं है । वहां ब्राह्मण आदि सभी रहते हैं और सभी को पानी नीचे से ही लाना होता है । पंचायत समिति को लिखा गया है कि वह जल्दी से जल्दी जमीन प्राप्त करे । सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहा जायगा वह दिया जायगा ।

श्री जयनारायण खालोडिया (निवाई) : पंचायत समिति को कब लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जालोर तथा बाड़मेर के अभाव-ग्रस्त गांव

४५. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जालोर तथा बाड़मेर जिलों के किन किन गांवों को इस साल अभावग्रस्त घोषित किया है ?

(२) उपरोक्त गांवों में से कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष भी अभाव की स्थिति थी और उन्हें अकाल ग्रस्त भी घोषित किया गया था ?

(३) ऐसे गांवों में राहत कार्यों के लिये सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) इस साल बाड़मेर जिले के ४५७ गांव तथा जालोर जिले के ५७ गांव खरीफ संवत् २०१९ की फसल खराब होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(२) पिछले वर्ष बाड़मेर तथा जालोर जिले का कोई गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया था ।

(३) बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा रु० १५,०००) की धनराशि जिलाधीश बाड़मेर को प्रदान की जा चुकी है । अन्य राहत कार्यों की रिपोर्ट दोनों जिला धीशों से प्राप्त होते ही आवश्यक धनराशि मन्जूर की जा सकेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

श्री भगराज चौधरी: The facts have not been given correctly. What I want to know is that......

श्री रामकिशन (वैर) : आप हिन्दी में कहिये ।

श्री भगराज चौधरी : जो धनराशि दी गई है वह काफी नहीं है......

श्री अध्यक्ष : आप यह प्रश्न बजट पर बहस करते समय उठा सकते हैं । जो सरकार से सूचना चाही गई है वह आपको दे दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : ऐसी सहायता देने का क्राइटेरिया क्या है ?

सेल्स टैक्स की अदायगी

४६. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भरतपुर में नील बनाने वाले किसी फेब्रीकेटर ने अपने उत्पादन की बिक्री पर कभी कोई सेल्स टैक्स जमा कराया है ? यदि हां, तो कब कब और कितना कितना ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : जी हां, चार फेब्रीकेटरों ने बिक्री कर जमा कराया है । इनके नाम तथा अन्य सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री रामकिशन : इसकी लिस्ट हमारे पास नहीं आई है, आप नाम बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तीन नाम ही हैं, बता दीजिये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह तो उत्तर इस प्रश्न का नहीं है। मंत्री महोदय उत्तर गलत पढ़ गये।

श्री बालकृष्ण कौल : जवाब भी फेब्रीकेट हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर यह है, 'जी हां'। सन् ६०-६१ के १८५ रु० ८३ न.पै. व ६१।६२ के ८०५ रु० ८१ न. पै. जमा कराये हैं।

श्री रामकिशन : ६१-६२ में जो सेल्स टैक्स की रकम बढ़ी है वह क्या कोटा बढ़ने से बढ़ी है या दर बढ़ने से ?

श्री अध्यक्ष : टर्न ओवर बढ़ा होगा: कैसे हुआ, क्यों हुआ; इसका जवाब नहीं हो सकता।

श्री रामकिशन : बिना कोटा के बढ़े टर्न ओवर कैसे बढ़ गया, यही तो हम जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बगैर जमीन रहन किराये कर्जा व तकावी सम्बंधी आदेश

४७. श्री **हरिनारायण चौहान** (तिजारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस किस्म के आदेश हो चुके हैं कि बगैर जमीन रहन कराये हुए कर्जा तकाबी नहीं दी जा सकेगी ?

(२) क्या यह सही है कि पहले किसानों को कर्जा, तकावी बगैर जमीन रहन कराये मिल जाती थी ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि उपरोक्त आदेश से किसानों को बडी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आदेश को वापिस लेने का विचार रखती है ?

उप–मंत्री, पंचायत (श्री **भवानीशंकर नन्दवाना**): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (संचोर) : कब प्रश्न उठेगा ?

श्री**विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : "जी हां", "जी नहीं"; यह कब तक चलेगा ?

श्री **हरिनारायण चौहान**: पहले जो किसानों को तकाबी मिलती थी बगैर रजिस्टरी कराये मिलती थी, अब जमीन की रजिस्ट्री करानी पड़ती है उसमें उनके पचास साठ रुपये खर्च हो जाते हैं; काफी दिनों तक परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार को बगैर रजिस्ट्री कराये तकाबी देने में क्या दिक्कत है ?

श्री **भवानीशंकर नन्दवाना** : रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है, लेकिन जितना खर्चा आपने बताया है उतना नहीं होता और मामूली रेट्स पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक ही दिन में हो जाता है। फिर भी विधि विभाग से पूछा जा रहा है कि इस नियम को हटाया जा सकता है या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले जो लोन दिया जाता था वह यह जानकारी करके दे दिया जाता था कि इसके पास इतनी जमीन है। उस समय मोर्टगेज करने का सवाल नहीं था। क्या आवश्यकता पड़ी. जिसके कारण पहले जिस प्रकार तकावी आदि मिलती थी उसमें परिवर्तन किया जाय ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति लोन देती है। जहां तक परिवर्तन करने का सवाल है उसके लिये विधि विभाग को पूछा जा रहा है कि इसमें इस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कानून विरुद्ध मोर्टगेज हो गया, उसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है लोन देते समय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): मेरा सवाल यह है कि जो लैन्ड गवर्नमेन्ट की है और भूमिहीन किसानों को अलॉट की जाती है उसमें वह कुए खुदवाना चाहता है और उस पर तकावी लोन चाहता है। अब उस जमीन पर उसको व्यय करने का अधिकार नहीं वैसी हालत में तकावी दी जा सकती है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दी जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : रहन नहीं किये बगैर दे सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया **मुख्य मंत्री** : जो भूमिहीन काश्तकारों को जमीन देते हैं वह लीज पर हैं। परमानेन्टली दस सालों तक देने का रखा है उसके बाद राइट्स एक्रयू होते हैं। उस जमीन को रहन बय करने का अधिकार नहीं। गवर्नमेन्ट को लीज पर देने का खतरा नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लैन्ड अलॉटमेन्ट साल साल भर के लिये होते हैं, टैन ईयर्स के लिये नहीं होते। क्या मुख्य मन्त्री कहते हैं उसके अनुसार अमेन्डमेन्ट माना जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : एक साल के लिये देते हैं, न कि टैन ईयर्स के लिये।

श्री अध्यक्ष: That is a simple mortgage.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री के कहने के अनुसार वह जमीन लीज पर है। उनको रहन करने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसी जमीन पर प्रोप्राइटरी राइट्स या खातेदारी राइट्स नहीं, उसको रहन करने की आवश्यकता नहीं। तो जो खातेदारी लैन्ड है उसको रहन रखने की आवश्यकता पड़ी तो बड़ी एनोमोलस अवस्था हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : एनोमोलस पोजीशन नहीं होगी; लीज पर जो लैन्ड है उसको किसी दूसरे को ट्रान्सफर करने का या सेल करने का अधिकार नहीं। जो खुद की खातेदारी जमीन है वह दूसरों को बेच सकते हैं। इसलिये इस पोइन्ट को एग्जामिन कराना होगा कि तकावी देते हैं जिस जमीन पर और वह दूसरे को सेल करता है ऐसी हालत में उस लैन्ड पर जो तकावी ले रखी है उसका अटैचमेन्ट उसके साथ कर सकते हैं या नहीं।

Page No 18

अलवर जिले में गोचर भूमि का डिमार्केशन

४८. **श्री रामानन्द अग्रवाल,** (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में डिप्टी कलैक्टर, जागीर द्वारा खुदकाश्त भूमि ऐसे गांवों में अलॉट की गई है जिनकी गोचर भूमि का डिमार्केशन अभी तक अन्तिम रूप से बन्दोबस्त विभाग द्वारा नहीं किया गया है?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि गोचर भूमि नियत किये बिना जागीरदारों, और बिस्वेदारों को जमीन अलॉट करने से जगह जगह पर गांव के लोगों के बीच झगडे शुरू हो गये हैं?

(३) क्या सरकार ऐसे अलॉटमेन्ट्स को कैन्सिल करने पर विचार करेगी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) डिप्टी कलैक्टर, जागीर कार्यालय में गोचर भूमि डिमार्केशन का कोई रेकार्ड नहीं होता। वे तहसीलदार की रिपोर्ट एवं सिफारिश पर अलॉटमेन्ट की कार्यवाही करते हैं। तहसीलदार, जैसे उनको पहले से ही हिदायत है, गोचर भूमि को दृष्टि में रखते हुए ही सिफारिश करते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें से गांवों में भी खुदकाश्त के लिये भूमि अलॉट कर दी गई हो, जहां कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गोचर भूमि के डिमार्केशन को अन्तिम रूप न दिया गया हो। उस दशा में जब कि गोचर भूमि का सीमांकन नहीं हुआ हो वहां तहसीलदार सैटलमेन्ट के अस्थायी रूप में निर्धारित की गई गोचर भूमि को एवं ग्राम की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भूमि चरागाह के लिये छोडने के बाद अपनी सिफारिश करते हैं। फिर भी यदि कोई विशेष उदाहरण गलत अलॉटमेन्ट का बताया जावेगा तो छान-बीन की जा सकती है।

(२) कुछ समय से अलॉटमेन्ट के विरोध में विवाद उत्पन्न हुए हैं, परन्तु इन विवादों के कारण गोचर भूमि का डिमार्केशन मात्र नहीं है।

(३) इस विषय में पहले से ही छान-बीन की जा रही है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही मुनासिब की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा पहला प्रश्न डैफीनेट था। आपने जवाब देते समय उसे वेग कर दिया। तो आप डैफीनिट बताइये कि उस गांव में जहां बन्दोबस्त नहीं हुआ है गोचर भूमि का वहां डिप्टी कलेक्टर ने खुदकाश्त के लिये भूमि अलॉट करदी है या नहीं? करदी है तो किस वजह से यह दूसरी बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप डैफीनिट जवाब दें कि करदी है या नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां पर डिमार्केशन गोचर भूमि का फाइनल नहीं हुआ है उसका मतलब यह है कि सैटलमेन्ट तो हो गया, पर रिपोर्ट उसकी आकर उसका फाइनलाइजेशन नही हुआ है। फिर भी खुदकाश्त की जमीन अलॉट करदी गई है वहां पर तो वह इसी आधार पर अलॉट की गई है कि उसका फाइनलाइजेशन नहीं होते हुए भी हमें यह मालूम है कि उस गांव के लिये कितने चरागाह की जमीन की जरूरत है और उतनी वहां छोडदी गई है। अब इससे अधिक जमीन अगर बचती है तो उसे

Page No 19

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
अलॉटमेन्ट करने का सरकार को अधिकार है, इसलिये वह अलॉटमेन्ट किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि जिन जगहों पर बन्दोबस्त नहीं हुआ हो और गोचर भूमि नहीं छोड़ दी गई हो फाइनली, उनमें खुदकाश्त के लिये जमीन अलॉट नहीं की जावे। क्या यह सही नहीं है कि इस वजह से अलवर में स्थगित पड़ा है भूमिहीनों को जमीन अलॉट करने का काम ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चरागाह के लिये सेटलमेन्ट के अलावा भी जोर दिया गया है कि अगर वहां खुदकाश्त का सेटलमेन्ट करना है तो चरागाह का सेटलमेन्ट फाइनल हुआ हो या नहीं हुआ हो, गांव की आवश्यकता के अनुसार चरागाह की भूमि निकाल कर और जहां चरागाह की भूमि नहीं है वहां वह कायम कर दी जावे और इसको ध्यान में रखते हुए ही खुदकाश्त के लिये बाकी बची जमीन दी जाती है। अब अगर इसके विपरीत कहीं हुआ हो तो आप इसके उदाहरण बताइये कि चरागाह के लिये जमीन नहीं डिमार्केट करते हुए भी खुदकाश्त के लिये किसी जागीरदार को दे दी गई होतो उसकी छान-बीन की जा सकती है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : राघुवास गांव है, चार सौ मवेशियों का गांव है। वहां चरागाह के लिये जगह नहीं छोडी गई और खुदकाश्त में अलॉट कर दी गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के उदाहरण आप लिख कर मुझे दीजिये, मैं छान-बीन कराऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार का दो तबकों के लिये डिफरेन्ट ट्रीटमेन्ट है। जहां तक जागीरदारों का सवाल है, गोचर भूमि का अलॉटमेन्ट नहीं होते हुए भी उनको जमीन अलॉट कर दी जाती है और दूसरी तरफ सब कुछ होते हुए भी गरीब भूमिहीनों को अलॉट नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष: आप बहस न करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो अध्यक्ष महोदय, पोजीशन बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं, आप प्रश्न करके जानकारी ले सकते हैं और उस जानकारी के आधार पर बाद में बहस में आप हिस्सा ले सकते हैं, बहस में उस जानकारी का आप उपयोग कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर जानकारी तो सही तरीके से मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न करने का तो मतलब यह है कि जानकारी मिल जावे। बाद में आप उसका उपयोग करना चाहते हैं तो बहस में कर लें। इसके लिये आपको मौका मिलेगा।
श्री भीमसैन।

देवस्थान विभाग बीकानेर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

४९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) देवस्थान विभाग, बीकानेर में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के समय से राज्य सेवा में

(श्री भीमसेन)
थे, लेकिन बाद में देवस्थान फण्ड में तबदील कर लिये गये ?

(२) उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी वापिस राजकीय सेवाओं में तबदील कर लिये गये तथा कितने अब भी देवस्थान सेवाओं में हैं ?

(३) ऐसे उपरोक्त कर्मचारियों को वापिस राजकीय सेवाओं में तबदील करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उन्हें उचित तनख्वाह व इन्क्रीमेन्ट मिल सके व फिक्सेशन हो सके ?

उप-मंत्री, देवस्थान (रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के समय चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी ऐसे थे जिनको बाद में स्टेट से देवस्थान फण्ड अमला में तबदील कर लिया गया क्योंकि स्टेट में दो पोस्टों की कमी हो गई थी।

(२) उक्त दोनों कर्मचारियों को वापिस राजकीय सेवा में तबदील कर दिया गया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कब किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १९६० में।

बानसूर पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव की तिथि

५०. **श्री सतीशकुमार शर्मा** (बानसूर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बानसूर पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव की तारीख ५-५-६२ मुकर्रर की गई थी और इस तारीख के नोटिस भी जारी किये जा चुके थे ?

(ख) क्या यह तारीख एक व्यक्ति की दर्ख्वास्त पर बढा दी गई ? अगर हां, तो उसके क्या वजूहात थे और कितने दिन के लिये यह तारीख बढाई गई थी ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, हर समय यह देखा गया है कि इस विभाग के मंत्री महोदय, प्रश्न का उत्तर बड़ा अस्पष्ट "हां", "ना" में देकर समाप्त कर देते हैं। ऐसा लगता है, माननीय मंत्री महोदय न जवाब समझ सकते हैं न सप्लीमेन्टरी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'जी हां,' और 'जी, नहीं' ; इससे उत्तर भी स्पष्ट नहीं है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : इसमें कारण पूछा, वे कारण भी नहीं बताये ; 'हां' 'ना' करके टाल दिया गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने तो उत्तर साफ दिया है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : कहां दिया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): प्रश्न बडा स्पष्ट है और उत्तर भी स्पष्ट है। 'जी हां', और 'जी नहीं' से एतराज नहीं होना चाहिये। आपने पहला प्रश्न पूछा कि चुनाव की तारीख मुकर्रर की और नोटिस जारी किये गये तो इसका उत्तर दिया 'जी हां', तो यह तो ठीक ही है। अब

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
दूसरा प्रश्न पूछा तारीख आगे बढ़ा दी गई तो क्या वह एक आदमी की दरख्वास्त पर बढ़ाई; तो उत्तर दिया 'जी नहीं'। अब इसमें क्या एतराज है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: सवाल यह है कि तारीख किसी की दरख्वास्त पर बढ़ाई या नहीं; आपने कहा 'जी नहीं', यह लीगल लेंग्वेज है। दिस इज् कॉल्ड लीगल लेंग्वेज। आप उत्तर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और फैक्टस को ट्विस्ट करते हैं। (दो-तीन सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज़ ग्रार्डर।। श्री सतीशकुमार।

श्री सतीशकुमार शर्मा: चुनाव की तारीख मुकर्रर करने के बाद एक आदमी की दरख्वास्त पर वह तारीख बढ़ा दी जाती है तो मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है ? आपने कहा 'जी नहीं'। हम जानना चाहते हैं कि वजह क्या है और आप जवाब देते हैं 'जी नहीं'।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: एक व्यक्ति की दरख्वास्त पर नहीं। यह दरख्वास्त आठ सरपंचों की ओर से आई थी, आठ ने मिलकर दी थी कि क्यों कि उनके वहां पर शादी है इसलिए असुविधा होगी इन तारीखों में चुनाव कराने में, इसलिये तारीख बदल दी जावे।

श्री सतीशकुमार शर्मा: अगर यही तरीका है तो कोई भी पचास सरपंचों से दरख्वास्त दिलवा देगा। फिर यह बात भी गलत है कि आठ सरपंचों के यहां शादी थी। एक के शादी हो सकती है और एक के यहां ही थी, सबके यहां शादियां कैसे हो सकती हैं एक साथ। एक उप-सरपंच के यहां शादी थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: एक उप-सरपंच के यहां शादी थी और आठ पंचों से दरख्वास्त दिलवा दी शादी का बहाना करके और उस पर सरकार ने चुनाव स्थगित करा दिये; तो क्या सरकार आज के इस डेमोक्रेसी के युग में इसको उचित समझती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: शादी तो आठ के नहीं थी, उप-प्रधान के थी। पर आठ सदस्यों ने यह बात लिखकर दी कि हम भी इस शादी के कारण वहां मौजूद नहीं मिलेंगे इसलिए तारीख बदल दी जावे। तो अगर आठ आदमी कहते हैं और ऐसी स्थिति में कहते हैं तो थोडी बात उनकी माननी ही पड़ती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो क्या सरकार इस तरह से कोई प्रिसीडेन्ट कायम कर रही है कि जो चुनाव लडने को उत्सुक न हों और मेरा काम हो गया हो तो अपने प्रोस्पेक्टिव फ्रेन्ड्स से एक दरख्वास्त दिलवा दूं और आप उस बिना पर चुनाव स्थगित कर देंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह तो स्थिति पर निर्भर करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो क्या यह स्थिति इस बिना पर निर्भर करेगी कि वे मेम्बर कांग्रेस दल के हैं या किसी और दल के हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: कोई भी पार्टी के हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी के सिस्टम को अगर ठीक फंक्शन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
करना है तो हम चाहेंगे कि आप सरकार से आश्वासन लें कि इस तरह की कार्यवाहियां करके वे डेमोक्रेसी का मजाक नहीं उड़ाया करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है। चुनाव नहीं कराते तब तो आपका कहना ठीक था। चुनाव की डेट को पोस्टपोन किया है, सिर्फ आम तौर से इस को प्रैक्टिस बनाने का इरादा सरकार का नहीं है। स्पेशल सर्कम्सटान्सेज हों तो अपना डिस्क्रीशन यूज करने का सवाल है सिर्फ।

श्री सतीशकुमार शर्मा: क्या यह सरकार के नजर में स्पेशल सर्कम्सटान्सेज का मामला है ?

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर अध्यक्ष की ओर से व्यवस्था दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन, नैक्स्ट।

सेल्स टैक्स की अदायगी

५१. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या भरतपुर में लोहे का कोटा प्राप्त करने वाले किसी फेब्रीकेटर ने अपने तैयार माल की बिक्री पर कभी कोई सेल्स टैक्स जमा कराया है? यदि हां, तो किस किस ने कितना और कब जमा कराया है?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): जी हां, चार फैब्रीकेटरों ने बिक्री कर जमा कराया है। इनके नाम तथा अन्य सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकिशन: अध्यक्ष महोदय, लिस्ट ऐसी है कि बिलकुल पढ़ी नहीं जाती। अंग्रेजी की तो बहुत अच्छी है पर हिन्दी की ऐसी है। यह हिन्दी का अपमान है।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): आपको पढ़ना भी सिखावेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल: आप कहें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री रामकिशन: आप पढ़कर सुना देंगे तब भी चलेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री हांडा।

रायसिंहनगर के कापड़ियों के परिवारों को भूमि का आवेदन

५२. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) तहसील रायसिंहनगर के चक ७८ एन. पी. में कापड़ियों के कितने परिवारों को १९५५-५६ में भूमि अलॉट हुई थी?

(२) क्या वही भूमि जो कापड़ियों को अलॉट हुई थी १९५९-६० में जागीरदारों को अलॉट करके कापड़िये बेदखल कर दिये गये?

(३) क्या सरकार द्वारा कापड़ियों को दूसरी भूमि अलॉट किये जाने का आश्वासन दिया गया था?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(४) क्या बेदखल किये गये सारे कापड़िया परिवारों को भूमि अलाट हो गई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ५८ परिवारों को ५५-५६ में आराजी काश्त पर भूमि अलॉट हुई थी।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) बेदखल किये गये कापडियों को दूसरी भूमि देने की कोई शर्त नहीं थी। वैसे नियमावली के अन्तर्गत ही भूमि अलॉट की जा सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तीसरे आइटम के लिए 'जी नहीं' कहा, इसके संबंध में स्पष्ट लिखित आदेश हैं। उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको भूमि अलॉट कर दी जायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह के आदेश नहीं हैं। आदेश इस बात का है कि जो लैण्ड के परमानेन्ट अलॉटमेन्ट के विषय में रूल्स हैं उनके अन्तर्गत निश्चित अवधि के पहले उनकी दर्ख्वास्त जेरे-कार्यवाही है और वह मैरिट्स पर एलीजीबल फोर अलॉटमेन्ट है तो उनको अलॉट किया जायेगा, उनको तरजीह दी जायेगी जागीरदारों के मुकाबले, चाहे उनको अलॉट ही हो गयी हो। लेकिन इस केटेगरी में टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स नहीं आते हैं। तो जिनको परमानेन्ट अलॉटमेन्ट हो चुका है उनको कब्जा देने का निर्णय लिया गया था।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : प्रश्न यह है कि उन कापड़ियों ने ५५ से ५९ तक उस जमीन को नोतोड़ करके काबिले-काश्त किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेम्पोरेरी कल्टीवेशन था।

श्री श्योपतसिंह : तो जमीन क्यों नहीं दी गयी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको परमानेन्ट राइट्स एक्रू नहीं हुए थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब ये कापड़िये ३६ से काबिज थे तो सरकार इसको उचित नहीं समझती कि जिन लोगों को बेदखल कर दिया गया तो उनके भूमि टेम्पोरेरी या परमानेन्ट जैसी भी होती, अलॉट करती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो यह है कि ५५-५६ में जिनको जमीन आरजी तौर से अलॉट हुई थी उनको ५९ में बेदखल किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे १९३६ से काश्तकार चले आ रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह प्रश्न ही नहीं है। ५५-५६ में आरजी तौर पर कल्टीवेशन के लिये अलॉट की गयी थी उनको ५९ में बेदखल किया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टेम्पोरेरी कल्टीवेशन का हकदार होने के लिए आपके नियमों में ४७ से गिरदावरी होना जरूरी था। इसी आधार पर उनको ५५-५६ में अलॉट हुई वरना वह टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स का अधिकार ही नहीं बनता।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई ।

तहसील सांचोर की सहकारी समितियों को ऋण

५३. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांचोर में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जो काफी समय पहले दर्ज की जा चुकी हैं; परन्तु उनको अभी तक ऋण नहीं दिया गया है ?

(२) ऐसी समितियों को कब तक ऋण मिलने की संभावना है तथा ऋण शीघ्र दिलवाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह): (१) ३० सहकारी समितियां ।

(२) जिन समितियों को ऋण की आवश्यकता है उनको मार्च सन् १९६३ तक ऋण मिल सकेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: ये ३० सोसाइटियां हैं, इनका प्रश्न है। उनको कब तक मिलेगा ?

श्री भीमसिंह: उन्हीं के लिए मैंने निवेदन किया कि जिन जिन को आवश्यकता है उनको ६३ में ऋण मिल सकेगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई: अब तक नहीं मिलने के कारण भी पूछे हैं ?

श्री भीमसिंह: इसके अलग अलग कारण हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: मैं तो इन्फोर्मेशन लेना चाहता हूं वह क्या है ?

श्री भीमसिंह: उनके कारण निम्न हैं:—(१) हिस्सा राशि समिति द्वारा बैंक में जमा न कराने पर।

(२) ऋण-पत्र बैंक में हैं। समिति द्वारा हिस्सा राशि बैंक में जमा न कराने पर। सदस्य ऋण नहीं चाहते हैं। ऋण मन्जूर हो चुका है।

(३) ऋण-पत्र तैयार हैं। समिति द्वारा मार्केटिंग के हिस्से नहीं खरीदने के कारण।

(४) समिति ऋण नहीं लेना चाहती। समिति कार्य नहीं कर रही है। समिति ने ऋण-पत्र नहीं दिया। समिति ने ऋण की मांग नहीं की है। ऋण-पत्र बन गये हैं, समिति ने हिस्सा राशि पूरी नहीं की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: कार्य नहीं करने का बताया। ३० सोसाइटियां ऐसी हैं उनके ऋण-पत्र तैयार हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज हिसाब नहीं देतीं तो उनको ऐसी अड़चनें नहीं डालनी चाहिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री जयनारायण ।

टोंक में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की नियुक्ति

५४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला टोंक में इस साल कितने नये अध्यापक लिए गए ? उनमें से कितने अध्यापक अनुसूचित जाति के लिए गए और वे कुल संख्या के कितने प्रतिशत हैं ?

Page No 25

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के अध्यापक रिजर्व कोटे के अनुसार नहीं लिए गए ? कुल लिए गए अध्यापकों की लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार ऐसे ऑफिसर के प्रति कोई ठोस नीति अपनाने का विचार रखती है जिन्होंने जानबूझ कर उक्त कोटे को पूरा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जिला टोंक में माह जुलाई से माह अक्टूबर तक कुल १०० नये अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें से अनुसूचित जातियों के ९ अध्यापक नियुक्त किये गये। इनका प्रतिशत ९ है।

(२) नियोजन कार्यालय द्वारा १२७ प्रार्थी भेजे गये थे, जिनमें १३ प्रार्थी अनुसूचित जाति के थे। इन १३ प्रार्थियों में से ९ की नियुक्ति कर ली गयी, बाकी के ४ इसलिए नियुक्त नहीं किये गये क्योंकि उनकी नियुक्ति पहले ही पंचायत समितियों में हो चुकी थी। नियुक्त किये गये अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) जितने भी अनुसूचित जाति के प्रार्थी नियोजन कार्यालय द्वारा भेजे गये थे वे नियुक्त हो गये। अतः अफसरों के खिलाफ कठोर नीति अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने पहले प्रश्न के उत्तर में सूची पेश की है और सूची अध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि जो पढ़ी नहीं जा सकती।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी नीति सरकार द्वारा बना ली गयी है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो मैं ही अनुभव कर रहा था लेकिन दूसरों ने भी इसे अनुभव किया है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह ऐसी सूची बनावे जो कि पढ़ी जा सके।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपको जो कॉपी मिली, मैं उसको देख नहीं सका था लेकिन भविष्य में आपको सूची पहले दर्जे की होगी और कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि एक ही कागज में ५८ नाम दिये गये हैं · · · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं विश्वास दे चुका हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

Father Father mercy take
Never shall I Verses make.

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने ९ अध्यापकों के लिए कहा है और सूची में ७ हैं तो आप सही हैं या यह सूची सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची में आपने अस्पष्ट देखा होगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि सूची स्पष्ट नहीं है। बाकी जो मैं कह रहा हूं वह बिलकुल निश्चित् है। आपने कहा कि स्पष्ट नहीं है, पढ़ा नहीं जाता वहीं गड़बड़ी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो फिर सूची देने की क्या जरूरत है ? इसका मतलब तो यह हुआ कि सूची गलत है।

Page No 26

श्री निरंजननाथ आचार्य : कहीं ज्यादा ठेस लगी है टाइप की । अगर कहीं कॉन्ट्रो-डिक्शन है तो मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सूची पहले अस्पष्ट इसलिये दी है कि आप उत्तर सही न दें ?

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर भी १०० में से कितने अध्यापक लिए जाने चाहिए और जानबूझ कर जो कोताई की है········

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि प्रार्थी जितने आये उसमें से सब को लेने का विचार था लेकिन ४ पहले से ही नियुक्त हुए थे पंचायत समिति में, यह प्रश्न था । इस समय नीति का कहां प्रश्न है ?

एक माननीय सदस्य : ९ परसेन्ट का हिसाब है तो जो १२ परसेंट का हिसाब है उसको पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ९ इसलिए लिये कि ४ आदमी पहले ही नियुक्त हो चुके थे । इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी अनुसूचित जाति के थे सबको अपोइन्टमेन्ट मिल गया ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ऐसा नहीं है। भेजे गये हैं १३ और अब भी शिड्यूल्ड कास्ट के ऐसे व्यक्ति बहुत बेकार हैं जिनको कि मेट्रिक किये हुए दो दो साल हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

उपरमाल बिजौलिया में लागबाग बेगार आन्दोलन

५५. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उपरमाल बिजौलिया में लागबाग बेगार आन्दोलन कब हुआ और इसके संचालक कौन थे ?

(२) क्या यह सही है कि विजयसिंह पथिक को मेवाड़ सरकार ने रियासत बाहर कर दिया था ?

(३) क्या विजयसिंह पथिक द्वारा लिखी गई हस्तलिखित कुछ पुस्तकें राजस्थान सरकार की मदद से प्रकाशित हुई हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब कितनी धनराशि दी गई थी और उस धन-राशि से कौन कौनसी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ?

(५) क्या सरकार यह महसूस करती है कि राजस्थान की जन-जागृति के जन्मदाता, स्वर्गीय श्री पथिक की सेवा, कार्यकुशलता, राष्ट्रीय भावना की याद बनाये रखने के लिए कुछ किया जाये ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सर्व प्रथम आन्दोलन सन् १६११ में प्रारम्भ हुआ। इसके संचालक कौन थे, इसका पता नहीं है। श्री पथिकजी दूसरे आन्दोलन के संचालक थे, जो सन् १९१५ में हुआ।

(२) श्री पथिकजी का, उनके सन् १६२८ में जेल से रिहा होने के बाद मेवाड़ प्रवेश निषेध कर दिया गया था।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(३) जी, हां।

(४) राज्य सरकार ने ५,०००) रु० की धनराशि दो किश्तों में दिनांक १५-६-५६ और २६-३-६० को दी। प्रत्येक किश्त २,५००) रु० की थी। इस धनराशि से निम्न पुस्तकें प्रकाशित की गई:—

१. पथिक प्रमोद,
२. पथिक विनोद व
३. प्रहलाद विजय।

(५) सरकार के सामने यह प्रश्न इस समय नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': इस आन्दोलन के संचालक का पता नहीं बताया कि कौन थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसान स्वयं। जो १६११ का आन्दोलन हुआ था वह किसानों ने स्वयं ने चलाया था। किसी एक के नेतृत्व में आन्दोलन नहीं हुआ था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : किसी की सूझबूझ तो होगी?

श्री कुमारानन्द (ब्यावर): १९२० में भी विजयनगर में आन्दोलन हुआ था जिसको पथिकजी ने चलाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :—मैंने कहा न कि १९१५ का जो आन्दोलन हुआ उसके नेता भी पथिकजी थे। उसके बाद भी आन्दोलन हो सकते हैं। यह १९११ में जो सबसे पहला आन्दोलन हुआ वह स्वयं किसानों द्वारा ही चलाया गया था।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): छोटा-मोटा कोई तो नेता होगा इसका?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उनके ऊपर रियासत में घुसने की पाबन्दी कितने दिनों तक रही?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे उसकी अवधि अभी ठीक तौर से याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी दिनों तक यह रहा और शायद ३८ के बाद किसी समय उसको रिलेक्स किया गया था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : उस पाबन्दी के साथ साथ उनके कार्यालय पर छापा मार कर कुछ सामान भी लेगये थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके पास से प्रेस वगैरह जब्त किया गया था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पाबन्दी समाप्त होने के बाद क्या सामान वापिस सम्भला दिया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सामान संभलाने का तो पता नहीं, क्योंकि प्रश्न में जितनी जानकारी चाही थी वह दे दी। अब सामान वगैरह के बारे में क्या हुआ, यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उनकी यादगार में मेमोरियल जैसी चीज बनाने की तरफ क्या सरकार विचार करेगी? जिन्होंने राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है उनकी यादगार में कुछ न कुछ स्मारक तो बनना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह एक व्यापक प्रश्न है और मैं समझता हूं कि अभी इसके बारे में यह कह सकूं कि हम इसके लिये अमुक स्मारक के बारे में तय करेंगे, यह मुश्किल होगा।

Page No 28

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सरकार ने ५ हजार रुपये लगा कर जो पुस्तकें प्रकाशित की हैं क्या उन पुस्तकों का उपयोग किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : जो पुस्तकों का होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पढ़ रहे हैं पढ़ने वाले। किसने कैसे पढ़ा और उन पर क्या असर पड़ा, यह मैं कैसे बतला सकता हूं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सरकार ने सार्वजनिक लाइब्रेरियों व स्कूल की लाइब्रेरियों को भेंट की हैं अथवा उसके लिए कहा गया है, ताकि स्कूलों के विद्यार्थियों और लोग उसको पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(१२.३ म प)

स्वर्ण-नियन्त्रण आदेश के कारण स्वर्णकार मजदूरों के बेकार होने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा ने स्वर्ण-नियन्त्रण आदेश के कारण स्वर्णकार मजदूरों के बेकार हो जाने तथा उन्हें अविलम्ब राहत पहुंचाने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। स्वर्ण-नियन्त्रण आदेश लगभग ११। माह पूर्व जारी किये गये थे। चूंकि ये आदेश केन्द्रीय सरकार ने जारी किये, अतः इसके लिये राज्य सरकार का सीधा उत्तरदायित्व नहीं है; यद्यपि स्वर्णकार मजदूरों को नया काम देना तथा उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य राज्य-सरकार से संबंध रखता है। मैं उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। माननीय सदस्य व अन्य माननीय सदस्यों को इस विषय में बोलने का अवसर इसी सत्र में प्राप्त हो सकेगा। राज्य सरकार की ओर से इस विषय में जानकारी दी जा सकेगी कि स्वर्णकारों को राहत पहुंचाने और सहायता देने के लिये अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं।

कार्य-सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर सहमति

श्री मथुरादासमाथुर (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये समय-निर्धारण

श्री अध्यक्ष : अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस जारी करने से पूर्व बहस की किस तरह से व्यवस्था की जायगी और किस तरह से उसके समय का निर्धारण होगा, उस विषय में मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। भाषणों की अवधि १०–१५ मिनट से ज्यादा न हो। साधारण

(श्री अध्यक्ष)
तौर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को अधिक समय दिया जायगा। परन्तु अगर वे अपने भाषणों में ज्यादा समय लगाते हैं तो सामान्यतया उनके दल के अन्य सदस्य-गणों को बहुत कम या बिल्कुल ही समय नहीं दिया जा सकेगा। सदन में विभिन्न दल व पार्टियां हैं, उनको समय उनकी सदस्यता के अनुपात से देने का प्रयास किया जायगा, परन्तु छोटे दलों को इस अनुपात से ज्यादा समय भी दिया जा सकता है जिस परिस्थिति में बडी पार्टियों को; उसी अनुपात से समय मिल सकता है। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे भी कृपया १०–१५ मिनट से ज्यादा भाषण नहीं दें, उसके उपरान्त भाषण समाप्त कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों के बोलने की जो इच्छा है वे बहस में हिस्सा ले सकें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: श्री हरदत्तसिंह।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): (पूर्व क्रम से जारी) अध्यक्ष महोदय, कल सदन के समय की समाप्ति के समय मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेसी और सरकारी क्षेत्रों में इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने बडी तरक्की की है। मैं मानता हूं कि आपने तरक्की की है, लेकिन सबसे ज्यादा तरक्की जो हुई है वह भ्रष्टाचार और भाषणकला की हुई है। भ्रष्टाचार तो क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है, ऐसी आम शिकायत है। इसके लिये मैं तुलसीदासजी का एक उदाहरण पेश करता हूं। वे जब अपनी पत्नि-प्रेम में रत होकर एक नाग को पकड़ कर मकान पर पहुंच गये थे तो उस देवी ने तुलसीदासजी के लिये कहा था कि आपने जितनी शक्ति मेरे लिये खर्च की है यदि वही शक्ति राम की भक्ति में खर्च करते तो कुछ बन जाते। इसी तरह से मैं आपके द्वारा सरकारी बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि जितनी आपकी शक्ति भ्रष्टाचार और भाषणकला में जाया होती है यदि उतनी ही शक्ति देश के आर्थिक निर्माण के लिए लगा देते तो आज चीन की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश की तरफ आंख उठा कर देख सकता था।

इस बारे में मैं दो-तीन प्रमाण उदाहरण के लिए पेश करूंगा। साथ ही मैं माफी चाहूंगा उन मंत्री महोदय से जिनके विभागों से वे संबंधित हैं। अगर वे चाहेंगे तो निजी तौर पर उनको पूरी जानकारी दे सकता हूं। मेरे क्षेत्र में तीन पुलिस स्टेशन्स हैं; भादरा, बिरानी और नोहर। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जो आम शिकायत है वह पुलिस विभाग के बारे में है। अकर्मण्यता की जो शिकायत है वह सबसे ज्यादा पुलिस विभाग की है। इसके लिए मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगा। पुलिस स्टेशन भादरा के क्षेत्र में ९ महीने पहले एक आदमी का कत्ल कर दिया गया। उस कत्ल के मामले में चार आदमी गिरफ्तार हुए। एक महीने तक वे जेल में रहे, इसके बाद में उन चारों आदमियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद में दो और आदमी गिरफ्तार किये गये और एक महीने तक जेल में रखा गया। इसके बाद में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया। कत्ल के मामले हैं, अध्यक्ष महोदय और पुलिस की रिपोर्ट पर जमानत पर छोड़ दिये जाते हैं। वह मामला उसी वक्त सी० आई० डी० के

(श्री हरदत्तसिंह)

क्रिमिनल सेक्शन में चला जाता है। आज उसे गये हुए इतना समय हो गया है। पता नहीं वह कहां सोया हुआ पड़ा है या उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इस कत्ल में जो मारा गया उसका नाम बता दें तो आसानी होगी फाइल निकालने में।

श्री हरदत्तसिंह : मारा गया, उसका नाम रामसिंह था।

इसी तरह से थाना पुलिस बिरानी के मामले की बात अर्ज करता हूं कि वहां के स्कूल की कमेटी के एक सदस्य ने आज से ९ महीने पहले एन्टी-करप्शन के कार्यालय में एक दर्ख्वास्त पेश की कि वहां के सरपंच ने स्कूल के नाम से इकट्ठा किये गये चन्दे में १०,०००) रु० का गबन कर दिया है और वापिस नहीं दिया है। जांच का हुक्म हुआ। इसके बाद में वे कागजात फिर उसी सी० आई० डी० के क्रिमिनल सेक्शन में चले गये और आज इतना समय हो गया वह मिसल वहीं सोई हुई पड़ी है, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। गवाह सुबूत हुए ५ महीने हो गये, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी खुद ध्यान नहीं देंगे तो फैसला नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह मेरे से क्या संबंध रखता है ? वह डिपार्टमेंट उसका जवाब देगा। मैं पहले वाले का जवाब दूंगा तथा दूसरे का संबंधित मंत्री महोदय।

श्री हरदत्तसिंह : इसी तरह से एक नोहर का उदाहरण पेश करता हूं। तहसील नोहर में जालनावास की ग्राम-पंचायत है। वहां की पंचायत ने अपने एक निर्णय से नाजायज कब्जा एक बाड़े पर से उठवाया और उसमें जो थेपडियां थीं जो कि २-४ रुपये की थी उन्हें वहां से उठवाकर किसी एक मोतबिर आदमी के पास रख दिया। उस आदमी ने जिसने कि नाजायज कब्जा कर रखा था उसने तमाम पंचायत पर डकेती का मुकदमा दायर कर दिया और आपको ताज्जुब होगा कि सिवाय सरपंच के तमाम पंच गिरफ्तार हो गये और सरपंच की गिरफ्तारी के कागजात भी आपके डिपार्टमेंट में चल रहे हैं।

इसी तरह से तारानगर थाने की बात की तरफ आपका ध्यान जरूर दिला देना चाहता हूं। तारानगर थाना जिला चुरू में है। वहां पर एक लड़की का अपहरण कर लिया गया।

उस अपहरण के मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस लड़की को बरामद करने के लिये पंजाब में गई। अपहरण करने के तीन-चार रोज बाद तक वे लोग लड़की को लिये हुए फिरे। आखिर में उसको जंगल में रखा जहां से वह निकल भागी। लड़की ने पुलिस थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई और थानेदार के सामने उसके बयान भी हुए, लेकिन उस थानेदार ने चार दिन तक उसका मुआयना नहीं करवाया ताकि बलात्कार साबित नहीं हो सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक-दो मुल्जिम उस थानेदार के रिश्तेदार थे, इसलिये उसने मुआयना नहीं करवाया। इसके अलावा वह पार्टीबाजी में था इसलिये उसने लड़की पर दबाव डाला कि तुम फलां आदमी का नाम ले लो तो मैं कार्यवाही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज १५ रोज हो गये, कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन

(श्री हरदत्तसिंह)

अब उस थानेदार का वहां से तबादला हो गया है ।

एक माननीय सदस्य : इसका तो शुक्रिया दो ।

श्री हरदत्तसिंह : पनिशमेन्ट के तौर पर तबादला नहीं हुआ है, रूटीन में हुआ है ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : और अच्छा थाना दे दिया होगा ?

श्री हरदत्तसिंह:—यह पता नहीं, कैसा थाना दिया । रिश्वत का जो इल्जाम सरकारी अफसरों पर लगाया जाता है उसका कुछ नहीं होता । हमारा जन-मानस, जनता इतनी भोली है कि वह रिश्वत लेनेवालों से इतनी परेशान नहीं है जितनी मंत्रियों से है । वे कहते हैं, माफ कीजिये, थानेदार की शिकायत करें तो डी. आई. जी., आई. जी. कुछ नहीं करते क्योंकि मिनिस्टर साहब उस पर मेहरबान हैं और वे किसी की सुनते नहीं हैं, इसलिये मंत्रियों पर ही सारा दोष है ।

इसके अलावा मैं और ताजा नमूना आपके सामने पेश करता हूं । समाज कल्याण विभाग ने कुछ दिन पहले नशाबंदी के बारे में किसी लेखक से पुस्तिका लिखाई/लेखक ने हुक्म के मुताबिक पुस्तिका लिख कर दे दी । कई माह बाद उसने पेमेन्ट करने का तकाजा किया तो कार्यालय से पता लगाया तो सूचना मिली कि डाइरेक्टर साहब ने पेमेन्ट रोक दिया । उसने पूछा कि क्यों रोका गया, तो यह बताया गया कि टेन्डर नहीं लिया गया इसलिये रोक दिया । जहां पुस्तक लिखने वाले लेखकों पर टेन्डर की पाबन्दी हमारे अफसर लगाते हैं वहां आप क्या समझते हैं । सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव टैगोर आज नहीं रहे, वर्ना उनसे गीतांजली के लिये भी टेन्डर जरूर मांगते और इस पर भी उनको टेन्डर मिलता या नहीं मिलता ।

मेरे पास और भी मिसालें हैं, जिनकी तरफ सरकार का ध्यान माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत दिला देना चाहता हूं । जंग शुरू होने के थोड़े दिन बाद जब जनता गर्म थी, जोश था उस समय चूरू नगर में सोहनलालजी दूगड़ की अध्यक्षता में एक आम सभा हुई । वहां के एक कोठारी सज्जन थे उन्होंने अपनी २००) रु० की घड़ी और १५) रुपये का जो उसका पट्टा आता है वह रक्षा कोष में दिया । आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि १५) रु० का पट्टा और २००) रु० की घड़ी वहां के नायब तहसीलदार ने नीलाम किये, सिर्फ १४॥) रु. में । हनुमानसिंह नाम का एक व्यक्ति जो ढाढर गांव का रहने वाला है उसके नाम से नीलाम की बोली खत्म की । ढाढर गांव में जब पता लगाया गया तो न तो वहां वह घड़ी ही मिली और न पट्टा ही मिला, बल्कि १४॥) रुपये नकद रक्षा कोष में नहीं जमा कराये गये, बल्कि तहसीलदार की तनख्वाह में से काट कर जमा कराये गये । इसलिये मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मिस-एप्रोप्रियेशन इस तरह के लोगों पर नहीं लागू होता है । मुझे बताया गया है कि वह नायब तहसीलदार किसी सी. क्लास कांग्रेसी नेता का रिश्तेदार बताया जाता है . . . .

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : हमारे यहां कोई सी क्लास नहीं है । जब से आप गये, तब से उठा दिया है ।

श्री हरदत्तसिंह : आपके यहां होता है ।

Page No 32

(श्री हुरदत्तसिंह)

एक बात और अर्ज कर देता हूं। २४ तारीख को........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह 'सी क्लास' कौनसा होता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से ही पूछिये।

श्री हरदत्तसिंह:—मैं आपको अभी जानकारी दूंगा, तसल्ली रखिये।

उसी चूरू में २४ तारीख को एक सभा रक्षा कोष के लिये हुई, जिसमें डिप्टी मिनिस्टर माननीय श्री चंदनमलजी वैद भी उपस्थित थे और कलेक्टर साहब भी उपस्थित थे। उन्होंने रक्षा कोष के लिये जब चंदा मांगा तब जनता ने यह मांग की कि हमारे यहा २५०) रु० की घड़ी और १५) रु० का पट्टा १४॥) रु० में कैसे नीलाम हो जाता है, हमारा पैसा लोग बीच में ही खा जाते हैं। यह बात यदि गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूं, उनसे पूंछ लीजिये।

किसी जमाने में शिवरात्रि के पर्व के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि भगवान् शिवजी पर जो भोग चढ़ाया था उसे चूहिया खा गई, उसी समय से स्वामी दयानंद को वैराग आया और मूर्त्ति पूजा के नाम पर, उसके खिलाफ नारा बुलन्द करके उन्होंने आर्य समाज की नींव डाली। आज भारत माता की रक्षा के लिये जो भोग नागरिक पूजा करके चढाते हैं उसको सरकारी नौकरोंरूपी चूहिया खा जाती है और उस पर आप दयानन्द की तरह से कोई कार्यवाही नहीं करते। आपको सोचना चाहिये कि इस तरह से ये पुजारी करते रहेंगे तो भारत माता के पवित्र मंदिर की प्रतिष्ठा भंग हो जायगी। आज महमूद गजनवी की शक्ल का चीन भारत पर चढ़ आना चाहता है और सोमनाथ के पुजारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अदब के साथ कहूंगा कि एक बार फिर आप दयानंद नहीं बनें तो कम से कम सोमनाथ के पुजारी तो जरूर न बनें........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एक माननीय सदस्य पत्र पढ़ रहे हैं।

श्री हरदत्तसिंह : मैं पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, रेफरेन्स दे रहा हूं।

जनता सरकार से दो चीजों की अपेक्षा करती है; एक ईमानदारी की और दूसरी जन-हित की। ये दोनों चीजें कायम रहेंगी तो जनता का सहयोग मिलता रहेगा, इनमें कमी आयेगी तो कुछ नहीं होगा। सरकारी बैंचों पर बैठे हुए मंत्रियों को स्थान जनता के विश्वासरूपी चादर ओढ़ने से ही मिला है। उस विश्वासरूपी चादर को भ्रष्ट कर देंगे तो उस पर के दाग साफ दिखाई देंगे और उन दागों से चादर नष्ट हो गई तो उनको धोखा होगा। आप याद रखिये :

"जैसी मुझको मिली चदरिया,
वैसी की वैसी धर दीनी चदरिया।
मूरख को जो मिली चदरिया,
मैली करके दीन्ही चदरिया ॥"

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : ड्राई क्लीनिंग करवा लेंगे।

श्री हरदत्तसिंह : मैं एक बात पी.-डब्ल्यू. डी. विभाग के मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं। बिजली विभाग के अफसर

Page No 33

(श्री हरदत्तसिंह)

ऐसे हैं कि बिजली के बिलों का पेमेन्ट कर दिया जाता है, फिर भी बिल्स देख कर दुबारा फिर पेमेन्ट लिया जाता है। जब उनकी शिकायत की जाती है तो उस पर कोई गौर नहीं करते हैं। मैं खुद इसका भुक्त-भोगी हूं। एक बार दिया हुआ बिल का पेमेन्ट फिर मांगा गया है। दूसरे पंडित झमनलाल हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर दुबारा पेमेन्ट नहीं करते हैं तो कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है। मैं पी. डब्ल्यू. डी. के मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जो [illegible]उन्टेन्ट्स रखते हैं तो उनको जरा जोड़ बाकी अच्छी तरह से सिखा दीजिये ताकि ठीक ढंग से हिसाब रखें और लोगों से दुबारा नहीं मांगें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप भी सीख जायं, गलत पेमेन्ट न करें।

श्री हरदत्तसिंह : मेरे को पेमेन्ट करना पड़ता है; अगर न करूं तो कनेक्शन कट जायगा और घर में अंधेरा हो जायगा और अंधेरा मुझे पसन्द नहीं है।

तो मैं अपने अमेंडमेंट के बाबत यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। किसान आपको अन्न की पैदावार करके देता है, किसान आपको चन्दा देता है, किसान आपको सोना देता है और किसान आपको लाख-लाख रुपये के जवान फौज में लड़ने के लिए देता है। लेकिन हम कुछ रियायतें मांगते हैं किसानों की ओर से तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी पैदावार पर टैक्स लगाया जाता है, उनके ऊंटों पर टैक्स लगाया जाता है और साथ ही उनके लगान की दरें बढ़ाने की योजनायें चालू हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज हिन्दुस्तान की बाउन्डरी पर चीनी फौजों से लड़नेवाले सत्तर-अस्सी प्रतिशत किसानों के लड़के हैं। अगर आप उनको राजी रखना चाहते हैं, उनके हौसलों को कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह लाजमी है कि आप उनके मां-बाप, भाई-बेटे और उनके परिवारों को राहत दें। अगर आप राहत नहीं देना चाहते हैं तो आपको इतना जरूर करना चाहिए कि जो लगान चालू है, उसके लिए आप उनको यह आश्वासन दे दीजिये कि जब तक जंग चालू है उनके ऊपर लगान नहीं बढ़ाया जायगा।

किसानों के सम्बन्ध में मैं एक और अर्ज करूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिनके पास दस-बारह साल से जमीन काश्त के लिए थी उनको कानून के मुताबिक खातेदारी हक मिल गया, जिनके पास भाखरा क्षेत्र में दस-बारह साल से काश्त के लिए जमीन थी उनको भी खातेदारी हक मिल गया; लेकिन आज भी भाखरा क्षेत्र में हजारों परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास सैंकड़ों वर्ष से जमीनें थीं; लेकिन उन पर उनका हक नहीं था, उनका इतना सा कुसूर था और वह यह था कि सैंकड़ों वर्षों से, पीढ़ियों से सरकारी नौकर—चाहे वे राजाओं के नौकर रहे और चाहे कांग्रेसी सरकार के नौकर रहे, उनकी वे चार-पांच रुपये सालाना लगान को बचाने की एवज में सेवा-चाकरी करते रहे, उनके ऊंटों को दाना-पानी देते रहे, उनकी रोटी बनाते रहे और उस सेवा-चाकरी के बदले में उनको काश्त के लिए जमीन मिली रही लेकिन उनको उस पर हक नहीं मिला। यह बहुत अफसोस की बात है। मैं अर्ज करता हूं कि हर गांव में आपको आठ-दस परिवार

(श्री हरदत्तसिंह)

मिलेंगे जो बेगारी, चौकीदार आदि कहे जाते हैं। ये लोग ऐसे माफीदार हैं, जिनको जमीन पर हक नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि क्या वे आज भी बेगार के हामी हैं ? क्या अब भी चार, पांच, आठ, दस रुपये सालाना का लगान छोड़ कर सेवा चाकरी पर उनको जमीन देंगे ? क्या अब भी उनको जमीन का हक नहीं देना चाहते हैं ? मैं पूछता हूं कि क्या आज भी जब थानेदार गांवों में जाता है तो किसान से उसका काम छुड़वा कर थानेदार की चम्पी करने की आदत को छुड़ा देना चाहते हैं ? मैं आपको अर्ज करूंगा कि बेगार के नाम पर दस-बारह साल से उनको जमीन पर हक से वंचित कर दिया गया है, लेकिन अब उनसे लगान लेकर उनको खातेदारी का हक दे दें।

इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों की ऐसी हालत है कि उनसे रिश्वत लिये वगैर, पैसा लिये वगैर कोई बात नहीं करता है। यहां तक कि पटवारी भी उनको परेशान करता है। ऐसी हालत में ग्राम काकी को भेज कर आप क्या करेंगे, यह हमें नहीं मालूम।

मैं अपने भाषण के अंत में एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिला गंगानगर में न तो इधर जैसे नरेश हैं और न अरबपति-करोड़पति मिल मालिक हैं, फिर भी मुख्य मंत्रीजी की अपील पर गंगानगर, जिसने कि कांग्रेस का मुकाबला किया और कांग्रेस को फेल किया, जब वहां की जनता, वहां के नुमाइन्दों ने सुना तो मुख्य मंत्री की उस अपील पर सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा सोना दिया। वह सब सोना वहां की आम जनता और साधारण जनता ने दिया है और आपके बड़े बड़े ऑफिसरों ने अपनी तनख्वाह और शक्ति के मुताबिक कुछ भी नहीं दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप जनता की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो अब जैसे चीन से लड़ने की नौबत आई है, वैसी अगर फिर नौबत आ गई तो वहां के नागरिकों के पास जो कुछ भी है वह सब आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देंगे। हम नहीं चाहते कि जैसे आप आज कांग्रेसी क्षेत्रों में चिल्लाते हैं कि ये राइटिस्ट्स हैं, ये कांग्रेस को पदच्युत करने की कोशिश करेंगे और कभी यह कहते हैं कि लेफ्टिस्ट्स हैं ये कांग्रेस को पदच्युत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि गरीब किसान की सेवा होती रहे, उन पर टैक्स इस साल नहीं बढ़ायें तो आपको राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट पदच्युत नहीं कर सकेंगे।

आज गद्दारी की बात की जाती है। यह सवाल सदन में आता है कि राइटिस्ट भी कहते हैं कि कॉम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय नीति के अनुसार कॉम्युनिस्ट देश की गद्दारी करने को प्रेरित होंगे। इधर लेफ्टिस्ट कहते हैं कि राइटिस्ट नेहरूजी को पदच्युत करके अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है····

श्री विजयसिंह झाला : आपकी कौनसी साइड है ?

श्री हरदत्तसिंह : मैं आपसे अर्ज करता हूं कि न तो राइटिस्ट पदच्युत करेंगे और न लेफ्टिस्ट्स कर सकेंगे और करेंगे तो वे गुप्त रूप से नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इस देश के साथ गद्दारी होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कांग्रेस-तंत्र ऐसा है कि कांग्रेस के भाइयों में भ्रष्टाचार करने की आदत

(श्री हरदत्तसिंह)

पड़ गई है इसलिए भ्रष्टाचार करने वाले ही ऐसा सोच सकते हैं और वे ही गद्दारी कर सकते हैं। कांग्रेस खुद अपने से गद्दारी कर सकती है, और किसी के गद्दारी करने की सम्भावना नहीं है। मैं इन बातों के साथ अपना भाषण समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आज आपको चीन-चान से डरने की जरुरत नहीं है। कल मेरे से पहले बोलने वाले सज्जन ने कहा था कि चीन की जन-शक्ति अपार है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चीन की जन-शक्ति अपार थी, लेकिन जापान की सात करोड़ की आबादी थी लेकिन उसने सात करोड़ की आदबादी से चीन को दबा दिया। यह सही है कि आज चीन में जिनका शासन है, उनके पास शक्ति है, उनके हाथ में ताकत है; लेकिन जैसा कि कल नेहरूजी ने फर्माया है कि राष्ट्र में शक्ति रहेगी, जनता की शक्ति रहेगी तो चीन से बातचीत नहीं करेंगे और वह शक्ति होगी तो आपके आचरण से और आपकी ईमानदारी और बर्ताव से। इसलिए चीन-चान से डरने की जरुरत नहीं है, अगर डरने की जरुरत है तो अपने अन्दर से डरने की जरुरत है। अगर हम अपनी कमजोरी दूर कर दें तो अच्छी से अच्छी शक्ति–कोई शक्ति हमें नहीं डरा सकती। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है, इसमें किसानों के प्रति कोई खास रियायत का भाव या संकेत नहीं है। उसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि राष्ट्र को कमजोर करनेवाली शक्ति है, जो इस भ्रष्टाचार की शक्ति है, उसको मिटाने के लिए किसी डिग्री का कोई संकेत नहीं है। इसलिए, जब तक मेरे दोनों अमेंडमेंट्स स्वीकार नहीं हो जाते, मैं सदन से बहुत गुजारिश से निवेदन करूंगा कि तब तक धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करें। इसके साथ ही मैं प्रस्तावक महोदय को निवेदन करूंगा कि वे मेरी सारी बात को सुन कर मेरे अमेंडमेंट्स को मंजूर कराने में सहायता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : संशोधन इस प्रकार है:

"धन्यवाद–प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ा जाय :—

"किन्तु खेद है :—

(१) कि सरकार चीनी आक्रमण के आधार पर राज्य में ऊपजी चेतना, जागृति और स्वदेशाभिमान को समाजवादी मूल्यों (socialistic values) में परिवर्तित नहीं कर सकी है। वह राज्य में एकता, उत्साह और समन्वय की लहर को चिरस्थायी बनाने के लिये ऐसा कोई ठोस प्रयास नहीं कर सकी है।

(२) कि अभिभाषण में इस बात का भी संकेत नहीं है कि जहां विकेन्द्रीकरण हुई सरकारी ताकत को छोटी छोटी समस्त प्रशासकीय इकाइयों में अधिक से अधिक बंट जाना चाहिये था वहां पंचायत व दूसरी इसी प्रकार की विकेन्द्रीकृत प्रशासकीय इकाइयों के अधिकारों को अधिकतर स्पष्ट और उन्हें कर्तव्य-निष्ठ बनाने में क्यों बाधाएं आयी हैं ?

(३) कि अभिभाषण में इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण अर्थ स्थिति (rural economy) अपने विकास के एक निश्चित बिन्दु पर आकर क्यों ठहर गयी है, तथा

(श्री केदारनाथ)

(४) कि सरकार ग्रामीण (Rural) व नगर (Urban) विकास के क्रम में जो भेद बढ़ता जा रहा है, उसको घटाने में या पूरा करने में असमर्थ रही है। "]

अध्यक्ष महोदय, चीन के हमले ने हमें, हमारी सरकार को व हमारे देश को एक इतिहास के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जब मैं सशम अटेन्ड करने आया तो मैं सोचता था इस बार हमारी स्टेट का कॉन्स्टीट्यूशनल हैड वह व्यक्ति है जिसके फर्म कन्विक्शन्स हैं, जिसने उसूल के लिए कुर्सी छोड़ दी, चीफ मिनिस्टर की। मेरे मन में ख्याल था, जैसे मिडीवियल टाइम में एड्रेस दिये जाते थे, वे जिस तरीके से बनाये जाते थे और पढ़े जाते थे, और जो ऑस्टेरिटी के सरमन्स देते थे, जनता को जो दूसरे उपदेश देते थे, मैं सोचता था, उसका किसी तरीके से रिफ्लेक्शन मिलेगा। मैंने उस एड्रेस को सुना और बाद में पढ़ा, लेकिन मेरे मन में प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई और न उत्साह ही पैदा हुआ। मेरा दिमाग इस ओर चला गया कि देश के संकट-काल में किन लोगों ने मदद की, किन लोगों में उत्साह पैदा हुआ, किन लोगों ने सोना दिया और किन लोगों ने खून दिया, किन लोगों ने फौज में लड़ाई लड़ी। उस वक्त मैं सोचता था, इतने नेशनल अपसर्ज ने शायद सरकार के दिमाग में चेतना पैदा कर दी होगी; क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे मौके आये, जब थिंकिंग को चैलेंज मिलता है, लाइन ऑफ एक्शन एण्ड थॉट को चैलेंज मिलता है। मैं समझता हूं, ऐसे तीन मौके हमारी सरकार ने खो दिये हैं; एक तो जब महात्मा गांधीजी शहीद हुए, उसको खो दिया, दूसरे जब काश्मीर का मसला पैदा हुआ तब मुमकिन हुआ था उसको खो दिया व उसके बाद, जैसे हर सरकार जब दस साल की प्लान लाइफ के बाद नये इलेक्शन लड़ने जाती है, तब घोषणा-पत्र निकालती है और नीति बताती है और चुनाव के फैसले होने के बाद वह लाइन ऑफ एक्शन सोचती है। उसको भी हमारी सरकार ने खो दिया। यह चौथा मौका है, जब नेशनल एमर्जेन्सी की बात हुई है। मैं समझता हूं कि सारी पॉलिसीज, सारे प्लान्स, सारी स्कीमें, सारे रिसोर्सेज और स्टेप्स के बारे में हम सोचें कि इन दस साल की प्लान्ड लाइफ का असर किस पर पड़ा। इन बातों के साथ मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा, अपने अमेंडमेंट तक। मैं सोचता हूं, मैं ऐसी बैंचेज पर बैठता हूं, जो अपने आपको इंडिपेंडेन्ट कहने का हक रखते हैं, जो नॉन अलाइनमेन्ट पॉलिसी पर बोलने का हक रखते हैं क्योंकि वे अपने आपको नॉन-अलाइन्ड कह सकते हैं। हम किसी ग्रुप को फोलो नहीं करते इसके बारे में जब कल मैंने सुना कि कई माननीय सदस्यों ने एलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि वे इस पर सही तरीके से नहीं सोच सके। जब हम नॉन-एम्लाइनमेन्ट पॉलिसी की बात कहें तो हमारे दिमाग में पोलिटिकल प्रेजुडिसेज आ जाती हैं। स्टूडेन्ट आफ यूनिवर्सिटी को भी अगर यह पूछा जावे कि सारे National and international development को देखकर अपनी बात कहे, तो वह भी यह कहेगा कि हमारी यह पालिसी ठीक थी। हमारी आलोचना की गई। जब कोलम्बो प्रस्ताव आया तो इसके बारे में ढिलाई आई और मैं समझता हूं कि सारी दुनियां में यह कहा गया कि they were put to international ridicule and humiliation तरह तरह के

(श्री केदारनाथ)

विचार आये। मगर इससे पहले कि हम इसका एप्रिसियेशन करें मैं आपकी इजाजत से कुछ बात जाहिर करना चाहता हूं कि चीन ने जब हम पर हमला किया तो क्या वह नेशनल लेवल पर या इन्टरनेशनल लेवल पर कामयाब हुआ? हमारी नॉन एलाइनमेंट पालिसी और सैल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी पर इसका असर पड़ा, वैस्टर्न एन्ड सोवियट कन्ट्रीज पर इसका क्या असर हुआ और हमारे पडौसियों पर इसका क्या असर पड़ा? यदि हम इसको देखें तो मालूम पड़ेगा कि हमारी नॉन एलाइनमेन्ट पालिसी, सैल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी, हमारे प्लाण्ड डेवलपमैन्ट, इन्डिपेन्डेण्ट डेमोक्रेटिक थिंकिंग हैं उसको हम डिग्रेड या उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। कुछ लैप्सेज हो सकती हैं, कुछ गल्तियें भी हो सकती हैं; मगर जिस तरह से हम चले और जो देश नये आजाद होते हैं उनको लाजमी तौर से सेक्रिफाइस करना पड़ता है, लाजमी रिवर्सेज फेस करने पड़ते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोपोजल्स को हम पढ़ें तो आठ सितम्बर के बाद की लाइन दुनिया के और देशों के सामने है।

उसके बाद मैं आपके प्रस्ताव पर आता हूं। मैंने गवर्नर के एड्रेस को पढ़ा और सोचा कि इसमें कोई नई चीज तो आवेगी। The rich can only pay for the war, मगर यह चीज नहीं मिली। मैंने यह भी सोचा कि शायद यह चीज नहीं तो दूसरी चीज मिलेगी क्योंकि यह भाषण ऐसे व्यक्ति से पढ़ा गया जिसको मैं समझता है, कि जिसके पास अपना व्यक्तित्व था, डेमोक्रेटिक थिंकिंग है। मैं यह चाहता था कि हर साल एसेम्बली का सेशन तीन बार हो ताकि मिनिस्ट्री की वर्किंग, पुल्स और पुशेज़ केबिनेट की होती है उस पर कुछ सुधार हो सके। कहीं थानेदार किसी के हक में है तो सी. ओ. उसके खिलाफ है। कलेक्टर किसी के हक में है तो नाजिम उसके विपरीत है। यदि हम दफ्तरों में जावें, अदालतों में जावें, थाने में जावें या कहीं सरकारी दफ्तरों में जावें तो हमें मालूम होता है कि हमारा एड-मिनिस्ट्रेशन क्या है। मैं नहीं चाहता कि पाटिल, डे और नन्दा ने जो इसके लिए कहा है उसका जिक्र करूं; लेकिन अगर आप नन्दा और पाटिल व डे के शब्दों को पढ़ें तो मालूम होगा, प्लान ठीक है, प्रोपोजल ठीक है, खर्चा ठीक होता है लेकिन फिजिकल टार्गेट ठीक नहीं होता है। यह क्यों? यह इसलिये कि हमने एक नई क्लास पैदा करदी है। आपने इसका इम्लीमेन्टेशन करके करप्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पैदा कर दी है। यह हमारी ही पैदावार है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इसको ठीक नहीं कर सकेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको ठीक करे। हमको इस माने में दूसरे पड़ौसी राज्यों से सबक लेना चाहिये। हम पंजाब से प्रेरणा लेते हैं, उसका असर हमारे पर पड़ता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सेन्टीमेन्ट में पंजाब से एक कदम आगे हैं। मैं समझता हूं कि आप एक कदम आगे हैं लेकिन साथ साथ यह भी आपको देखना होगा कि पंजाब ने अपने यहां एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से गियर (gear) किया है, किस तरह से उन्होंने, वहां के रिसोर्सेज थे उनको मोबिलाइज किया है और किस तरह

(श्री केदारनाथ)

से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को संभाला है। यह मैं नहीं कहता कि वहां पर रिश्वत नहीं या वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता है या अन्याय नहीं होता है, मगर एक बात मैं यह कह दूं कि वहां एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अच्छी तरह से संभाला है। मगर मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे इलाकों में इस एमर्जेन्सी के समय में जो नौकरशाही को बढ़ावा मिला है वह वहां पर नहीं है।

एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं जो आपसे संबंध रखती है। जब आप माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उधर पधारे २४ तारीख को उस समय हमारी यह मंशा थी कि हम सारे एम. एल. ए., प्रधान और दूसरे लोग मिल कर कम से कम आपको एक लाख रुपये की थैली भेंट करें। मगर वहां के अधिकारियों ने हमारी बात नहीं मानी; क्योंकि सरकारी मशीनरी के सामने हमेशा एक बात रहती है कि हमारा प्रोमोशन, हमारी ट्रान्सफर, हमारी नियुक्ति कौन करता है, उसमें बढ़ावा मिले। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसका इलाज न ढूंढा गया तो मैं समझता हूं कि बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जावेगी।

मैं एक बात आपको और कहूं कि लोगों के दिलों में तरह तरह के विचार पैदा होने लगे हैं और illusions and doubts हैं कि जिन लोगों ने पैसा दिया, सोना दिया वे वही लोग हैं जिनकी ग्रीवान्सेज को १० साल तक नहीं सुना, वे लोग हैं जहां पानी बहता है वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनकी प्रोब्लम बोर्डर इलाकों की प्रोब्लम है। नहरी पानी की प्रोब्लम अलग है। सोइल की, कोऑपरेशन की प्रोब्लम को हमेशा निगलैक्ट किया गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान को दो जोनों में बांट दिया जावे; एक सोइल के लक्षणों से हो और दूसरा पुलिस के हिसाब से हो। इसी तरह से प्लानिंग के तरीकों को बदलें तो इलाकों का भला होगा। ३० हजार भूमिहीन लोगों ने भूमि प्राप्त करने के लिये अपनी दरख्वास्तें दीं, मगर उनमें से ३ या ४ हजार को जमीन मिली होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं हुआ। हमारे यहां अधिकारी लोग अपनी कोठियों में बैठ कर यह चाहते हैं कि उनके अफसर काम करें और ठीक काम करते होंगे यह सोचें, यह गलत है। इसका गलत असर पड़ा है। जमीन लेने के मामलों में मैं यह कहूंगा कि किसी जमींदार से जमीन नहीं ली इससे उन लोगों पर असर पड़ा जिनके पास जमीन नहीं। इसके अलावा किसी बड़े जमींदार या अमीर ने सुरक्षा कोष में पैसा नहीं दिया। किसी लाइसेंस होल्डर ने पैसा नहीं दिया, किसी स्मगलर ने पैसा नहीं दिया और अगर दिया है तो सारे किसानों ने और उन पर एक बीघा पर दो रुपये लगाये गये हैं।

इसके बाद हमने यह फैसला किया कि हम लीडर को तोलें। यह हमने अपनी मर्जी से लिया। उसके बाद लोगों की यह मंशा है कि लद्दाख और नेफा में सिपाहियों को तोलेंगे। वह इसलिये नहीं कि हम सेरीमनीज में विश्वास करते हैं। उनको तोलने का मतलब यह है कि हमारे में प्रेरणा पैदा हो, हम ऐसे इलाके के लोग हैं; इस बात को छोड़ते हुए कि सरकार से हमारी क्या मांग है, हम यह सोचते कि हमारे देश के प्रति हमारा क्या प्रेम है। इसके लिये हम

(श्री केदारनाथ)
अपने आपको पहिचानें और स्ट्रोंग पायें। यह इस इलाके की मांग है।

आप रिसर्च इन्स्टीट्यूट और टैक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं कर सके। आप देखेंगे कि खेती-बाडी की वही हालत है जो पहले थी और वह हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप रिसर्च इन्स्टीट्यूट और टैक्निकल इंस्टीट्यूशन्स नहीं खोलेंगे तब तक यह दशा नहीं सुधरेगी।

मैं समझता हूं कि इसके बाद एक बात और कहनी है और उसी कह कर समाप्त करता हूं; क्योंकि समय मेरा होनेवाला है, कि हमारे यहां डिफेंस ऑफ इण्डिया रूल्स बने हुए हैं और वे किन पर लागू होंगे। आज स्टेट ऑफ इमर्जेन्सी में मैं समझता हूं कि जिन पर ये रूल्स लागू होने चाहियें, नहीं होते; जो लोग ट्रेड यूनियन वर्कर्स को विक्टीमाइज करते हैं और उनकी लेजिटिमेट डिमांड को दबाते हैं उन पर लागू होने चाहिये, मगर उन पर लागू नहीं होते और उल्टे उन लोगों पर लागू होते हैं जो उनकी जायज बात जलसा करके कहते हैं। जब वे जायज बात कहते हैं तो उनके सेक्रेट्रीज पर इमर्जेन्सी के कारण उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। उसने वहां मजदूरों के लिये काफी काम किया है, मगर आज मैं समझता हूं कि उसको उस कोलोनी में जाने तक की इजाजत नहीं है।

मैं समझता हूं कि उन पर आज कोलोनी अन्दर जाने की पाबन्दी है, यह आपको अजीब बात सी लगेगी कि जो ट्रेड यूनियन के वर्कर हैं, जो कि इसके सेक्रेटरी हैं उनको मजदूरों से मिलने पर पाबन्दी है, उनको मनेजमेंट से मिलने पर पाबन्दी है, उनके अन्दर जाने पर पाबन्दी है, जब कि एड्रेस में लिखा जाता है कि मजदूरों ने देश की एमर्जेन्सी में अच्छा रेस्पोन्स दिया, बहुत अच्छा योग दिया। तो फिर क्यों मजदूरों पर ही पाबन्दी है, मालिकों पर कोई पाबन्दी नहीं है? आज गिरफ्तार उनको करना चाहिये जो स्मगलर्स हैं, जो कीमतें बढ़ाने की कोशिशें करते हैं और जो आज प्रोडक्शन में संकट पैदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे इन हल्कों में गड़बडी की है, जो बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठ कर नित्य नई नई साजिशें करते हैं कि इस तरह इनको गिरफ्तार किया जाय, इस तरह इनको खत्म किया जाना चाहिये। इन्डस्ट्रियल रूल्स क्या इनके लिये नहीं हैं?

एक इम्पोर्टेन्ट बात मैं कहने जा रहा हूं कि राजस्थान की रूरल इकोनोमी आज एक ऐसे बिन्दु पर आकर खडी है जो कि पोइन्ट ऑफ स्टेग्नेशन है। मैं एक बात कहता हूं कि जो रूरल एरिया में मोड ऑफ डेवलपमेंट है, डाइरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, जो पर्पज ऑफ डेवलपमेंट है उसके अन्दर गैप्स हैं, इन गैप्स को दूर करेंगे तभी इकोनोमी को फ्लारिश कर सकेंगे। यदि ये गैप्स रहे तो मैं नहीं समझता कि आप राजस्थान में प्रोग्रेस कर सकेंगे।

मैं एक रिपोर्ट का हवाला पेश करना चाहता हूं। वह महा नवीस कमेटी की रिपोर्ट है। उसने हमारे सामने रखा है, कि, जिस पैटर्न से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसमें जो पॉलिसी और इम्प्लीमेन्टेशन का तरीका है, जिस पैटर्न से डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें जो पॉलिसी और इम्प्लीमेन्टेशन का गैप है, जो इम्पेक्ट है उसका इकोनोमी को फ्लारिश करने में, डेवलपमेन्ट करने में

(श्री केदारनाथ)

क्या असर हुआ है। उसमें बताया है कि जो खेतीहर मजदूर हैं, ६० परसेंट उन खेतीहर मजदूरों की ११ प्रतिशत आमदनी कम हुई है, इससे उनमें बेकारी बढी है, उन पर कर्जा बढा है, उनकी हालत पहले से खराब हुई है।

इन्डस्ट्रियल लेवल के बारे में देखा जाय तो प्रोडक्शन बढा है, पर नेशनल इन्कम, पर-केपिटा इन्कम पर कितना इम्पेक्ट पड़ा ? कोई नेशनल प्रोफिट इन्क्रीज नहीं हुआ। तो रूरल और अर्बन इकोनोमी में जो आप गैप्स देखते हैं वे सारे डेवलपमेंट को खत्म कर देंगे।

मैं आखिर में यही कहूंगा कि यही वक्त है चिन्तन करने का। आप बुनियादी समस्याओं को देखें कि इन दस-पन्द्रह सालों में आपने किसको बढावा दिया है, किसने इस एमर्जेन्सी में हमारी मदद की है; इस प्रकार का चिन्तन करेंगे तो राजस्थान का भला होगा, वर्ना राजस्थान की तरक्की नहीं हो सकती।

इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव मेरे दोस्त ने रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : [धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोडा जाय:–"किन्तु खेद है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने व प्रशासन के अनुचित व्यय को रोकने के सम्बन्ध में अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।"] माननीय अध्यक्ष, हमारे राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक यहां पधार कर अभिभाषण किया, इस वृद्धावस्था में इस दस्तूर को पूरा करने के लिये कष्ट किया, इसका हम धन्यवाद दे सकते हैं; पर जो राजनैतिक पहलू, सार्वजनिक पहलू हमारे सामने आने चाहिये थे, जिन पर डिस्कशन होना चाहिये था उनको पढा तो देखा कि १५ साल से हम जो गलती करते आ रहे हैं, एक पैराग्राफ के शुरू में कहेंगे कि हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया; ऐसा मालूम पड़ता है हर आस्पेक्ट में उनको सम्पूर्ण आनन्द ही आनन्द नजर आया, राजनैतिक और सार्वजनिक पहलुओं में उनको आनन्द ही आनन्द नजर आया। चीन का हमला हुआ उस समय हर पहलू में आनन्द ही आनन्द होता था, रात-दिन कहते थे कि इधर हमारी प्रोग्रेस हो रही है, इस आस्पेक्ट में हम उन्नति कर रहे हैं, हर आस्पेक्ट में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं; पर चीन का हमला हुआ तो मानना पड़ा कि हम स्वप्नों की दुनिया में रहते थे। तो राजनैतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आनन्द ही आनन्द बताते हुए भ्रम में रखा गया। हम 'काने को काना' कहें और जिसके दो आखें नहीं हैं उसको अन्धा कहें, उसको यह नहीं कहा जायगा कि इसको सब कुछ दिखता है। तो इस प्रकार के मिस-एप्रीहेन्शन के कारण हमें परेशानियां उठानी पड़ीं। तो इस प्रकार यदि हम इस वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में रहते रहे और हर बात में आनन्द ही आनन्द का कहते रहे तो हम धोखे में रहेंगे। तो जो हमारे सामने दिक्कतें हैं उनका एक का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार को ही लेलें। आज भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है ? आज यदि सरकार भ्रष्टाचार के बारे में सोचे कि यह किस प्रकार बढ़ गया है और इसको कैसे दूर किया जाय तो मैं समझता हूं सरकार भी बडी परेशानी में पड़ जायगी।

Page No 41

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

चीन का हमला हुआ तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि बड़ी गाढ़ी कमाई की बलिदानों से हासिल की हुई आजादी कहीं चली न जाय। तो क्या इसमें हमारी सरकार ने, बड़े बड़े लोगों ने रेस्पोन्ड किया ? इस बारे में मैं दो बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि स्पोन्टेनियस इन्डिविजुअल फोर्स या जनता का यह उनकी तरफ से आया जो गरीब थे, मध्यम वर्ग के थे, करमचारियों की ओर से; मिल मालिकों की ओर से कोऑपरेशन नहीं हो सका और आज उसका नतीजा यह देखते हैं कि जिस आदमी ने उधार लेकर; परेशानियां उठा कर, जमीन द्वारा पैसा दिया उसकी क्या हालत है। यह हालत रही स्पोन्टेनियस इन्डिविजुअल फोर्स की। स्पोन्टेनियसली इन बड़े लोगों की ओर से कोई कोऑपरेशन नहीं किया गया। इसीलिये इन मिनिस्टरों के दौरों में, मोटरों में, मीटिंगों में, उद्घाटन-वाटन में कोई फर्क नहीं आ पाया है। यह आपकी स्थिति है। आप नीचे से कोआपरेशन चाहते हैं- मजदूरों से, गरीबों से कोऑपरेशन चाहते हैं वहां गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं करना चाहते ? आप कहते हैं कि समितियों का गठन किया है; पर मैं तो यह कहूंगा कि यह गठन नहीं विघटन है, आपके कुनबेवाले, मिलमालिक, सरमायेदार, एस. डी. ओ., थानेदार जिस तरह वसूली करते हैं, ऑर्डिनरी आदमी जो तरीके काम में लाते हैं, वे बड़े फोर्स के रूप में उनके सामने आते हैं।

तो मैं बहुत सारी प्रसन्नताओं के विषय में खेद प्रकट करना चाहता हूं कि जो कोऑपरेशन होना चाहिये था वह सरकार की तरफ से नहीं हुआ और जो समितियां गठित की गई हैं उनकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

मेरे अमेंडमेन्ट का विषय खेद से शुरू होता है, अतः दूसरा खेद का विषय यह है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में लिखा है कि इसमें लोगों का अच्छा कोऑपरेशन रहा, कोऑपरेशन हमने भी किया, विरोधियों ने भी किया; पर इसका खराब नतीजा यह हुआ कि हिपोक्रेसी हमारे अन्दर आई, हम लगातार कहते रहे कि अच्छा कोऑपरेशन दिया। मुझे मेरे इलाके के लोगों की चिट्ठियां मिली हैं, जिनमें यह लिखा गया है कि थानेदारों ने, एस. डी. ओ. ने वहां जाकर लोगों को धमकियां दीं, गाली-गलोज किया और जबरदस्ती चंदा लिया। कुछ भी, थोड़ी बहुत भी इस प्रकार की मिसालें हमारे सामने आती हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से खास तौर पर कहूंगा कि वे इनको डिस्करेज करें, सख्त एक्शन लें। यह हो सकता है, बड़े बड़े मंत्रियों ने और अफसरों ने यह नहीं किया हो लेकिन जो भी काम है इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले, उनको डिस्करेज करना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में स्पष्ट कर दूं कि पुलिस को कहीं भी चन्दा इकट्ठा करने के लिये कहीं कोई इन्सट्रक्शन नहीं थे, बल्कि यह साफ था कि पुलिस इस मामले में न पड़े।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): पुलिस थानेदारों को तीस तीस हजार रुपया चन्दा इकट्ठा करने के लिये सूचना दी है। जिला जालोर में सब-इन्सपेक्टर पुलिस ने

Page No 42

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

५३ हजार रुपया इकट्ठा किया, यह तो लेटेस्ट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर यह किया गया है तो यहां के क्लियर इन्सट्रक्शन्स के खिलाफ है।

श्री सतीशकुमार शर्मा : यह खेद का विषय है। इतनी बड़ी दूकान खोल कर आप बैठे हैं और आपको मालूम ही नहीं है। दिखाने के लिये आपने सर्कुलर इश्यू कर दिया होगा लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है, यह सदन के अधिकतर माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। बिना वास्तविकता की बहस में पड़े आपको यह आश्वासन देना चाहिये कि जो कुछ हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे; वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलने वाला है, जनता के ऊपर इसका बड़ा असर हुआ है। जो हिपोक्रेसी की है इससे नुकसान होने का अधिक अंदेशा है, अल्टीमेटली इससे जनता को नुकसान होने वाला है। इसलिये जनता में इस प्रकार का वातावरण न बने। आपको चाहिये कि आप वास्तविकता की ओर देखें और वास्तविकता की ओर देख कर जनता की शिकायतों को सुनें और उनको दूर करने की कृपा करें। आप कहते हैं कि सर्कुलर इश्यू कर दिये और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके अधिकारी, पुलिस के अधिकारी हथकड़ी लेकर गये हैं, गवर्नमेन्ट के एस. डी. ओज गये हैं ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे क्षमा करें। इतना ही कहना उचित समझूंगा कि कहीं कोई इस प्रकार के उदाहरण हों तो आप नोटिस में लायें तो वाजिब होगा, वर्ना जो एक प्रकार का उत्साह पैदा हुआ है और जो इस ओर प्रयत्न किये गये हैं वे निष्फल हो जावेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह सदन नहीं चाहेगा कि राजस्थान में पार्टियों की ओर से और अन्य लोगों की ओर से सहयोग नहीं था और यह केवल फोर्स से ही हुआ है, ऐसी बात है। इसके इम्पलीकेशन्स और दूसरी चीजों को गंभीरतापूर्वक विचार करके केवल भाषण के जरिये हम कहां तक कहें या न कहें, यह सोचना उचित है। यदि सर्कुलर के विपरीत हुआ है तो जरूर कहें; लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों ने आम तौर पर यह बात नहीं कही किन्तु अब आप इसको इतना बढ़ा कर कहें इस चीज को और तरीके से पेश करें और अननेसेसरी सारी चीज को कन्डेम करने की कोशिशें करें तो यह कहां तक वाजिब है, इस पर विचार करें और गंभीरता पूर्वक विचार करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : पुलिस द्वारा यह फण्ड इकट्ठा किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपका मौका आवे तब बोल सकते हैं।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मुझे लिमिटेशन्स की कॉन्शियेसनेस थी। मैंने कहा था कि बहुत हद तक कोऑपरेशन हुआ है, लेकिन फोर्स को भी काम में लाया गया है। अल्टीमेट ध्येय मेरा यही था कि मैं इसको छोटे से तरीके से टच करना चाहता था ताकि उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है; किन्तु मैंने जो कहा है वह सही है। मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ही इतना इस पर कहने के लिये मजबूर किया था।

Page No 43

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने तो भाषण ही नहीं दिया है, जिससे मेरा मजबूर करने का कारण हो।

श्री सतीशकुमार शर्मा : इस संबंध में मैं अधिक न कह कर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस ओर देखें और उचित प्रकार की कार्यवाही करें। उस समय लोगों की भावना को एक्सप्लॉइट करने का अच्छा मौका था, उनकी भावना को देश-भक्ति की तरफ पूरे तरीके से ले जाने का अच्छा मौका था एक प्रकार का वातावरण बनाने का मौका था। कुछ बना भी, लेकिन सरकारी नौकरों ने पुलिस और पटवारियों ने तो अपना पेशा बना रखा है, वे उसी को चलाते रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस प्रकार की स्थिति रहने से जनता में उत्साह नहीं बन पाता और जो वातावरण बनना चाहिये वह नहीं बना रह सकता। आज सरकार को विश्वास है कि करप्शन दूर हो गया है। चीन के आक्रमण के कारण और एमर्जेन्सी लागू होने के कारण देश में एक बहुत बड़ी हालत पैदा हुई, लेकिन आपने कौनसा कदम उठाया है? शिकायत मौजूद है, शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं थानेदार की शिकायत की। कत्ल के मामले में चन्दा इकट्ठा करके, सौ सौ रुपये इकट्ठा करके ८,०००-८,००० रुपया इकट्ठा किया, लोगों ने उधार लिये। उन पर दबाव डाला गया। लोगों ने, गरीब लोगों ने अपने बछड़े बेचे, जेवर बेचे और चन्दा जमा कराया। ये शिकायतें की गईं, लेकिन उनकी आज तक कोई जांच नहीं। कैसे मान सकते हैं कि सरकार जागरूक है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसे थोड़ा स्पष्ट करें कि जो मिसल आपने दी है उसके बारे में आप लिख चुके हैं क्या पहले?

श्री सतीशकुमार शर्मा : जी हां, मैं पहले लिख चुका हूं। मैंने कम्प्लेन्ट की थी एस. पी. अलवर को। थानेदार शैलाब सिंह, थाना थामला ने चन्दा वसूल किया। उसने कत्ल किया, डॉक्टरी मुआयना भी करवा लिया। कोर्ट में भी गवाहों को ले गये लेकिन थानेदार साहब के आदमी आये और उनको बहका कर ले गये। इसकी कम्प्लेन्ट की, नकल मेरे पास है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चन्दा कह रहे हैं! 'जमा हुआ होगा'; कहां जमा हुआ?

श्री सतीशकुमार शर्मा : थानेदार साहब की जेब में जमा हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : थानेदार का रिलीफ़ फण्ड था।

श्री सतीशकुमार शर्मा : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के भाषण में जनता की भावना का समावेश होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। राजस्थान के उत्तरी हिस्से के लोगों को जहां तक रिलीफ देने का प्रश्न है, मैं प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस ओर अपने धन्यवाद के प्रस्ताव के जरिये सदन का ध्यान आकर्षित किया। इस सम्बन्ध में बहुत बार भी कहा जा चुका है, किन्तु मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय के सामने यह प्रश्न इस तरीके से नहीं आवेगा और उनकी तरफ की बैन्चों पर बैठने वाले उनके साथी उन्हें नहीं कहेंगे तब तक यह होगा नहीं। जब तक उनके उधर के साथी यह नहीं कह देंगे कि यह

Page No 44

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

आप नहीं करते हैं तो हम सहयोग नहीं करेंगे आपके साथ, तब तक वह होने वाला भी नहीं है। इस मामले को इतने अर्से से दबाया जा रहा है इसमें कोई लोजिक नहीं है। न्याय जिसको कहते हैं वह समान तरीके से मिले। सब जगह हिन्दुस्तान में बैन्चेज कायम हैं। आपको इसे तोड़ने की जल्दी लगी और इसलिये जल्दी लगी कि आप अपने आपको अधिक प्रोग्रेसिव बतायें दूसरों की नजरों में ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स को देखते हुए यह ज्यादा जरूरी मालूम पड़ता है कि लोगों को सहूलियत के साथ सस्ता न्याय मिल सके; लोगों को सस्ता न्याय देने के लिये बैन्चेज को नजदीक पहुंचा कर उनको सस्ता न्याय दिलाया जाय। उत्तरी हिस्से के लिटिगेशन अधिक हैं। लोग परेशान हैं, आंकड़े मौजूद हैं आपके पास। जोधपुर की शोभा बढ़ाने के लिये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों से लोगों को जोधपुर जाना पड़ता है। जोधपुर की शोभा बढ़े। आपका उचित वातावरण बनाने के लिए कितने वर्ष अपनी कमाई देते रहेंगे और शहर की शोभा बढ़ाते रहेंगे? कोई यह नहीं कहता कि आप जोधपुर से हाईकोर्ट की सीट को हटा दीजिये। आप उसको वहां रहने दीजिये। लेकिन बैंच यहां लाकर कायम हो। आज की तारीख में केसेज ज्यादा हैं, लेकिन अब उनकी संख्या घटती जा रही है क्योंकि जब उनको न्याय मिलता नहीं है तो वे मजबूर हो जाते हैं। इतना दुर्लभ न्याय उनके लिए प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लोगों की आर्थिक कमर चाहे टूट जाय. लेकिन सरकार अपने चन्द साथियों के कारण से और किसी शहर की शोभा बढ़ाने के लिए लोगों को सस्ता न्याय मिले या न मिले, इसकी परवाह नहीं करके इस ओर कोई विचार ही नहीं कर रही है कि वह यहां बैंच कायम करे - जिससे लोग जोधपुर जाकर न्याय प्राप्त करने के बजाय यहां सस्ते रूप में न्याय प्राप्त कर सकें। वैसे ही आपने कोर्ट फ़ीस बढ़ा दी है। अब मांग उचित है तो आप उसका स्वागत करें। जिस प्रकार के उचित वातावरण की आप अपेक्षा करते हैं तो वह तब ही आवेगा जब कि आप उसको लाने का प्रयत्न करेंगे, सद्भावना [illegible]। सारे हिन्दुस्तान में जब यह सही है तो यहां क्यों नहीं है? जब व्यक्ति अपने मुकदमे की पैरवी तीन-चार रुपया खर्च करके कर सकता है वह १५-२० रुपया खर्च करके क्यों करेगा? मजबूर हो जाता है दुःखी हो जाता है आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उसको अधिक खर्चा करना पड़ता है। न्याय को लेजाकर आपने इतना दूर बैठा दिया है कि दूर्बीन लगा कर भी नहीं देखा जा सकता। आप अपने साथियों का थोड़ा मोह छोड़िये और उनके लोभ का भी शमन कीजिये और दूसरों का भी ख्याल कीजिये। जिन्हा साहब यहां आये। लोगों की तकलीफ़, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर की तकलीफ़ को उनके सम्मुख रखा, लोग आकर उनसे मिले। सरकार से कहिये, उन्होंने यह कहा। हम तो न्याय देने वाले हैं, पाना चाहेंगे तो दे देंगे। हमने उनसे कहा और निवेदन किया कि आप सर्किट बैंच कायम कर सकते हैं। उनका कहना था कि आप गवर्नमेन्ट पर जोर डालिये, उनको कहिये; लेकिन इसको एक राजनैतिक मामला बना कर रखा गया है। उनका कहना है कि आप अपनी सरकार से कहिये। हम अपनी सरकार से बार बार निवेदन करते हैं। जब तक तकलीफ़ रहेगी तब तक क्षोभ रहेगा, लॉस ऑफ़ एफ़ीशिएन्सी भी रहेगा; तकलीफ़ रहेगी, हम कहते रहेंगे। आप भी उचित और

Page No 45

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

न्यायोचित मांग पर जरूर ध्यान दीजिये। जनता को जो यह चलती हुई तकलीफ है उसका भी समावेश इन भाषणों में होना चाहिये। लेकिन अभिभाषण में इस बात को तो दर्शाया जाता है कि हमने यह काम किया, वह किया; इस बात की तो हमें खुशी है लेकिन जिन बातों का अफसोस है, जिन बातों की तकलीफ है उन बातों का भी इस प्रकार के भाषण में समावेश होना चाहिये। आप ऑपोजीशन की बातों को सुनें, समझें और उसके अनुसार चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(१.०२ म.प.)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : [संशोधन इस प्रकार है

["संशोधन प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जावें किन्तु खेद है:—

(१) कि सरकार प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पक्षपात उन्मूलन की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है, तथा

(२) कि अभिभाषण में पंचायती राज्य की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश नहीं डाला गया है।"]

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि चीन के आक्रमण के फलस्वरूप जनता के सभी वर्गों ने उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावना का परिचय दिया है। इस भाषण का मैं आंशिक रूप से समर्थन करता हूं। जहां तक विरोधी दल का सवाल है उन्होंने भी अपने उत्तरदायित्व को निभाया है और अनुशासन की भावना का परिचय दिया है। जिस वक्त इस देश पर चीन का आक्रमण हुआ उससे पहले की घटनाओं की तरफ भी अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो सारी बातें साफ हो जाती हैं। हमारी सरकार के कर्णधार चीन आक्रमण से कुछ दिन पहले इस चिन्ता में निमग्न थे कि इस देश; इस राष्ट्र का एकीकरण कैसे हो; उस समय नेशनल इन्टीग्रेशन की समस्या उनके सामने थी। उसके लिये कमेटी बैठायी जा रही थी कि किस प्रकार राष्ट्रीय एकता हम कायम कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन चीन का आक्रमण हुआ उसके दूसरे ही दिन इस देश की सरकार ने, इस देश के नेताओं ने महसूस किया कि देश की जनता अपने कर्तव्य को पहचानती है और हमारा राष्ट्र एक है। इस लिये इस प्रकार की कमेटी बिठाना आवश्यक नहीं है और एक ही झटके के साथ सारा देश एक हो गया। एक आदमी की तरह सारा देश आक्रमणकारी के विरुद्ध कटिबद्ध होकर अपने सर्वस्व होम देने के लिये, देश के हर नागरिक ने संकल्प किये। उनकी यह आकांक्षा थी, अभिलाषा थी कि आज से पहले जिस प्रकार शासन चलता था जरूर उसमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा।

चीन के आक्रमण के पहले हम यह महसूस करते थे कि राजस्थान और दूसरे प्रान्तों में रहने वाले लोगों की ये भावनायें थीं कि आज कांग्रेसी सरकार अपने शासन को जिलेदारी बेसिस पर चलाती है। हर एक जिले में उनके कुछ चुने हुए ठेकेदार हैं जिनके टेलीफोन और हुक्म तो बजाना ट्रेजरी बेन्चेज अपना पुनीत कर्तव्य मानती है। हम समझते थे कि चीन-आक्रमण के बाद इस प्रकार की क्रिया में परिवर्तन आयेगा उससे पहले जब हम यह देखते थे कि किसी भी म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमैन को सस्पेन्ड करना है, उन ठेकेदारों के हुक्म पर उनका सस्पेन्शन हो जाया करता था। उसके लिये दूसरा तरीका यह था कि उसके अलावा दूसरे जो लोग हैं उस पर अभियोग लगायें, फिर भी साहब नहीं चाहते तो वह नहीं किया

(श्री नत्थीसिंह)

जायगा। आक्रमण के बाद इस नीति में परिवर्तन आया हो, यह बात नहीं। मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा, उनसे साफ़ जाहिर होगा कि हमारी सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया हम समझते थे कि चीन के आक्रमण के फलस्वरूप जो रिश्वत का बाजार गर्म था, बिना कुछ रिश्वत दिये सरकार के कार्यालयों से कागज नहीं निकलता था, पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदारों का पेमेन्ट वगैरह कुछ दिये नहीं होता था, बिना थानेदारों के भेंट चढ़ाये किसी मुकदमे में कामयाबी की उम्मीद करना नामुमकिन था; वह फ़िज़ां बदलेगी; लेकिन वह फ़िज़ां बदली नहीं, वह फ़िज़ां और बिगड़ी है। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहूं, जिस वक्त आक्रमण हुआ जनता ने बगैर किसी के कहे अपना काम शुरू कर दिया; यह उनकी देश-भक्ति का ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है।

भरतपुर ने भी बिना किसी नेता के कहे अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद हमारे यहां के मन्त्री, जो केन्द्र में हैं जिनका हमें गौरव है, इसलिये कि वे हमारे जिले के नुमाइन्दे हैं वे वहां आये और सभी पार्टी के लोगों को आह्वान किया कि इस समय देश पर आक्रमण हो रहा है हम सब मिल कर एक आदमी की तरह इस समस्या में योगदान दें, उनकी अपील का हमने आदर किया। भरतपुर में उस दिन एक शानदार मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सभी पार्टी के लोग सम्मिलित हुए। जनता के हर वर्ग ने उनके साथ कदम बढ़ा कर इस काम में सहयोग और योगदान देने का आश्वासन दिया। लेकिन उसी रात को एक घटना घटी। उस घटना से मुझे बड़ा खेद है। उस दिन क्या होता है; वही केन्द्रीय मन्त्री दो प्रधानों को–पंचायत समिति के प्रधानों को लेकर जयपुर आये। यहां आकर उन्होंने मुख्य मन्त्री या पंचायत मन्त्री या अन्य सम्बन्धित मन्त्री महोदय से इस बात की इल्तिजा की कि इन प्रधानों की कुर्सियां डगमगा रही हैं महरबानी करके इन सरपंचों को मुअत्तिल करदें। जहां देश पर संकट काल के बादल मंडरा रहे थे उनके सामने यह संकट गौण था और दो प्रधानों पर उनकी कुर्सियां जो डगमगा रही थीं उनकी कुर्सियां बचाना उन्होंने जरूरी समझा। मैंने यह सुना कि उन लोगों के कागजात यहां मंगवाये गये हमने सोचा, जरूरी काम के लिये कागजात मंगवाये गये होंगे, इसलिये भेज दिये जांय। उसके बारे में मैंने मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में मैंने अपील की कि आप केवल कांग्रेस दल के नेता नहीं, कांग्रेस दल के किसी गुट विशेष के नेता नहीं; आप सारे राजस्थान के नेता बनिये, यह मौका है। आप सबकी मदद लीजिये, ऐसे काम मत कीजिये जिसके आधार पर देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को यह सोचने का मौका मिले कि आप एक कांग्रेस के दलीय नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक गुट विशेष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनसे मैंने अपनी चिट्ठी में मिलने का समय मांगा और सरपंच का हवाला दिया; दस सरपंच हैं जिनको धीरे धीरे मौअत्तिल करने की मांग की जा रही है। किन्तु उन्होंने ठीक समझा हम जैसे लोगों को मिलने का मौका न दिया जाय। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक एक करके सारे सरपंचों को मौअत्तिल कर दिया गया।

(श्री नरबीसिंह)

एक सरपंच को इसलिये मोअत्तिल कर दिया गया कि पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ बी. डी. ओ. पर जीप के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उनके खिलाफ़ यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने यहां के सरपंच के खिलाफ़ १८ सवाल रखे। प्रधान द्वारा उनके जवाब पंचायत समिति में देने के बाद सरपंच के खिलाफ़ यह आरोप लगाया गया कि तुमने अनुशासनहीनता की है, अपने सवालों को सर्कुलेट किया है इसलिये क्यों न आपके खिलाफ़ अनुशासन की कार्यवाही की जाय? उसके लिये २२ फरवरी को मीटिंग होने वाली थी लेकिन जब केन्द्रीय मन्त्री का इधर की तरफ दौरा हुआ उस मीटिंग की तारीख को २२ फरवरी बदल कर २१ या ३० जनवरी कर दिया गया और उस सरपंच को मोअत्तिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने जुरंत कैसे की हमारे बी. डी. ओ. के खिलाफ़, प्रधान के खिलाफ़ सवाल पूछने की ?

मै आपके सन्मुख एक और अजीबो गरीब नमूना पेश करना चाहता हूं। जनतन्त्र की दुहाई देने वालों के कारनामें कैसे हैं, आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जावेंगे। उस नगर पंचायत के पंच को केवल इसलिये हटा दिया गया कि उसने विकास अधिकारी के खिलाफ़ कुछ आरोप लगाये थे और आरोपों का पर्चा, पेम्फलेट छपवा कर जनता में बांट दिया था। इस पर उसको कहा गया कि तुम पब्लिक सर्वेन्ट की तारीफ़ में आते हो इसलिये इस काम के लिये तुमको क्यों नहीं हटा दिया जाय। पंचायत कानून का बड़ा अच्छा इन्टरप्रिटेशन लगाया? उसे पंचायत की सदस्यता से इस बिना पर अलग कर दिया गया। यह कहां का इन्टरप्रिटेशन है कानून का कि आप चूंकि पंचायत समिति के सदस्य हैं इसलिये आपकी नागरिकता के अधिकार भी छिन गये? इसका मतलब यह हुआ कि कोई सरपंच, पंच या प्रधान एक बार चुन गया तो इसके बाद सरकारी असलियत को वह पब्लिक के सामने नहीं रख सकता। उस सदस्य ने कहा कि मैं जयपुर से उसका क्लेरिफ़िकेशन सीक करना चाहता हूं। उधर से टेलीफ़ोन हुआ। जयपुर से हुकम पहुंच गया कि आपका एक्शन ठीक है, आपने ठीक किया कि उसको हटा दिया। आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि डमोक्रेसी के नाम पर ये कारनामे इन लोगों के हैं। यह तो ठीक है या यह कह सकते हैं कि कुछ हमारा सौभाग्य है कि हाई कोर्ट विद्यमान है। उसने कहा कि सरकार ने गलत निर्णय लिया है। अगर हाईकोर्ट नहीं होती तो उसे हटा दिया जाता।

यही नहीं, और भी अनेकों उदाहरण इस तरह के हैं। रोजमर्रा इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेकों हो रही हैं। अब इन सबका हम क्या अर्थ लगायें? सीधा-सादा अर्थ है, जिसके कहने के लिये हमें मजबूर होना पड़ता है कि आज भी हमने अपनी संकीर्ण दलीय भावना को नहीं छोड़ा है, जब कि एमर्जेन्सी का हम ढिंढोरा पीटते हैं। जब तक हम इस दलीय संकीर्ण भावना से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक यह कहना गलत है कि किसी भी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना के प्रति हम जागरूक हैं या उसको विकसित करना चाहते हैं। यह तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में कहा।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि इस देश से संकटकाल के वक्त में

Page No 48

(श्री नत्थीसिंह)

भी हम जब तक पक्षपात और भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकते तब तक हम देश की आज की जागृति को और उत्साह को तीव्र नहीं कर सकते और तेजी से सारा देश मिलकर एक सा चल सके, ऐसा नहीं हो सकता।

इसके साथ ही हम इस बात की डींग हांकते हैं कि हम पंचायत-राज और सहकारी संस्थाओं को साथ साथ तरक्की करते देखना चाहते हैं। हम यह भी डींग हांकते हैं कि पंचायत राज की संस्थाओं ने देश की और खास कर राजस्थान की एक तरह से काया-पलट कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं यह कि इसका काफी संकेत गवर्नर साहब के एड्रेस में किया गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इसको दोहराया गया है कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अर्ज करूं कि हम जब विलेज वॉलन्टियर फोर्स की बात करते हैं और चाहते हैं कि हमारे गांव गांव में विलेज वालन्टियर फोर्स का उदय हो और वह केवल यह काम ही नहीं करे कि नागरिक सुरक्षा हो, बल्कि यह भी करे कि सामूहिक रूप से उत्पादन का काम करने में भी हाथ बटावे, उसे बढ़ावें, श्रम बैंकों की स्थापना पर भी जोर देते हैं। पर ये सब काम कब किये जा सकते हैं; यह भी कभी आपने ईमानदारी से और गहराई से सोचने की कोशिश की? आपकी आज इन संस्थाओं की हालत क्या है? आज हालत यह है कि आपकी पंचायतें, माफ़ कीजियेगा, अगर मैं यह कहूं कि व मृतप्राय हैं। पंचायतों में आज कोरम नहीं होता। केवल गांव में सरपंच रह गया है जिसकी वकत है। बाकी पंचों को पंचायत के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्राम सभा, जिसके उत्थान की बात कही जाती है उनमें लोग आना पसन्द नहीं करते, क्यों? आपने विकेन्द्रीकरण का दुरुपयोग किया है। विकेन्द्रीकरण के नाम पर अपनी सत्ता का केन्द्रीयकरण किया है पंचायतों के स्तर पर। पांच आदमी स्टेन्डिंग कमेटी के मनमानी करते हैं। उनको जो अनुदान लोगों को देने को मिलता है, उसे मनमाने तरीके से जिसको चाहे उसको देते हैं, जरूरतमंद को नहीं, तक़ावी जिसको वे चाहें उसको मिलेगी, जरूरतमन्द को नहीं; जिसको वे नहीं चाहेंगे उसको नहीं मिलेगी। तो जब तक आप इस विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को पूर्णतः विकेन्द्रीकृत नहीं करते, पूर्ण स्वावलम्बी नहीं बनाते तब तक आप उन संस्थाओं में यह भावना नहीं भर सकते कि वे कोई जन-हित में सफल काम कर सकेंगी।

पंचायत, पंचायती राज और पंचायत संस्थाओं पर जब पहले वक्त बहस हुई थी तो इन मुद्दों पर होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था कि यह एक बुनियादी सवाल है। एक कमेटी के जरिये इन मुद्दों पर जांच करावेंगे और उन पर उचित कदम उठावेंगे। मुझे पता नहीं, वह कमेटी कभी बैठी भी या नहीं बैठी या बैठी तो क्या रिपोर्ट दी और सर-कार ने क्या उचित-अनुचित कदम उठाये। पर एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि इन पंचायत राज संस्थाओं को सबसे बड़ा श्रेय इसलिये झेलना पड़ा कि कांग्रेस के कुछ उच्च नेता बहुत ऊंचे चढ़ गये, हियरार्की में ऊंचे पहुंच गये। कुछ अधिकारियों को पद्मश्री जैसे पदक भी मिल गये। इतना होकर भी अगर इन संस्थाओं को सही रूप में चलाया जाता तो खुशी की बात होती। पर उन्होंने जब राजनैतिक रूप से उनमें पदार्पण किया

(श्री नत्थीसिंह)
और राजनैतिक स्वरूप उनको दे दिया गया तो उनकी हालत बदल कर बदतर हो गई और इसका परिणाम आज हमारे सामने यह आया है कि वे प्राय: मृतप्राय हो गई हैं।

आज दूसरी योजना इसमें रखी गई और वह बड़े अच्छे ढंग से रखी गई है, बड़ी होशियारी से रखी है कि हम यह चाहते हैं कि गांवों का उत्पादन बढ़ाने के लिये और उत्पादन की योजनाओं को तैयार करने के लिये ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और सहकारी समितियों में समन्वय हो। यह एक होशियारी का तरीका निकाला है जिसके लिये राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इसके लिये एक दूसरे में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इस प्रतिनिधित्व का तमाशा हम बहुत देख चुके हैं। यह प्रतिनिधित्व होता है सहवरण के द्वारा पंचायत समितियों में। इसका कटु अनुभव जिनको है वे जानते हैं कि वे सहवरण में आये हुए सहकारिता नहीं करते। वे तो सरपंच के और गुट्ट विशेष के वोट बढ़ाते हैं। वास्तव में वे सहकारिता के संबंध में कोई सेवा नहीं करते।

दूसरा अनुभव और है हमारा, जो है सहकारी बैंकों का। कलेक्टर को वोट्स का, चेयरमैनी का अधिकार दे दिया है कि वे जिला परिषद् में जाकर बैठें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसका नतीजा भी देखा हमने। सहकारी संस्थाएं जो विशेष रूप से गांवों में आर्थिक स्वावलम्बन के लिये होनी चाहिए, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिये था आज उन सहकारी बैंकों को भयानक राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है और इसके लिये क्या क्या नहीं किया जा रहा है, यह तो जानने वालों के सामने और जो नजदीक में सब देख रहे हैं उन पर स्पष्ट होता जा रहा है। जिला परिषदों का और सरकार का सहकारी बैंकों में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। वे चाहें तो अलवर बैंक में जिस तरह से सरकारी हस्तक्षेप होता जा रहा है उसका उदाहरण देख सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य जो बता रहे हैं तो कोई नया कानून कोऑपरेटिव के लिये बनाया जा रहा है क्या?

श्री नत्थीसिंह: कानून वही है, उसके इन्टरप्रिटेशन में सरकार की मंशा बदल गई है, नीयत में फर्क आ गया है। नये नये इन्टरप्रिटेशन लगाये जाकर इनमें राजनैतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। आप घबराइये नहीं। मैं यही सब बता रहा हूं। कानून में अवश्य यह प्रावधान नहीं है, पर जोर डाला जाता है घुमा फिरा कर रजिस्ट्रार पर, सेक्रेटरी पर और कलेक्टर पर कि अलवर में बैंक की जो साधारण सभा होने वाली है वह कैंसिल करा दी जाय। सेक्रेटरी से सीधा हुक्म आ जाता है कि २६ आदमियों को तो जरूर बना लो, नहीं तो हमारे दोस्त कल तक के एम.पी. जो थे उनको कहीं आसरा नहीं रह जावेगा। उनको बैंक में लेना है। यह अलवर में हुआ है, दूसरी जगहों पर भी हुआ है। मुझे तो यह भी मालूम हुआ है कि सहकारिता के मंत्री महोदय को बड़ी उत्सुकता है कि उनको यह मालूम होना चाहिये कि किस किस बैंक के कब कब चुनाव होने जा रहे हैं। इस तरह की भावनायें हैं। इस प्रतिनिधित्व का क्या परिणाम होगा? इसका नतीजा यह होगा कि जहां हम सहकारी संस्थाओं के जरिये

(श्री नत्थीसिंह)

गांवों में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसका तो कुछ होगा नहीं, ये सहकारिता संस्थायें भी राजनीति के अखाड़े बन जावेंगी और मेरी यह मान्यता रही है कि आपने जैसे जिला परिषदों और दूसरी जगहों पर प्रतिनिधित्व दिया है, रखा है वह भले ही रहे, सहकारी संस्थायें और ग्राम लेवल की पंचायत संस्थाएं मिलकर काम करें, अच्छा है, पर प्रतिनिधित्व उनमें एक दूसरे को इस आधार पर दिया जावे कि वे वहां जाकर काम करें। पर वोट का अधिकार हो उनको, यह गलत है। अगर प्रतिनिधित्व देना आवश्यक ही हो तो आप एसोसियेट सदस्य बनाइये। अलवर में आपने जो किया उसका परिणाम आपके सामने है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अलवर से आप क्यों नाराज हैं?

श्री नत्थीसिंह: अलवर के नाम से आप मत घबराइये। मैं तो यह कहूंगा कि अगर आप वास्तव में सच्चाई से चाहते हैं तो आप यह कहिये कि ये संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिल-बैठ कर काम करें। इसके लिये आवश्यक समझते हों तो एसोसियेट सदस्य बनाइये, नहीं तो पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व देने लगे तो आज जो हालत है उससे भी बदतर हालत हो जायगी। एक एक गांव में चार चार सहकारी समितियां हैं। अगर उन सबको आपने पंचायतों में प्रतिनिधित्व दे दिया तो पंचायत का तो बंटाधार ही हो जावेगा, सहकारी समितियों में भी बहुत बुरी हालत हो जावेगी, इसीलिये रिजर्व बैंक और प्लानिंग कमीशन भी यह मानते हैं कि इनमें उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिये। आपको भी मानना चाहिये। गांवों के विकास के लिये ये दो अलग अलग सैक्टर हैं। उनको कोऑपरेशन के लिये संगठित करना चाहें तो करें। पर वहां राजनीति बीच में नहीं लानी चाहिये। जहां सहकारी संस्थायें आर्थिक और रचनात्मक इकाइयां हैं वहां पंचायतें एक प्रशासनिक इकाई हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात और कही गई है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह भी वे चाहते हैं कि इन संस्थाओं के कोऑपरेटिव संस्थाओं में शेयर पार्टिसिपेट हों। यह सिद्धान्ततः गलत है। अगर उनकी बढोतरी करना ही चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, इन प्रशासनिक संस्थाओं की रकम इनमें डिपोजिट कराइये। आपके पास यह प्रावधान नहीं है कि पंचायत समिति में रुपया जमा कर सकें। आप इस प्रकार की व्यवस्था करिये कि वे संस्थाएं इन कोऑपरेटिव संस्थाओं में अपनी अमानत रख सकें।

इसके साथ साथ जो दूसरी बात मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज हम यह कहते हैं कि हम सिंचाई की तरक्की करना चाहते हैं। दूसरे कामों की तरक्की करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय को घंटी के कारण मैं जल्दी में कुछ बातें कह देता हूं। मैं सिर्फ ५ मिनट में ही सब बातें समाप्त कर दूंगा। भरतपुर जिले में बांधों की बातें तो वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं लेकिन वहां की सिंचाई के लिए एक बांध है जिसका तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्से से प्रावधान है लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए कोई कहता है कि पंजाब आड़े आ जाता है इसलिए उसका

(श्री नत्थीसिंह)

काम नहीं कर पाते हैं। सिचाई की हालत हमारी ऐसी है।

दूसरी तरफ भी हमारे तौर-तरीके नही बदले। जिनको हमने अपना प्रतिनिधि माना है उनके तौर-तरीके नहीं बदले। कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि पुलिस विभाग में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जायेगी। उसमें भी वही लोग लिए जायेंगे जो कि उनके दिमाग के आदमी होंगे, वही लोग उसमें आयेंगे जो कि किसी कारण से चुनाव में नहीं आ सके। वे चुनाव में नहीं आ सके तो कोई बात नहीं वे इस कमेटी में ले लिए जायेंगे। मैं आपको भरतपुर का एक उदाहरण दूं कि वहां पर ऑफिसरों के तबादले किये जाते हैं नेताओं के टेलीफोन पर, रोके जाते हैं तो नेताओं के टेलीफोन पर. . . .

श्री रामकिशन (वैर) : कौन से नेता, यह तो आप स्पष्ट कर दें।

श्री नत्थीसिंह : कांग्रेस के नेता।

कलेक्टर के टेलीफोन पर ट्रान्सफर नही रुकते, कलेक्टर के लिखने पर नहीं रुकेंगे लेकिन जब नेताजी कहेंगे तो जरूर रुक जायेंगे। यह हालत हो रही है ! इस तरह की हालत जहां हो, जहां इस तरह के काम किये जाते हों और जब उन प्रधानों के खिलाफ यह आरोप हो कि आपने रुपये का दुरुपयोग किया है कलेक्टर को सरपंच टेलीफोन करता है, ब्लॉक की जीप सरकारी अधिकारियों को ले जाती है, शाम को दावतों में जीप जाती हैं और ६ बजे कलेक्टर को सूचना देते हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं कि जांच करायेंगे। आज तक जांच नहीं हुई। इसलिये आप चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, सब मिल-जुल कर चलें तो उसके लिए जरूरी है कि अपने तौर-तरीके बदलें। प्रस्तावक महोदय ने स्वयं ने यह माना है कि भ्रष्टाचार नहीं मिटा, पक्षपात नहीं मिटा। इसीलिये तो वे बिजली की झालावाड़ की बात कह गये थे। इसलिये आप हिम्मत कीजिये कि जब राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दें तो उसमें यह जोड़ दीजिए कि हम शासन में भ्रष्टाचार और जो पक्षपात व्याप्त है उसकी समस्या का उन्मूलन करने में असमर्थ रहे हैं और अगर आप चाहें तो यह संकल्प घोषित कर दें कि अगले बजट सेशन तक उसका उन्मूलन कर देंगे। मुझे आशा है कि जो संशोधन मैंने रखा है उसको स्वीकार करने में कोई भी एतराज नही होगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : प्रस्ताव इस प्रकार है :

"धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित [जोडा जाये :—

किन्तु खेद है :—

(१) कि सरकार फैले हुए भ्रष्टाचार के निवारण एवं खाद्य पदार्थों की समस्या को हल करने में असमर्थ रही है,

(२) कि अभिभाषण में पंचायती राज्य की असफलता को दूर करने हेतु किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है तथा

(३) आपत्कालीन स्थिति को देखते हुए राज्य के प्रशासनिक व्यय में कमी की जाने का उल्लेख नहीं है,]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष हमारे पूजनीय राज्यपाल ने जो अभि

(श्री मानसिंह महार)

भाषण प्रस्तुत किया उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ । मैं समझता था कि हमारी सरकार जिसको सरकार चलाने का १० वर्ष का तजुर्बा है, हमारे मुख्य मंत्री हिन्दुस्तान के बहुत पुराने मुख्य मंत्रियों में गिने जाते हैं और एक तरह से उनका तजुर्बा बहुत आला गिना जाता है । मैं समझता था कि उस तजुर्बे का इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, कुछ काबलियतों का नमूना प्रस्तुत करेंगे लेकिन यह बड़े दुख का विषय है कि उन्होंने यह दिखाया कि शायद जितना मुख्य मंत्री का कार्यकाल अधिक होता है उतनी ही उनकी काबलियत में कमी आती है ।

आज देश के ऊपर संकट के बादल मंडराये । सब पार्टियों ने सरकार से सहयोग का आह्वान किया । मैं समझता हूं कि कम से कम जयपुर जिले के अन्दर तो सरकार को अगर किसी प्रकार का सहयोग चाहिए था तो उनको स्वतंत्र पार्टी से हाथ बढ़ाना चाहिए था । यहां पर तो स्वतंत्र पार्टी के अलावा सरकार को कोई आसरा ही नहीं था । लेकिन इतने निराश्रित होते हुए भी सरकार ने जयपुर के अन्दर अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा, मुझे दुःख है । एक कमेटी यहां पर बनी । अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी को देखकर हमारे सहयोग की भावना खत्म हो गयी । मैं आपसे सही कहता हूं हम चाहते थे, मैं तो उन आदमियों में से हूं, और बातें छोड़ दीजिये लेकिन नेफा और लद्दाख में जाकर सिर कटाने को भी तैयार थे । मैं जानता हूं वे हमारे भाई जिन्होंने सारी जिन्दगी भर अहिंसा का प्रचार किया . .

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपको रोका थोड़े ही था ।

श्री मानसिंह महार : जो अहिंसा का प्रचार करते थे वे अहिंसा को भूल गये । यह चीन का भला हो कि उसने इस सरकार के पन्द्रह वर्ष के कार्यक्रम को खत्म कर दिया १५ दिन के हमले में । हम बाहर देहातों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि १५ वर्ष जिस सरकार ने राज्य किया वह १५ दिन में इतनी भूखी हो गयी कि हमसे सोना भी मांगने लगी, पैसा भी मांगने लगी । वह जो एक नेशनल अपसर्ज हुआ था देश के अन्दर संकट के बादल मंडराये उसमें सब ने सोच लिया, गांव के एक एक बच्चे ने सोचा कि हम चीनियों को मजा चखा देंगे । उसका जवाब मिला कि तुम सोना नहीं रख सकते । अगर कोई रखेगा तो उसको जेल की सजा दी जायेगी । हमसे कहा गया कि चन्दा दो नेशनल डिफेन्स में । मैं समझता हूं कि नेशनल डिफेन्स में चन्दा लेना कोई गुनाह नहीं है । चन्दा लेने में कांग्रेस वाले तो माहिर हैं । उन्होंने अपनी उम्र भर चन्दा इकट्ठा किया है, लेकिन यहां आते ही उनकी अक्ल चन्दा लेने के साथ साथ अहिंसा का व्यवहार किस तरह से किया जाये वह भी भूल गयी । ऐसा कहा जाता है कि पहले राजा लोग अन्याय किया करते थे, जागीरदार लोग अन्याय किया करते थे लेकिन मैं वास्तव में कहता हूं कि उन्होंने तो राजाओं और जागीरदारों को भी पीछे छोड़ दिया । मैं जानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि इस तरह की बातें मत कहिये, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, चाहे इससे उनको डंक लगे तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसको सही कराना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है ।

आज तहसील में चले जाइये । अगर कोई रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसको हुक्म होता

(श्री मानसिंह महार)

हूँ कि १००) रुपया दो, अगर रजिस्ट्री करानी हैं; अगर नहीं दोगे तो नहीं होगी। तहसील में लगान जमा कराने जाते हैं पंच तो उनको कहा जाता है कि इतना रुपया जमा कराओ। अभी कहा जायेगा कि मिसाल दो, इस प्रकार की जनरल बातें मत कहिये। मैं एक ही अपील करूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी को कि आप या आपके केबीनेट के मंत्री मेरे साथ चलें और चलने की पहले इत्तला मत कीजिए, बस सीधे २ अपनी सफेद टोपी लगाकर चले चलिये। मैं आपको दिखाऊंगा कि जनता को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। मैं इसका पक्षपाती हूं कि डिफेन्स फण्ड इकट्ठा किया जाये लेकिन मुख्य मंत्री जी मेरी एक बात को सोच लें कि एमर्जेन्सी की हालत रहे तब तक वसूल करते जायें, लेकिन यह सोच लें कि जो इन्कम टैक्स देते हैं केवल उन्हीं से वसूल किया जाये। अगर यह बात तय कर लें तो आपको मोटी रकम भी मिल जायेगी। मैं कहता हूं कि मालदार आदमियों के साथ ज्यादती हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन गरीबों को दुखी करके जो पैसा लेते हैं उसमें सरकार के प्रति जनता की भावना कुछ खराब हो जाती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा एक क्रॉन्क्रीट सुझाव है कि आप केवल इन्कम टैक्स पे करने वालों तक ही सीमित कर दें तो अच्छा रहेगा और गरीब बच जायेंगे, वरना आज गांवों में चवन्नी रुपया के पीछे वसूल किया जा रहा है। आप कहते हैं कि जोर जुल्म नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होती। यह तो सबसे बड़ा नमूना है आपके सामने। हमको कहने की जरूरत नहीं है। क्या आप मानते हैं कि हर नागरिक ने यह फैसला कर लिया है कि जितना लगान देंगे उसके साथ १।४ जमा करायेंगे ?

यही नहीं, जबरदस्ती लिया जाता है। कहीं दुगुना लिया जाता है। यह तो फैसला ऊपर से होता है। यह तहसीलदारों के नादिरशाही हुक्म से होता है, कहीं एस. डी. ओ. साहब का हुक्म होता है, कहीं कलेक्टर साहब का होता है और नादिरशाही हुक्म के तहत इस प्रकार से पैसा वसूल किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यह हमारे लिए नुकसानदायी नहीं है। आप जितना ज्यादा जुल्म करेंगे उतना जल्दी ही घर जायेंगे। हमारे लिए तो यह फायदे की चीज है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ५-१० वर्ष बने रहें, इसलिये उनकी बहबूदी के लिये यह बात बताता हूं कि अन्याय मत कीजियेगा। हम लोगों ने अन्याय किया था इसलिये घर गये थे, लेकिन आप लोगों ने अधिक अन्याय किया इसलिये आपके मुकाबले में यहां आकर बैठ गए। अब जनता कहती है कि जागीरदार अच्छे थे। ये तो जागीरदारों से भी गये बीते निकले। सुनार सोने में मिलावट कर देता था तो सुनार को सजा होती है, लेकिन हमारी सरकार यह कहती है कि कोई असली सोने की चीज बना दे तो उसको सजा होगी। कहते हैं कि दूध में मिलावट मत करो, घी में मिलावट मत करो; यह मत करो, वह मत करो, लेकिन शुद्ध सोना नहीं बना सकते। यह हमारी भारत सरकार की बुद्धिमानी का नमूना है। राजस्थान सरकार की गलती इसमें नहीं हो सकती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : विषय के बाहर के सब्जेक्ट पर नहीं बोलें तो ठीक हो।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि मैं विषयान्तर्गत ही जा रहा हूं। आपको क्यों तकलीफ होती है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपको बहुत अधिक सोने का मोह है।

श्री मानसिंह महार : प्रत्येक भारत वासी को मोह है। रिश्वत के जो पैसे लेते हैं उनको उससे मोह नहीं होगा। वे नोट ही रखना चाहते हों, लेकिन जो ईमानदारी से, गाढ़े पसीने से कमाता है उसको सोने से मोह होगा। चोरी का माल लेकर काम करेगा उसको कैसे मोह होगा? यह चौदह केरटिया सरकार हो गई। आप गांवों में चलकर पूछ लें। यह तो हुई सोने की बात जो मैं आपको कह रहा था।

अब जयपुर में सिविल डिफेन्स की एक कमेटी बनी। हम तो किसी भी कमेटी में नहीं लिये गये, क्योंकि हम तो स्वतन्त्र पार्टी के हैं और सरकार की पोल खोल दें, तो हमको कॉन्फीडेन्स में नहीं लिया गया। लेकिन कौन कौन लिये गये, अध्यक्ष महोदय, आप जरा उसका विवरण तो सुन लें। उस कमेटी में श्री दामोदरलाल व्यास, जो मालपुरा और टोंक के रहने वाले हैं, उनको जयपुर में लिया गया है। दूसरे श्री रामकिशोरजी व्यास हैं। वे एक्स-होम मिनिस्टर हैं। कैसे नहीं लेते उनको? तीसरी हैं श्रीमती लक्ष्मीकुमारीजी चूण्डावत जो जन्म से तो मेवाड़ की हैं और शादी से बीकानेर की हैं, लेकिन उनको जयपुर की कमेटी में लिया गया है, क्योंकि वे सरकारी पार्टी की हैं......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अब तो उन्होंने यहां मकान बनवा लिया है।

श्री मानसिंह महार : अब तो सबका xxxx भी यहीं बन रहा है,

(विराम)

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

वह व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि जयपुर के सिविल डिफेन्स के लिए बनाएं या और किसी के लिए बनायें, उसमें महारानी गायत्री देवी का नाम नहीं आ सकता। वे दुश्मन दीखती हैं, काला सांप दीखती हैं। मानसिंह महार तो हौव्वा है, क्योंकि स्वतन्त्र-पार्टी का आदमी है नहीं आ सकता। कैसे आये? इसको लिफ्ट कैसे दें? हमको लिफ्ट मत दो, हमको लिफ्ट जनता देगी। हम जनता के लिफ्ट पर चलते हैं, आपके लिफ्ट के आश्रयी नहीं हैं। लेकिन आप एक तरफ कोऑपरेशन चाहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं।

दूसरा नमूना पेश करता हूं। राजस्थान में संकटकालीन स्थिति घोषित हुई। जयपुर के जिलाधीश महोदय ने एक मीटिंग बुलाई। राजस्थान में और कहीं यह बात नहीं हुई होगी। आप ताज्जुब करेंगे इस बात को सुनकर कि जिला परिषद् की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन उसमें एम.एल.एज़. को नहीं बुलाया गया। कहते हैं कि सहयोग दो। केवल प्रधानों और विकास अधिकारियों को बुलाया गया, क्योंकि जयपुर में दुर्भाग्य से सारे एम. एल. एज़. स्वतन्त्र पार्टी और २-३ जनसंघ के हैं।

हमको बुलाया जाय। मैं कलेक्टर ऑफिस में चला गया बाइचान्स, तो मैंने कहा कि आज क्या है तो बतलाया गया कि प्रधानों और विकास अधिकारियों की जिला परिषद् में मीटिंग बुलाई गई है। हमने क्या अन्याय किया है कि हम जिला परिषद् के बराबरी के मेम्बर्स हैं। हमसे क्या चाहते हैं कि हम इनके पीछे पीछे नहीं फिरते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर) : विकेन्द्रीकरण है ।

श्री मानसिंह महार : विकेन्द्रीकरण सत्ता का हो रहा है, यह सही फर्मा रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं । यह नमूना मैं पेश कर रहा हूं । आप कहते हैं कि हमें सहयोग दो । सहयोग लेने के लिए लख्खण चाहिये, अध्यक्ष महोदय, वे आज इस सरकार में नहीं दिखते हैं.....

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह तो आपने बता ही दिया अभी ।

श्री मानसिंह महार : सुने जाइये अभी तो शुरुआत ही है । यह तो सहयोग की बात हुई ।

इसके बाद मैं निवेदन करूं कि सेक्रेटेरियट लेवल पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और मिनिस्टीरियल लेवल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी तो हमने सोचा, अध्यक्ष महोदय, कि अब तो राजस्थान का उत्थान जरूर होगा । कैसे होगा ? साढे ९ से ५ बजे तक का दफ्तरों का टाइम कर दिया गया । यह नहीं सोचा गया कि उन सरकारी कर्मचारियों पर साढे नौ से पांच बजे तक का दफ्तर करने से क्या फर्क पड़ा । अफसर तो ११ बजे जाते हैं । एक बजे लन्च पर चले गये और ठीक समझा तो वापिस तीन बजे दफतर में पधार गये, वर्ना अंगड़ाई आ गई तो पोढ गये । कह दें कि गलत बात कहता हूं ! यह रोजमर्रा जयपुर में होने वाली बात है । कलेक्टर महोदय को देख लें । सेक्रेटेरियेट की तो मैं चौकसी नहीं रखता हूं, हालांकि जब वहां जाता हूं तो वहां भी मक्खी मारते हुए ही देखता हूं । मौत किसको आई है एमर्जेन्सी के नाम पर ? ऑफिसरों पर कोई असर नहीं पड़ा । मोटरों में घूमते फिरते हैं और पैट्रोल फूकते फिरते हैं, लेकिन बेचारा बाबू अगर १०-५ मिनट दफतर लेट पहुंचता है तो उसकी गैर हाजरी लगा दी जाती है । ५ बजे जाडों के दिनों में घर आता है जब कि रात हो जाती है । फिर कहते हैं कि हम लोग शरीर से हृष्ट-पुष्ट दीखें ताकि लड़ाई में काम पड़े तो हर नौजवान आगे आये । कौन आयेगा, क्योंकि बाबू के खेल का समय समाप्त हो गया और कोई फायदा नहीं हुआ । अगर आपको फायदा करना ही था तो बाबू के पास पर्सनल एप्रोच करते कि आज तक ५ फाइलें निकालते थे और एमर्जेन्सी में १० फाइलें रोज की निकालो तब तो कोई फर्क पड़ता । वह कुछ नहीं हुआ । एमर्जेन्सी एम. एल. एज़. के लिए आ सकती है, अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आपने पाबन्दी लगाई कि कमेटियां कम ही मीट करेंगी तो वह वाजिब था और सब पर लागू हुआ, लेकिन यहां तो वह सेक्रेटेरियेट में चीफ सेक्रेटरी पर लागू नहीं, सेक्रेटरी साहब पर लागू नहीं और न कलेक्टर साहब पर लागू है । क्लर्कों पर वह लागू होगा, गरीबों पर । इसी प्रकार से कलेक्टोरेट में चल कर देख लें । मैं कहता हूं कि ८ दिन मुझे दे दें, मैं सब साबित कर दूं कि एमर्जेन्सी के टाइम में क्या हो रहा है ।

हमको तो बोलने के लिये कहा जाय कि चुप रहो । गलत खबरें मत सुनो, गलत बात मत कहो और गलत बात देखो भी मत । यहां भी हम आंखों को मींच लें । हमको तो अन्धा बनाया जाता है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम आपको भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं, मुख्य मंत्री महोदय, कि आप भी गलत बात करिये मत । मैं सही कहता हूं । मुझे दुःख होता है कि आज देश के ऊपर इतना

(श्री मानसिंह महार)
संकट आया, देश एक प्रकार से एक ऐसे क्रूर, दुष्ट और निर्दयी दुश्मन के हमले से तिलमिला उठा। उस समय फिफ्थ कोलमिस्ट हमारे बराबर बैठे हुए हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि यहां इस तरह एक आदमी को जोधपुर के अन्दर मोटर में बिठाकर कुछ वोटों को डलवा लेने के खातिर यहां की कॉम्युनिस्ट पार्टी के एक ग्रुप के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे ग्रुप के आदमी सिर ऊंचा करके गृह मंत्रीजी की छत्रछाया में खुले फिरते रहे। लेकिन मैं गृह मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि जिस रोज साम्यवादी सरकार राजस्थान में आयेगी तो आप पहले आदमी होंगे जिसको कि वे पहले पकडेंगे। मैं आपकी और राजस्थान की बहबूदी के लिए यह कहता हूं। मैं चाहता हूं कि देश का भला हो। आपको काम यह करना चाहिये कि जितने भी साम्यवादी हैं जो कि इस तरफ बैठे हुए हैं जो कि सदन में जोरों से चिल्ला २ कर कहा करते थे कि हम अमेरिकन हैं, वे चीन के साथ होते हुए भी यहां बैठे हुए हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। यह सरकार की कमजोरी है। इसलिए हम सरकार को सहयोग नहीं दे सकते। हम मजबूर हैं। हमारी सरकार साम्यवादी लोगों को गिरफ्तार करके देश से फिफ्थ कोलमिस्ट को हटा नहीं सकती। उस कमजोर सरकार का हम साथ दें, यह बहुत मुश्किल हो जाता है; इसलिए यह बात कही जाती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचोर) यह सरकार बगैर कुसूर किसी को नहीं पकड़ती।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनमें बगैर कुसूर पकड़े गये हैं।

श्री मानसिंह महार : यह सरकार बगैर कुसूर उनको नहीं पकड़ती है जो कि सरकार के "जी हुजूरिये" हैं। यह सरकार एक गरीब सरपंच को मुअत्तिल कर सकती है चाहे उसका कुसूर मत हो। कुसूर उसका यह है कि सरकारी पक्ष के प्रधान या प्रमुख का विरोध करता है तो उसको सरकार मुअत्तिल कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। यह सरकार वह है जिस पर मैं बहुत लान्छन लगाता हूं, इस सरकार में भाई भतीजावाद भरा है। आज देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में भी बांदीकुई के बी. डी. ओ. का तबादला नहीं करने के लिये मुख्य मंत्रीजी से कहते हैं तो कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तबादला होगा, चाहे पंचायत समिति के हैं या एम. एल. ए. के हैं तबादला होगा क्योंकि वे स्वतंत्र पार्टी के समर्थक हैं। यदि स्वतंत्र पार्टी के एम. एल. ए. गोविन्दगढ़ के बी. डी. ओ. की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि इसका तबादला करदो क्योंकि मकान में जबरदस्ती बैठा दिया है तो उसकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि वे किसी के रिश्तेदार हैं, मेहता हैं और यह तबादला कैंसिल हो जाता है हुए बाद भी और दूसरी ओर सारी पंचायत समिति जाकर कहे तो भी बी. डी. ओ. का तबादला कैंसिल नहीं होता है और दूसरे सरपंच जो सरकार के नजदीक हैं वे जाकर कहें तो तबादला हो जाता है। यह तो हाल है सरकार का यहां पर।

एमर्जेन्सी आई, अध्यक्ष महोदय। हमने सोचा था हथियारों के लिये हमारी सरकार कुछ देगी। हमारे उधर पाकिस्तान है। आपको मालूम होना चाहिये कि ३००-४०० मील की हमारी सीमा उससे लगती है....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : ७०० मील सीमा लगती है।

श्री मानसिंह महार : आप इतना लाइटली मत फरमाइये, यह मामला मामूली नहीं है.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप तो ४०० मील की सीमा को भूल गये।

श्री मुरलीधर व्यास : ७०० मील नहीं है, ६४५ मील है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : ६४१ मील है।

श्री मानसिंह महार : सरकार चाहे तो बंदूक का लाइसेंस कैन्सिल कर दे....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कैन्सिल कर दे।

श्री मानसिंह महार : लाइसैन्स लेना कैन्सिल कर दे ताकि बिना लाइसेंस बंदूक रख सकें। अब वह जमाना नहीं है कि सत्याग्रह से काम चल जायगा। हमको मौका दीजिये, हम अपनी बंदूकों से मुकाबला करें....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने पहले भी किया था मुकाबला, बाहर के लोगों को यहां बुलाया था।

श्री मानसिंह महार : अब आपको मौका देने पर ही तो आपने चीन को निमंत्रण देकर बुलाया है। अब भगाइये उनको अहिंसात्मक आन्दोलन से।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे मेवाड़ में तो आपने ही बाहर से लोगों को बुलाया था।

श्री मानसिंह महार : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम सोच रहे थे कि आप लोगों को बंदूकें देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। चीन के हमले के बाद क्या हुआ कि एक टोपीदार बंदूक का लाइसैन्स पहले चार आने में होता था। लाइसैन्स लेने के लिये तहसीलदार या एस. डी. ओ. के पास जाते हैं तो हुक्म होता है कि डिफैन्स फण्ड में तुमको ११) रु० देने होंगे। आप अंदाज लगाइये १०), ११) रुपये तो उनके गांव से आने जाने में और खाने में खर्च हो जाय और फिर ११)रु. डिफैन्स फंड में दें जब कि उस बंदूक की कुल कीमत ८) या ९) रुपये है। अब आप ही देख लीजिये कई लोग तो ऐसे हैं कि तंग आकर उन्होंने कहा कि रक्षा फण्ड में इस बंदूक को ही रख लो। कितने ही लोगों ने बंदूकें फेंक दीं। क्या करते आखिर तंग आकर? आज जब कहा जाता है कि हथियार लोगों को दिये जायं, फौजी तैयारी की जाय तो कहते हैं होम गार्ड बना रहे हैं, न मालूम क्या क्या राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में नाम बताये थे, सिविल डिफेन्स, होम गार्ड आदि कहने को तो बहुत कहा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे दो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में एन. सी. सी. की ट्रेनिंग कम्पल्सरी करदी गयी है लेकिन दरअसल में वहां पर होता कुछ नहीं है १०–२० दिन परेड करके सलाम की, उनको भेज देते हैं और वे एक दो घण्टे तक स्टैण्ड एट ईज हुए, खड़े रहे और हाजिरी हो गई। यह एन. सी. सी. की ट्रेनिंग हो गई।

मैं कहता हूं कि जो काम करना है वह ठोस करना चाहिये। दुश्मन को देखिये, वह क्या कर रहा है? आज वह जमाना नहीं है कि पुराने ढांचे पर चलें। आज भी मंत्रीजी की मोटरें उसी तरह से कोयले लेने जाती हैं और सब्जी लेने जाती हैं। असलियत

(श्री मानसिंह महार)
क्या है ? असलियत यह है कि हम चाहते हैं राजस्थान में भी कुछ हो । हमारे मुख्य मंत्रीजी हमारे पडौसी पंजाब के मुख्य मंत्री कैरों साहब के साथ लद्दाख गये थे । हम सोच रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने उनसे कुछ सबक लिया होगा, उन्होंने ३१ से ९ मंत्री कर दिये तो ये भी १६ के बजाय ५ या ६ कर देंगे । हो सकता है मुख्य मंत्रीजी यह सोचें कि मंत्रिमंडल में कमी करने की बात मत करो, दोनों गुटों में एक-दो का ही फर्क है, कमी करने से उनकी कुर्सी हिल जायगी । शायद मुख्य मंत्रीजी सोचें कि मैं उनकी कुर्सी को डगमगाना चाहता हूं तो वे भले ही दो-चार और बढ़ालें, कोई हर्ज नहीं; लेकिन और प्रशासनिक व्यय में कमी करें । मैं समझता था कि राजस्थान के एक मंत्री उठ कर यह कहेंगे कि एमर्जेन्सी में हमने ऐसा इन्तजाम किया है कि राजस्थान से रिश्वतखोरी खत्म हो गई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर रिश्वतखोरी पहले से चौगुनी हो गई है, डिफेन्स फण्ड के नाम से भी रिश्वतखोरी शुरू हो गई है । दफ्तरों की रिश्वतखोरी इससे बन्द नहीं हो सकती । इसको बन्द करने का, एण्टीकरप्शन को रोकने का विचार नहीं करते .....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : एण्टीकरप्शन को रोकने का ?

श्री मानसिंह महार : वे भी खाते हैं । एण्टीकरप्शन वालों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, यह पोइन्ट है । मैं सही कहता हूं । वाजिब बात कही जाय तो हमारी वाजिब बातों पर भी गौर नहीं किया जाता है और फिर कहा जाता है सहयोग दो, सहयोग दो। हम भी कहते हैं कि हमारा पूर्ण सहयोग है, सुखाडियाजी की सरकार को । मैं क्या कहूं, मैं नमूना देता हूं कि किस तरह का सहयोग मांगा जाता है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप खुद नमूना हैं ।

श्री मानसिंह महार : करप्शन का नमूना दूं । ऐसा ऐसा अन्याय होता है । एक बी. डी. ओ. बस्सी में थे तीन-चार साल पहले, उन्होंने २ लाख रुपयों का गबन किया लेकिन वे भरतपुर के एक कांग्रेसी नेता के छोटे भाई हैं, उनको चार साल होने आये हैं, कई बार आई. जी. एण्टीकरप्शन को लिखा, १० बार लिखा होगा तब जाकर सिर्फ उनको सस्पेन्ड कर दिया, लेकिन उन पर केस चलाने की इजाजत नहीं दी । रिश्वत भी क्या मिट्टी का दीपक है जिनको हमारे जनसंघी मित्र बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, एक पैसे से भी कम में आता है वह सवा सवा रुपये में खरीदे गये । रिश्वत की भी हद होती है । ब्लोटिंग पेपर जो एक आने में आता है वे एक रुपये में खरीदे गये इस तरह से उन्होंने २ लाख रुपयों का गबन किया, लेकिन अभी उनका मामला लटका हुआ है क्योंकि कभी विश्वप्रियजी का टेलीफोन आ जाता है, कभी मालपुरा से टेलीफोन आ जाता है, रिश्तेदारियां भी तो ऐसी हैं, मुख्य मंत्रीजी क्या करें । कैसे उनको बर्खास्त करें ? लेकिन जयपुर जिला के सिरसी के सरपंच का मामला आवे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि उसने मानसिंह महार को सहायता दी थी । इलेक्शन में उसने मुख्य मंत्रीजी के दामाद के परम मित्र का मुकाबला किया था इसलिये उसको डिस्मिस कर दिया जाता है ।

(श्री मानसिंह महार)

कहता हूं आप डिस्मिस करिये; लेकिन ऐसे सभी को करिये·····

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप भ्रष्टाचार का पक्षपात क्यों कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं पक्षपात करता तो मुख्य मंत्रीजी को जाकर कहता कि इसे डिस्मिस मत करिये। आप पूछ लीजिये, अगर एक लफ्ज़ भी कहा हो। मैं आपकी तरह चोरों का पक्षपाती नहीं हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं····

श्री गिरधारीलाल व्यास : फिर किसलिये हिमायत कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वह चोर तो है सिरसी का सरपंच।

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं कि कम्युनिस्ट समर्थक जो सरपंच हैं उनको डिस्मिस करायें।

तो अध्यक्ष महोदय, आमेर तहसील, जमुआ रामगढ तहसील के लिये हमारे ऑडिटर जनरल ने एतराज कर दिया और कहा कि जो डेवलपमेन्ट के नाम से पैसा दिया गया है, उसका हिसाब दिया जाय। तो तहसील में भाग-दौड मची क्योंकि सैंकडों का हिसाब ऐसा है कि जिनका यह पता नहीं कि रकम किसको दी गई, वर्क कम्प्लीट होना या न होना दूसरी चीज है। अगर मुख्य मंत्रीजी डिनाई कर दें, यह बात गलत कहता है मानसिंह महार तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा, यह मैं एलान करता हूं····

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप कह कर फिर मुकर जाओगे।

श्री मानसिंह महार : मैं आप जैसी ××× नहीं सीखा हूं और अगर मैं सत्य कहता हूं तो मुख्य मंत्रीजी कहदें कि वे इस्तीफा दे देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपको मालूम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अनपार्लियामेन्टरी भाषा बोल रहे हैं, ××××····

श्री अध्यक्ष : आप प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको।

श्री मानसिंह महार : जमुआ रामगढ़ तहसील में, अध्यक्ष महोदय, ऐसे डेवलपमेन्ट वर्क के लिये पैसा दिया हुआ है, जिनके लिये यह ट्रेसेवल नहीं कि रुपया किसको दिया। मैं इस बात को एक बार फिर दोहराता हूं, इसको अगर अनपार्लियामेन्टरी मानते हैं मेरे मित्र तो वे भले ही मानें। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा, अगर यह सत्य नहीं हो। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और सरकारी धन के लिये कोई जांच नहीं होती, दुःख मुझे इस बात का है। ये चन्द बातें मैंने डिफेन्स फण्ड की कीं।

अब मैं पंचायत राज्य पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय ने बडी कृपा करके फर्माया कि हमारी सरकार ने हर ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सेवक रखने का फैसला किया है। बडे मुद्दे की बात की हमारी सरकार ने, लेकिन शायद हमारी सरकार को यह मालूम नहीं है अभी तक कि उसने ग्राम पंचायत को इतना छोटा बना दिया है। इतना छोटा बना दिया है कि एक ग्राम सेवक एक ग्राम पंचायत में करेगा क्या ? मगर वह

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानसिंह महार)
तो स्वीपिंग फैसला हो गया आंख मीच कर, लेकिन एक पंचायत में एक ग्राम सेवक हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे पंचायतों का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और न इससे राजस्थान का नक्शा बदलने वाला है· · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पंचायत का पैसा भी नहीं लगेगा।

(१.५४ म०प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानसिंह महार : मेरा निवेदन करना यह है, मैं कॉन्क्रीट सुझाव देता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप वाकई मन से यह चाहते हैं कि राजस्थान का डेवलपमेंट हो, राजस्थान के खर्च में कमी आये तो एक तो आप विकास अधिकारियों को तोड़ दीजिये। जो एस. डी. ओ. हैं हमारे यहां के, उनके पास जो काम थे वे मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास चले गये। वे काम कम हो गये हैं इसलिए अब आर. ए. एस. के डेढ़ सौ, दो सौ अफसरान कम करके आप बहुत भारी खर्च बचा सकते हैं, अगर बी. डी. ओ. को कम कर दें और एस. डी. ओ. को कम कर दें। इसके साथ ही साथ यह जो सोश्यल एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, इन्डस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, इनकी पोस्ट्स भी तोड़ दीजिये क्योंकि गांवों में सोश्यल और इन्डस्ट्री एक्सटेंशन की क्या आवश्यकता है? इसके अलावा आप एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर दे दीजिये, पशु–पालन के लिए एक डॉक्टर दे दीजिये। यह मदद आप कीजिये। और यही नहीं, आप उनके नाम भी बदलिये। मैं फिर कहता हूं कि उनको ऑफिसर की बू मत लगने दीजिये, उनको आप ऑफिसर मत कहिये। उनको कुछ और कहिये। जैसे आपने ग्राम सेवक कहा, उसी प्रकार से कोई सेवक बना दीजिये· · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : सर्किल सेवक।

श्री मानसिंह महार : सर्किल सेवक कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनके दिमाग से ऑफिसर की बू चली जाय, वर्ना उनको गांवों में जाने के लिए भी मोटर चाहिए क्योंकि वह एक्सटेंशन ऑफिसर पैदल गांव में कैसे जाय। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके विकास के कार्यों की हालत यह है कि विकास विभाग की मोटर में जाकर लोग सगाई कराते हैं· · · · · · · · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह भी डेवलपमेंट हो रहा है।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : यह भी डेवलपमेंट है।

श्री मानसिंह महार : तो जीपों में जा जाकर यह विकास हो रहा है। ठीक है, देश में बच्चों की आवश्यकता है। यह डेवलपमेंट मैं जरूर मानता हूं। तो मैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल रखता हूं उससे अगर मुख्य मंत्रीजी को कुछ लगे तो· · · · · · · · ·

श्री रामकिशन : कैसे लगे ?

श्री मानसिंह महार : एक न्याय पंचायत के सदस्य हैं, गोविन्दगढ़ की तहसील के अन्दर एक औरत को उसके घर में से जबरदस्ती निकाल कर उसको बेइज्जत करने की कोशिश की। उसको पीटा और उसको यहां (कन्धे पर) काट खाया। आज भी वह काटा हुआ पक रहा है लेकिन बावजूद इसके ४५२ का मुकदमा तो बना, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें यह हुक्म हुवा कि आठों मुलजिमों को बिना गिरफ्तार किये अदालत में पेश

(श्री मानसिंह महार)
किया जाय, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाय। हमारी सरकार इसके अन्दर देखे कि चार-पांच महिलायें बैठी हैं, महिलायें यहां होते हुए भी एक महिला को बाजार के बीच, सरे आम बेइज्जत करना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन फिर वे कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जीप ले जाकर उस न्याय पंचायत के सदस्य के लड़के से अपनी लड़की की सगाई करायें। वे ब्लॉक की जीप में गये, आप इसकी इन्क्वायरी करा लें। अगर मैं गलत नहीं कहता हूं तो वे इस सदन में कहें, अभी तो सदन डेढ़ महीने चलने वाला है। मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। अगर सच बोल रहा हूं तो वे इस सदन में कहें कि एक ऑफिसर की नालायकी थी कि वह जीप लेकर सगाई कराने के लिए गया और पुलिस ऑफिसर की गलती थी कि बिना गिरफ्तार किये अदालत में मुल्जिमों को पेश किया। यह आप देखिये, इससे गांवों में बदनामी होती है। उस गांव में, मैं मुख्य मंत्रीजी को कहता हूं, वे चलें। मैं गृह मंत्रीजी को भी कहता हूं कि वे चलें · ·

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन से गांव की पंचायत है ?

श्री मानसिंह महार: वह गांव यहां से बहुत नजदीक है। वह उदयपुरिया गांव है, इटावा के सरपंच, श्री हरि उनका नाम है। एस. पी. जयपुर ने हुक्म दिया है कि अरेस्ट न किया जाय, चालान जरूर किया जाय · · ·

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस में कब से हैं।

श्री मानसिंह महार : खादी ग्रामोद्योग के मैनेजर हैं, जो पांच बत्ती के सामने है, श्री रामनारायण जी, जिनकी बेटी से सगाई उस लड़के से हुई है। इस कांड के होने के बाद ब्लॉक की जीप में गोविन्दगढ़ से बैठ कर रामनारायण जी के यहां गये और अदालत में मुल्जिमों को हथकड़ी पहना कर नहीं ले गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इस हाउस में जबसे आप बोल रहे हैं रामनारायण का नाम लेते हैं। क्या उसने आपका विरोध किया था ?

श्री मानसिंह महार: वह तो खादी भंडार के नौकर हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनकी खिलाफत की थी।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मालूम होता है, आपका विरोध किया था।

श्री मानसिंह महार : मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मित्र ने बात कह दी तो खादी भंडार के बारे में दो शब्द कहने पड़ेंगे। आज सरकार हमसे कहती है कि खर्च कम करो, ब्याह शादियों में सादगी अपनाओ

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप खत्म हो रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : हमारी सरकार कहती है, ब्याह शादियों में खर्च कम करो। हम इसे शिरोधार्य करते हैं, लेकिन जिस भारत में दो सौ करोड़ रुपये खादी भंडारों की परवरिश के लिए दिये हुए हैं, जिस प्रकार से जयपुर के अन्दर खादी भंडारों को लाखों रुपये दिये गये हैं कर्ज के रूप में, उसकी वसूली का कोई नाम नहीं लेंगे।

(श्री मानसिंह महार)

एक रोज मैं आमेर चला गया, वहां के खादी भंडार ने मुसलमानों के ताजिये ले जाने का जो रास्ता था, उसको जबरदस्ती रोक दिया। उपाध्यक्ष महोदय, २५ मुसलमानों का एस. डी. एम. के यहां चालान हुआ है पिछले ताजियों के जमाने में। वे २५ मुसलमान अदालत में आते हैं हर तेरहवें दिन। वे कहते हैं कि मुचलके कर लो, अगर कोई जुर्म है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। किस तरह से लोगों को हैरेस करते हैं नेता लोग, वह मैं बता रहा हूं? वे कहते हैं कि मुचलके ले लिये जायं तो कहते हैं, कुछ नहीं, अभी जांच कर रहे हैं, आमेर में। उसके बाद मुचलके की बात कीजिये। उस खादी भंडार को दो लाख रुपये कर्ज के रूप में दिये हुए हैं इस सरकार द्वारा। एक रोज उस खादी भंडार के नौकर से बात हुई। मैंने कहा, भाई, क्या तनख्वाह मिलती है। बोला साहब, हमको कौन देता है; सौ, सवा सौ रुपट्टी देते हैं। तो मैंने कहा कि आज-कल तो आपका काम बहुत अच्छा चलता होगा। उसने कहा कि अभी तो अच्छा चल रहा है और जब तक दो लाख रुपये पूरे न होंगे तक तब ठीक चलेगा। जिस समय ये दो लाख रुपये समाप्त होंगे मांग कर लेंगे। मैंने कहा कि ये डूबेंगे क्यों? उसने कहा, डूबेंगे। इन्हीं खादी के पैसों से व्यवस्थापकजी ने जीप खरीद ली है। डॉक्टर कल्याणबक्सजी जयपुर शहर में जीप में ही घूमते हैं। उनके ड्राइवर और तेल का सारा खर्चा खादी भंडार पर ही तो है। इसके अलावा वे ३००-४०० रुपये व्यवस्थापक के नाम से ले लेते हैं। आप तमाशा देखिये। यह रुपया खत्म हो जावेगा। नेशनल एमर्जेन्सी के समय भी इस प्रकार होता है। अभी रिबेट खत्म कर दी गई, मगर इस संबन्ध में कुछ प्राइवेट इत्तला जो मुझे मिली है वह अगर मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो बता दूंगा। लेकिन वह रिबेट तो बन्द कर दी। इसके लिये फैसला हुआ कलकत्ते में और क्या फैसला हुआ, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में होगा ही। उनको कॉम्युनिकेट किया ही होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कलकत्ते में कहां फैसला हुआ ?

श्री मानसिंह महार : अगर कलकत्ते में नहीं हुआ तो कहां हुआ? आपकी जानकारी में होगा ही। मुझे भी खादी वालों से सूचना मिली है। मैं भी खादी वालों से दोस्ती रखता हूं।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष के) : विनोबाजी ने कलकत्ते में अपने विचार प्रकट किये उसका जिक्र करते होंगे।

श्री मानसिंह महार : मैं खादी के मामलों में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि कोयले की दलाली में काले हाथ होते हैं। इसलिये मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिये मैंने चन्द बातें अपने मित्रों के सामने रखी हैं।

आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि ५५ वर्ष से ५८ वर्ष की उम्र रिटायरमेंट की सरकार ने कर्मचारियों के लिये कर दी है। भारत सरकार ने भी यह ५८ वर्ष की उम्र कर दी है और हमारी सरकार ने भी उसको मान लिया; इससे तो हमें ज्यादा दुःख नहीं हुआ, लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम एक लम्बे अर्से से इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि राजस्थान के आई. जी. पी. जल्दी ही रिटायर होने वाले थे, हो जावेंगे और पुलिस में सुधार होगा। किसी के पास जावें तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि कि आई. जी. पी. बीकानेर के हैं, हमारा कुछ

(श्री मानसिंह महार)

वश नहीं चलता है। इससे मुझे बड़ा दुःख है। पहले मैं मुख्य सचिव की बुराई करता था। वे पक्षपात करते होंगे, मगर यह धारणा नहीं कि वे उदयपुर के हैं तो उनका हमेशा पक्ष लेते रहें। इसके अलावा सेक्रेटेरियेट में चपरासी यह नहीं कहेगा कि .....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहा साठगांठ हो गई है क्या ?

श्री मानसिंह महार : साठगांठ हो गई तभी तो यहां बैठे हैं, वर्ना हम अमेरिका के समर्थक हैं। हम तो कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड के गुट में शामिल हो जावो, वर्ना मारे जाओगे। हम तो कहते हैं नेहरू से कि अमेरिका के गुट में मिलो, अगर आप देश का और अपना हित चाहते हो; वरना आप, आपकी सरकार, मारे जाओगे। मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ये तो सैंकडों वर्षों तक विदेशी ताकतों के गुलाम रहे हैं।

(शोर-गुल)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने तो अपना भला कर ही लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please! Order!

श्री मानसिंह महार : हमने जो किया वह तो आप अब करते हैं। आज आपने शैतानसिंह को एक हजार बीघा जमीन और ..

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, Sir............

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मानसिंह महार के खड़े होने पर) Order please! There is a point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बहस क्या इस सदन में एलाउ की जा सकती है ? क्या इस तरह की चर्चा, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे दूसरा कोई मुल्क हो, उसके बारे में सम्माननीय सदस्य को इस तरह से नहीं कहना चाहिये जिससे कि हमारे यहां पर लोगों की जो धारणा है उस पर असर पड़े और गलत धारणा अपनाने की शंका हो। क्या इस प्रकार की चर्चा यहां हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विदेशी राष्ट्रों के बारे में कोई भी संकेत करने में सतर्कता बरती जावे।

(श्री महार को संबोधित करते हुए) मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: It is taking too long to sum up. I hope it will be summed up in half a minute.

श्री मानसिंह महार : आधे मिनट में नहीं कर सकता; दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: No; one minute.

श्री मानसिंह महार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो सारा एटमोस्फियर है यह ऐसा एटमोस्फियर देश में बना कि हम सबको एक हो जाना चाहिये

(श्री मानसिंह महार)
और एक होकर देश की रक्षा करनी है। हमने पूरा प्रयत्न किया कि हम सरकार को पूर्ण सहयोग देंगे। आज भी मैं अपनी पार्टी की तरफ से एलान करना चाहता हूं कि हम सरकार को अनकन्डीशनल हेल्प देने को तैयार हैं, वह इस सूरत में कि सरकार पब्लिक के साथ जबरदस्ती न करे और सरकार साम्यवादी को अपने साथ न ले।

एक माननीय सदस्य : यह तो फिर अनकन्डीशनल कहां हुआ? यह तो कन्डीशन हो गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारी सेवाएं न लें और आपको पेंशन दे दें।

श्री मानसिंह महार: हम सरकार के कोई पेन्शनर नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी तिजोरियों को कोई न छेड़े।

श्री मानसिंह महार : हमने कोई मुर्बा और रिश्वतें लेकर पैसा पैदा नहीं किया है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order !!

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं कि पब्लिक को मुगालता न दें। अगर मैं जागीरदार रहा तो कहूंगा कि जागीरदार रहा। यह नहीं कि खादी की पूंजी को दबा कर घर भर लिया। ये शब्द कह कर मैं सरकार से निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सदन के सभी मित्रों को कहता हूं कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दें तो १४ केरट सरकार की तरफ से जोड़ देंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : [संशोधन इस प्रकार है: "किन्तु खेद है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने व शान्ति कायम रखने में असमर्थ रही है।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के विषय पर मैंने भी उक्त एमेन्डमेंट प्रस्तुत किया है उसकी चर्चा करते हुए मैं सदन के समक्ष एक बात रखूंगा और एक धारणा जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर हुई वह आम यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई विशेष बात नहीं आई, वह एक साधारण और फोर्मल सा भाषण दे दिया। राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई ऐसे आकर्षण की बात नहीं देखने को मिली और न सुनने को मिली जैसी कि उनसे आशा थी, जैसा कि इस भाषण से आम आशा रखते थे।

आश्चर्य उस वक्त हुआ जब राज्यपाल महोदय के भाषण में अहम मुद्दों, अहम विषयों, अहम महकमों के विषय में कोई रेफरेंस, कोई विश्लेषण नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर मैं रखूं कि राज्यपाल के भाषण में जिसका कि मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें अनएम्प्लोयमेंट के विषय में कोई चर्चा नहीं है। आज इस प्रांत में इस संकटकालीन स्थिति में हमको देखने को मिलता है और वे चीजें हैं जो इस संकटकालीन स्थिति से उत्पन्न हुई, वह अनएम्प्लोयमेंट की समस्या एक बडी समस्या है, इसका इस भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही देखा कि नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, हैल्थ, एज्युकेशन आदि महत्वपूर्ण महकमे हैं उनके

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। यह देख कर बड़ा दुख हुआ।

अनएम्प्लोयमेंट जैसी समस्या जो देश में, जो हमारे प्रान्त में पैदा हुई उसका कोई जिक्र तक राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं था। इसी तरह सर्विस क्लास में भी इस संकटकालीन स्थिति के परिणाम से जो अनएम्प्लोयमेंट की समस्या उत्पन्न हुई, ५५ वर्ष की उम्र से ५८ वर्ष की उम्र बढ़ाने में हुई, ऐसी समस्या है जिसका जिक्र किया है पर जो नये आदमियों के लिये अवसर था एम्प्लोयमेंट का उसकी तरफ कोई जिक्र नहीं किया।

राज्यपाल महोदय के भाषण में एक बात देखने को मिली कि जो ६० प्रतिशत नया रिक्रूटमेंट है वह मिलिटरी के लिये रिजर्व कर दिया, कुछ पर्सेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये पहले से ही रिजर्व्ड है। तो जो बाकी की क्लास अनएम्प्लोयमेंट है उसके लिये न राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई उत्तर है और न सरकार की ओर से ही हल है। तो जो अनएम्प्लोयमेंट की समस्या पैदा हुई उसके लिये जिक्र भाषण में किया जाना चाहिये था।

मैं आपके सामने कुछ बातें रख कर लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाऊंगा कि लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट के अन्दर जो बातें हो रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि जिस जनतन्त्र–प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की कार्यवाहियां इसमें की जा रही हैं। १४१ नगरपालिकाओं में से ७३ में एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं, आधी से ज्यादा म्युनिसिपैलिटियों में आज एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो वहां वर्क करते हैं और दुहाई दी जाती है जनतन्त्र की। वहां चुनावों की मांग की जाती है तो संकटकालीन स्थिति की आड़ लेकर कहा जाता है कि इस स्थिति में चुनाव नहीं कराये जा सकते। संकटकालीन स्थिति की आड़ लेकर जो विरोधी म्युनिसिपैलिटियां हैं उनको हटा कर वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किये जा रहे हैं। वहां पर अनएम्प्लोयमेंट की समस्या को, नये आदमियों को भर्ती करके दूर करना तो दूर रहा जो रिटायर्ड हेड्स हैं, जो उनके मर्जीदान हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, मोहल्ले के हैं उनको जगह जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। यह है आपके स्वायत्त शासन विभाग की बात और अनएम्प्लोयमेंट की समस्या को हल करने की बात। केवल यहीं नहीं किया जा रहा है बल्कि पर्दा भी डाला जा रहा है कुछ म्युनिसिपैलिटियों पर जिनके बारे में इनके मर्जीदान मिल आकर सिफारिश कर देते हैं। इसके बारे में सदन में प्रश्न किये जाते हैं, ऐसे म्युनिसिपल बोर्डों के बारे में एस. डी. ओ. और कलेक्टर की २४ पेज की लम्बी रिपोर्ट होती है, सीरियस एलिगेशन्स हैं गबन के, ओवर एण्ड एबव वसूली के। इस प्रकार के सीरियस आरोपों की, सीरियस इर्रेगुलेरिटीज की रिपोर्ट दी जाती है उसके बारे में सदन में प्रश्न किया जाता है तो पिछले सदन में कहा गया कि १० दिन में लिखित जवाब दे देंगे, पर आज तक जवाब नहीं दिया गया। मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा है कि १० दिन में लिखित जवाब नहीं दिया है इसलिये एक्शन लिया जाना चाहिये, जिन्होंने कि सदन की मर्यादाओं को, परम्पराओं को तोड़ा है और सदन में कहने के बावजूद भी १० दिन में लिखित जवाब नहीं दिया है। सदन में दो बार कहा गया कि हमारे पास

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

पर्याप्त समय नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते उनका जवाब मंगाया जाता है स्पेशल मेसेंजर से तो स्पेशल मेसेंजर को कह देते हैं कि हम आपको कोई जवाब नहीं देते, हमारी मर्जी होगी तब जवाब देंगे और इस पर सदन में कह दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, पूरी सूचना नहीं आई है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आज इस प्रकार की मनमानी कार्यवाहियां हो रही हैं। जहां आक्शन होने चाहिये वहां पर अलाटमेंट्स हो रहे हैं, आक्शन नहीं किये जाते और अपने अपने मर्जीदानों को अलाटमेंट किये जाते हैं। ये हैं स्वायत शासन विभाग की मनमानी कार्यवाहियों की समस्याएं जो रोजमर्रा अर्बन इम्प्रूवमेंट वगैरह में नजर आती हैं।

जो अमेंडमेंट भी लाया गया है वह अपने व्यक्तियों को इसमें लगाने के लिये लाया जा रहा है। जहां म्युनिसिपैलिटीज होनी चाहिये, वहां अर्बन इम्प्रूवमेंट बनाने की जरुरत है या नहीं है, यह अधिकार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाता है वह भी आर्डिनेन्स के जरिये अधिकार लिया जाता है। इस तरह अपने दो-तीन आदमियों को अपोइन्ट किया जाय और साथ ही यह कहते हैं कि ६१ में एक्ट आ जाने के बाद भी पहले के नक्शों को जो पास किया जा रहा है उसके बारे में जब यह सवाल हुआ कि लीगेलाइज हैं कि नहीं तो उसके लिये सदन में अमेंडमेंट आता है। तो इस तरह आप अपने कानूनों की मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने अपने व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह के अमेंडमेंट लाते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अपने व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिये, जो व्यक्ति यहां हार गये हैं, जो किसी जमाने में आपके मित्र थे या आज भी मित्र हैं, उनको संरक्षण देने के लिये इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं।

इसके साथ साथ में यह कहूंगा कि एजूकेशन और हैल्थ जैसे नेशन बिल्डिंग विभाग हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई जिक्र नहीं है, एक आध पासिंग रेफरेन्स के सिवाय और कोई जिक्र नहीं है। एज्यूकेशन के बारे में रीजनल ट्रेनिंग हो रही है, इसका जिक्र दिया है और कोई जिक्र नहीं कि एज्यूकेशन में हमने क्या तरक्की की या क्या क्या योजनाएं हैं पंचवर्षीय योजना कायम रहेगी या इसमें कटौती की जायेगी या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं। आज एज्यूकेशन के विस्तार के लिये कहा जाता है, पर हमें आशंका है कि कहीं इसमें भी कटौती नहीं की जा रही है, ऐसे नेशन बिल्डिंग के डिपार्टमेंट में तो कहीं कटौती नहीं की जा रही है।

यही हाल हैल्थ डिपार्टमेंट का है, डाक्टर का कार्य-सेवा करने का है, सबके साथ मिल कर रहने का है। गांव में, कस्बे में एक आदमी है; पर वह भी राजनीति का शिकार बना हुआ है। डाइरेक्टर उसकी ट्रान्सफर करते हैं पर उसकी ट्रान्सफर कैंसिल कराने के लिये जो हारे हुए व्यक्ति हैं, वे यहां पड़े रहते हैं और मैं यह कहूंगा कि वे उसकी ट्रांसफर को कैंसिल कराने में सबल भी हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति के ३ महीनों में ११ जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। एक योग्य मालदार आदमी जो लोक सभा तक को सुशोभित कर चुके हैं इस ट्रांसफर में आकर इसको तरक्की देंगे, ऐसा हम समझते हैं। पर शायद उनको समय नहीं मिलता है, इस कारण से इस डिपार्टमेंट में इस प्रकार की धांधली हो रही है।

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
डायरेक्टर तक कहते हैं कि मैं मिनिस्टर का कहना मानूं या गवर्नमेन्ट का कहना मानूं ।

यह बात लिखित में आती है और फिर उसमें यह कह दिया है कि हम जो जवाब लिखते हैं उसकी कम्पलायंन्स करते हैं । देख कर आश्चर्य होता है आप एक तरफ तारीफ करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी है और वह आप देखिये कि आप क्या कर रहे हैं । वास्तविक स्थिति क्या है ? मैं यह अर्ज करूंगा कि आवश्यकता है इस चीज के लिये कि कहा जा रहा है कि लोकल सैल्फ को ठीक किया जा रहा है । लेकिन मैं कहूंगा कि लोकल सैल्फ को ठीक करने के लिये तेजी से कदम उठाये जा रहे हैं, शायद लापरवाही से उठाये जा रहे हैं, उस ओर ध्यान दिया जायगा और उस दूषित वातावरण को दूर करने के लिये जन-हित में कार्य होंगे ।

आज तसल्ली मिली, संतोष मिला तो एज्यूकेशन के महकमे में । उसमें गये सत्र से लेकर एक चीज देखने को मिली कि गांवों के अन्दर, अध्यापक वर्ग के अन्दर कुछ संतोष मिला है । हम आशा कर सकते हैं कि अगर यह रफ्तार रही और इसमें भी दूषित वातावरण और राजनैतिक प्रभाव नहीं आया तो इसमें कुछ तरक्की होगी । लेकिन यह देख कर दुःख जरूर

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हुआ कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में शिक्षा विभाग के उत्थान के लिये कोई चीज नहीं रखी और अजीब तरीके का यह भाषण देखने को मिला ।

इसी तरह मैं आपके सामने दूसरी बात भी कहूंगा कि राज्यपाल के भाषण में एक बात कही गयी है । देखने में वह अच्छा है और जाहिरा तौर पर वह अच्छा है कि अब जो ऋण दिया जावेगा पंचायत समितियों में वह कोआॅपरेटिव सोसायटियों के जरिये से ही दिया जावेगा । आपका उद्देश्य है सहकारिता आंदोलन को बढ़ाया जाय, प्रोत्साहन दिया जाय और इसको बढ़ाया जाय, प्रोत्साहन दिया जाय इसमें कोई दो राय है नहीं, हो नहीं सकती । आप इस निर्णय को लावें लेकिन इस निर्णय को लाने के वक्त इसकी जो प्रेक्टिकल साइड है उसको आपने ध्यान में नहीं रखा । आज तकावी लेकर एक काश्तकार अपना एक कुआ बना लेता था, तकावी लेकर एक गरीब आदमी भी फायदा उठा लेता था । इस निर्णय के कारण आज आप उसको उससे वंचित कर रहे हैं । इसका प्रेक्टिकल रूप वही होगा जो आज दूसरी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज का है । इस संबंध में जो कार्यकर्त्ता हैं और जो आपके बीच में बैठने वाले हैं वे अपने भाई-बन्दों को मिला कर दस-बीस आदमियों को, अपने आदमियों को मिला कर एक सोसाइटी बना लेंगे और वे लोग ही लोन ले लेंगे । एक एक एरिया में ३।४, ८० प्रतिशत कोआॅपरेटिव सोसाइटीज का लोन एरियर में पड़ा हुआ है; वक्त पर लोगों के द्वारा किश्तें अदा नहीं होतीं । यह आपके महकमे की स्थिति है । इस नये निर्णय से उस गरीब आदमी को, जिसको आज तक तकावी तो मिल जाती थी, उससे वंचित कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर को बढाने की हमारी पोलिसी है लेकिन दूसरी तरफ आप उसके लिये तकावी उन लोगों के जरिये देना चाहते हैं जो पढ़े-लिखे सफेद पोश हैं, गांवों के अन्दर हैं, वे ही अपनी अपनी कोआॅपरेटिव सोसाइटी बना कर रुपया

Page No 68

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

लेंगे और उनके कारण से आपके कुए नहीं बन सकेंगे, उन्हीं लोगों में यह रुपया बँट जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा फिर से इस निर्णय पर गौर किया जायगा और सारा ही ऋण कोआॅपरेटिव के जरिये से दिया जाय और काश्तकारों को डाइरेक्ट न दिया जाय, यह जो पोलिसी है उसको नहीं अपनाया जावेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके साथ साथ आज राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर बहुत सी इंडस्ट्रीज महकमे की तारीफ भी मिली है और बताया गया है कि कुछ इंडस्ट्रीज में उत्पादन शुरू हो गया है और कुछ को लाइसेन्स दिये जा रहे हैं जिनका भविष्य उनकी निगाह में उज्जवल है। लेकिन इंडस्ट्रीज विभाग की उस लिस्ट की ओर अगर आप ध्यान दें जिसमें ७ लाख रुपयों का ऋण दिया हुआ है और उनके नाम हैं, जिनकी तादाद हजारों के ऊपर है, अगर आप देखें तो किन किन नामों से आपके कृपा-पात्रों और मर्जीदानों ने रुपया लिया है और कितने अर्से से वे बकाया पड़े हैं, यह आप पायेंगे। आपने उनको पी. डी. आर. के अन्तर्गत नोटिस देने की आवश्यकता भी नहीं समझी। झूठे नाम से प्लाट लेकर और उत्पादन की तरक्की बताकर झूठे तरीकों से उन लोगों ने लोन ले लिया और चूंकि वे मर्जीदान हैं, इसलिये आज तक उनसे यह रुपया वसूल तक नहीं हुआ है। यह सब आपके सामने है। एक नक्शा है जिससे इंडस्ट्रीज विभाग की सफलता का पूरा प्रमाण मिलता है। मैं यह कहूंगा कि आपके सामने जो राज्यपाल के भाषण में कहा गया है वह सही नहीं है।

विकेन्द्रीकरण की दुहाई दी गई कि यह प्रजातंत्र का रक्षक है और इसको सफल बनाने का मूलभूत कारण बताया गया वह आज इतना दूषित हो गया कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा सरपंच के ऊपर दफा १७ (४) का एक भूत खड़ा कर दिया है। सरकार ने इसके द्वारा एक प्रकार का हथियार अपने हाथ में ले लिया है कि जिस प्रकार पुलिस का सिपाही अपने हाथ में एक डंडा रखता था और उससे लोग डरते थे उससे भी अधिक खतरनाक आपने यह हथियार अपने हाथ में ले लिया है। इस खतरनाक दफा १७(४) में मिस कन्डक्ट के साथ साथ अशोभनीय भी कर दिया है। मिस कन्डक्ट के केस मिल सकते हैं, लेकिन अशोभनीय भी लगा दिया। इसके कारण चाहे जिस सरपंच को आप हटा सकते हैं। जिनको अपना प्रभुत्व फैलाने का शौक है, चारों तरफ जिनको घूमने का शौक है और मौका मिला है, चारों तरफ जिनको दौरे करने का मौका मिला है और करते हैं वे उस हथियार को घुमाते हैं। एक महीने, दो महीने में अशोभनीय कार्य कह कर हटा दिया जाता है। मैं इस संबंध में एक बात बताऊंगा। एक सरपंच हैं, जिन पर गबन का आरोप था, उनको नहीं हटाया गया, लेकिन उनको हटाया जिन पर सिर्फ यह आरोप था कि एक कागज था जिसमें एक तारीख का आर्डर था। पहला आर्डर तो पंचायत का यह था कि जब तक पंचायत फैसला न करदे मकान बनाने से बन्द रहें। दूसरा आॅर्डर केवल पंचायत का है और सरपंच का नहीं है, उसमें यह है कि जब तक तहसील से इजाजत न ले लें, मकान न बनायें। आठ महीने के बाद उस पर यह आरोप लगाया गया कि हारे हुए व्यक्ति ने कागज के टुकड़े कर दिये,

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

आॅर्डर की मंशा में कोई फर्क नहीं है, उसको नोटिस दिलाया गया और उसको इस कारण से निलम्बित कर दिया गया कि उसने सरकारी कागज को फाड़ दिया। अब सवाल यह आता है कि आठ महीने बाद उस हारे हुए कांग्रेसी सदस्य के पास फाइल कैसे आयी, राज्य सरकार के पास कैसे वह प्रस्तुत की? उस व्यक्ति पर एक पैसे का भी आरोप नहीं, लेकिन चूंकि उसने कागज के दो टुकड़े कर दिये इसलिये उसको हटा दिया गया और फाइनल आॅर्डर हो जाते हैं।

इसी हथियार को ४३ में से २७ सरपंचों पर १७(४) के नोटिस देकर के डराया जा रहा है कि अगर तुम हमारे गुट में आ जाओ और हमारी बात मानो तो हम इसको हटा सकते हैं, नहीं तो तुम्हें इस पद से निलम्बित कर दिया जायगा। आपको इस हथियार के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का अवसर मिल गया है। आज सरकार पर जनता का विश्वास हट गया है, आपको अपने पर विश्वास नहीं रहा। आप ऐसे ऐसे हथियार काम में लेकर जनता में विश्वास के काबिल रहना चाहते हैं। आपके सामने तो एक ही काम रह गया है भाषण देने का, जिससे आप चाहते हैं कि जनता में विश्वास रहे, यह अब होने वाला नहीं। इस संकट-काल के पर्दे में आप अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति न करें। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में.....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): एक तरफा ही डिग्री होती जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में चार महीने बाद मिल रहे हैं। इस चार महीने के दौरान हमारा देश चीनी आक्रमण के कारण एक बडे विषम संकटकाल से गुजरा है। इस दौरान में देश की सुरक्षा, देश की नीतियों के संबंध में और समस्त जनता को आह्वान करके अपने राष्ट्र की एकता के लिये एक-जुट होने का सवाल हमारे सामने मुख्य तौर पर रहा है। हम राजस्थान के निवासियों के सामने भी ये सवाल आये। बजाय इसमें प्रान्तीय और स्थानीय समस्याओं के मुख्य तौर पर जहां राष्ट्रीय प्रश्न हमारे सामने आया वह बहुत बडा प्रश्न था; उसके आगे अन्य सवाल इतने प्रमुख नहीं रहे। यह प्रश्न पूरी तौर से हल नहीं हो पाया है। यह प्रश्न जब आज भी हमारे सामने बगैर हल हुए पडा है तो हम आशा करते थे कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इन तमाम राजनैतिक परिस्थितियों की ओर जो यहां गंभीर सवाल देश की सुरक्षा, देश की नीतियों से संबन्धित हैं उन पर भी इस अभिभाषण में प्रकाश डाला जाता। वे चाहे आज इस सदन के अधिकार के अन्तर्गत नहीं भी आते हों लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज की परिस्थितियों में हमारे सारे कार्यक्रम पर जिसका असर पडा है उन घटनाओं का, उनकी पृष्ठभूमि का इसमें समावेश होना चाहिये था। आज जिस प्रकार का राष्ट्रीय संकट हमारे सामने है उस दृष्टिकोण से हम यह आशा करते थे कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इन तमाम प्रश्नों पर गंभीरता से और खुले तौर पर सदन के सामने रखेंगे और राज्य सरकार की नीति का भी उस दिशा में रीओरियेन्टेशन किया जायगा। यह हमें आशा थी, लेकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खेद है कि इन बातों की ओर केवल सरसरी तौर पर संकेत किया गया; लेकिन इस अभिभाषण में उन तमाम प्रश्नों को, राजनैतिक प्रश्नों को जो आज हमारे राष्ट्र के सामने गंभीर रूप से मौजूद हैं उनको न ठीक तरीके से रखा गया और न ही इस भाषण में राज्य सरकार की नीतियों पर इस संकटकाल की परिस्थितियों को देखते हुए इनका रिओरियेन्टेशन जिस दिशा में होना चाहिये; उसका संकेत भी इस अभिभाषण में मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस बात का संकेत किया है कि इस संकट काल के समय जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हमारा देश एक तटस्थ देश था और शान्ति की नीति पर चला आ रहा था, उससे हम दुनिया के अधिकतम् राष्ट्रों का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त कर सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो यह संकेत राज्यपाल महोदय ने किया वह सही है, लेकिन इसके साथ साथ आज इस बात पर एम्फेसिस करने की आवश्यकता है कि इस देश को पन्द्रह वर्ष स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस पार्टी को जहां बहुमत के आधार पर अपनी हुकूमत चलाने का अवसर मिला है और कुछ नीतियों को आधार मान कर कांग्रेस पार्टी इस देश का शासन चला रही है उनमें बहुत सी नीतियां ऐसी भी थीं जिनको मोटे तौर पर राष्ट्रीय नीतियां कहा जा सकता है, जिनको बुनियादी तौर पर इस देश की जनता ने और बहुमत ने, देश की आम जनता ने जिनके बारे में अपना समर्थन दिया है और जिनके डिटेल्स के बारे में, स्वरूप के बारे में और उनके इम्पलीमेन्टेशन करने के बारे में, उन नीतियों के प्रारूप के बारे में, मतभेद होते हुए भी बुनियादी नीतियों को राष्ट्रीय नीति के रूप में जिनको मानते आये हैं उनमें से एक नीति शान्ति की नीति, तटस्थता की नीति भी एक नीति है। लेकिन अब जब चीन का आक्रमण हुआ, जिन नीतियों को हम समझते थे कि राष्ट्रीय नीतियां हैं जिनको वास्तव में सब लोग बुनियादी तौर पर मान कर चलते हैं उसके बावजूद भी हमारा इस बात पर बराबर यह कहना रहा है, दर असल यह पता लगाया जाय कुछ लोगों की लायल्टी कुछ लोगों की नीति स्किनडीप है? उनके प्रति सिन्सीयरिटी नहीं, कुछ क का उनके बारे में बुनियादी मतभेद है, कुछ उन नीतियों को देश हित में नहीं मानते; इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के सामने जब इतने बड़े प्रश्न पर कन्ट्रोवर्सी खडी हो रही है और जिस प्रकार के सवाल पैदा होते हैं उसमें राष्ट्र किस नीति पर चले, हम इस सदन में उस पर विचार व्यक्त करें। अपने विचार व्यक्त करके यह राय जाहिर करें कि वास्तव में हम राजस्थान के लोग, राजस्थान के प्रतिनिधि कौनसी नीति को, कौन से रास्ते को श्रेयस्कर मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ उस समय यह आवाज उठायी गई कि हमारे देश को तटस्थता की नीति को छोड देना चाहिये। इस प्रकार की आवाज बाहर भी उठायी गई और इस सदन में भी उठायी गई। अभी हमारे उधर बैठने वाले और कुछ इधर बैठने वाले साथियों ने भी उन लोगों की तरह बड़ी तेजी के साथ इन सवालात को उठाया है। इतना ही नहीं इस बात की भी कोशिश की गई है कि यह सरकार जो इन नीतियों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मानकर चलती है और उसी नीति के आधार पर देश की सुरक्षा को संगठित करना चाहती है, इसमें इस प्रकार के प्रयत्न किये गये, इस सरकार के अन्दर वे तत्व मौजूद हैं जो इन नीतियों पर चलने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उनको किसी प्रकार से हटा कर उसमें इस तरह का बुनियादी परिवर्तन लाया जाय जिससे उनकी तटस्थता–नीति को, शान्ति की नीति को छोड़ कर जिस प्रकार खुले शब्दों में यहां कहा गया कि हमारे देश को एंग्लो–अमेरिकन गुट में शामिल कर दिया जाय उनके साथ सैनिक संधि कर ली जाय। जो कुछ लोगों की ओर से, कुछ नेताओं की ओर से, जिनके प्रतिनिधि इस सदन में भी मौजूद हैं इस आवाज को उठाया गया है कि अमेरिकन फोर्स को देश में बुला लिया जाय।

श्री केसरीसिंह (पाली): That is a personal interpretation of your own.

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी सेनाएं मुकाबला नहीं कर सकतीं चीन की सेनाओं का और इसलिये हमको अमेरिका और ब्रिटेन के खेमे में चला जाना चाहिये, इसके सिवाय हमारे आगे और कोई रास्ता नहीं है, इस हद तक की आवाज उन्होंने उठाई। वे भूल गये अतीत का हमारा इतिहास, वे भूल गये हमारी ६०-७० वर्ष की लम्बी आजादी की लडाई के इतिहास को, वे भूल गये हमारे उन शहीदों की कुर्बानियों को। जिन्होंने आपसे मतभेद होते हुए भी उस वक्त अंग्रेजी साम्राज्यवाद से टक्कर ली और बड़ी कुर्बानियां की और इसके बाद इस देश को उस साम्राज्यवाद की गुलामी से निजात दिलाई है।

उन साथियों की बात मैं समझ सकता हूं जो मेरे पीछे बैठे हैं, जो कि हमारी उस वक्त की आजादी की उस लडाई में उस वक्त भी अंग्रेज साम्राज्यवाद के साथ थे। उसका एक अंग थे, साथी थे और उनको तो आज यह मौका मिला है कि अपने उन पुराने साथियों को, अपने पुराने आकाओं को किसी दूसरे रूप में इस देश पर दुबारा थुपवा दिया जाय और देश की रक्षा के नाम पर, देश की सुरक्षा के नाम पर उन लोगों ने बेशर्मी के साथ अपने अखबार में खुले तौर से यह कहा है कि हमारे सामने गुलामी तो है ही, गुलामी के सिवा कोई रास्ता नहीं, चाहे चीन का बना जावे, चाहे अमेरिका और अंग्रेजों का गुलाम बना जावे।

मैं वह पढ़ कर आपको सुना देता हूं। २६ दिसम्बर के 'स्वराज्य' में स्वतन्त्र पार्टी के लीडर श्री राजगोपालचारी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है उपाध्यक्ष महोदय कि :

"We lose independence, whether we lose it to the Western powers on account of assistance rendered and the obligations thereby created or whether we lose it by the more obvious way by losing it to the tanks and shells of Communist China."

सो, उन्होंने साफ तौर से यह कहा। इसमें कोई सन्देह नहीं, उन्होंने कहा, कि हमको अपनी आजादी तो गंवानी पड़ेगी। पर सवाल यह है कि हम चीन के टैंकों के सामने अपनी आजादी गंवाएं या अमेरिका और अंग्रेजों से इस तरह से मदद लेकर उनके शिविर में शामिल होकर अपनी आजादी गंवाएं। मतलब यह कि आजादी गंवाने से उनको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कोई एतराज नहीं और बहुत खुले शब्दों में स्वतन्त्र दल की नीति को प्रकट किया है कि हमें अपने सच्चे मित्रों के साथ होना चाहिये और उन मित्रों के साथ जिनके साथ हमारे आदर्श मिलते हैं। कौनसे आदर्श ? साम्राज्यवाद के आदर्श। क्योंकि सामन्तवाद साम्राज्य-वाद का हिस्सा रहा है। यह सही है कि स्वतन्त्र पार्टी के नेता डूंगरपुर के भूतपूर्व महारावल के आदर्श उनसे पहले भी मिलते थे और आज भी मिलते हैं। परन्तु एक देश भक्त हिन्दुस्तानी का आदर्श न कभी साम्राज्यवाद से मिला है न मिलेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या आप भी अपने को देशभक्त मानते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज भी जब जब जिस साम्राज्यवादी ताकत ने दुनिया में किसी भी अन्य देश की आजादी को हड़पने की कोशिश की है, आज के आजाद हिन्दुस्तान ने उसके विरुद्ध अपनी प्रबल आवाज उठाई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी तो चीन के साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाइये अपनी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो हिन्दुस्तान ने इस साम्राज्यवाद के खिलाफ सही तौर से आवाज उठाई है, इसलिये जो हमारे सिद्धान्तों के उनके सिद्धान्तों और तौर तरीकों से मिलने की बात कहते हैं वे कौनसे सिद्धान्त हैं, वे कौनसे रास्ते हैं जो हमारे और उनके मिलने की बात करते हैं।

यह बात सही है कि आज हम बहुतों का रास्ता एक है। हमारा लक्ष्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, चाहे मेरे दाहिने तरफ बैठे हों, चाहे पीछे बैठे हों। हमारा ध्येय एक है। फिर हमारे समाजवाद का रास्ता भले ही अलग अलग हो सकता है, हमारे समाजवाद का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, पर फिर भी एक कॉमन अन्डर्स्टैन्डिंग है। पर आपका अन्डर्स्टैन्डिंग उन ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से है जो सदियों तक हमारे देश को गुलाम बनाये रखे हुए था। आप अपने सामन्ती कॉमन अन्डर्स्टैंडिंग के बेसिस पर उनको फिर यहां बुलाना चाहते हैं, उस अपनी पुरानी कॉमन रिश्तेदारी को फिर हिन्दुस्तान पर कायम करना चाहते हैं। यह तरीका हमारी तटस्थता की नीति के खिलाफ है। यह हिन्दुस्तान को साम्राज्यवादियों के चेरियट से बांधने की बात है। मुझे अफसोस है कि उनकी बातों में मेरे इधर बैठने वाले साथी भी 'हां' मिला रहे हैं। मेरे इधर बैठने वाले दोस्तों की बात कुछ समझ में आ सकती है क्योंकि लक्ष्य उनका हमारा एक है। उन्होंने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों में हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हिस्सा लिया था। हमारे इन समाजवादी और प्रजा समाजवादी दोस्तों ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां की हैं। वे जब इस तरह की बातें करते हैं तो हैरानी होती है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई कुर्बानी नहीं की; वे अगर इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ बात समझ में आती है। पर समाजवादी और प्रजा समाजवादी साथियों की बातों से ताज्जुब होता है। आज भी आम कार्यकर्ताओं को जब काम करते देखते हैं तो आज भी उनमें लगन है, देश की सेवा करने की तमन्ना है। उनके नेताओं ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं,

(रामानन्द अग्रवाल)
हमें अंग्रेजों और अमेरिका के शिविर में शामिल हो जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि मेरे ये दोस्त इस पर दुबारा सोचेंगे और उनके प्रतिनिधि ने इस सदन में जो रुख लिया उसमें मुझे काफी गुंजाइश मालूम पड़ती है। वे इस बात पर पुनः पुर्नविचार कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह सब नीति की बात कर रहे हैं आप, पर डांगे ने क्या कहा चीन के बारे में इंगलेंड में?

श्री रामानन्द अग्रवाल: अभी बताऊंगा, सब्र रखिये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): किस समाज-वादी ने कहा, इसका भी स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला: ये सारी बातें तो सब जानते हैं, छिपी नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज बहुत गंभीर सवाल है देश के सामने कि हमारे ऊपर चीन ने आक्रमण किया और हमारे देश के कुछ हिस्से को चीन ने दबा रखा है। उसने एक-तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। छः राष्ट्र जो हमारे दोस्त हैं, जो चीन को भी दोस्त कहते हैं, अपने आपको न्यूट्रल समझ कर उन्होंने हमारे बीच में पड़कर कुछ फैसले का सुझाव रक्खा। उन सुझावों को हमने मंजूर कर लिया। हमारी देश की गवर्न-मैन्ट ने इन सुझावों को स्वीकार किया है बगैर रिजर्वेशन के और आज उनको नामंजूर कौन कर रहा है? एक तरफ चीन और दूसरी तरफ हमारे ये दोस्त। दोनों युद्ध के रास्तों को अपनाना चाहते हैं। युद्ध से वे इस तरह के मसले को हल करना चाहते हैं और इस वजह से आज यह आइडेन्टिटी इन दोनों में नजर आ रही है; वह हमारे और उनके बीच में नहीं जिनमें काम्यूनिस्ट होते हुए भी खुले तौर से न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि दुनियां भर के काम्यूनिस्ट इस बात की मुखाल-फत कर रहे हैं जो चीन ने किया है।

श्री विजयसिंह झाला: इंगलेण्ड के पत्रकारों के सामने डांगे ने क्या कहा था?

श्री रामानन्द अग्रवाल: सिवाय 'आर्गेनाइजर' के और कोई अखबार पढ़ते नहीं हैं, दिक्कत यह है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): 'आर्गेनाइजर' के सिवाय और दूसरे अखबार पढ़ते ही नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला: आप खाली 'ब्लिट्ज' ही पढ़ते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महो-दय, मैं अर्ज कर रहा था कि यह बहुत गंभीर सवाल हमारे सामने है कि आखिर हम इस सवाल को कैसे तय करें। कल हमारे एक सदस्य महोदय यह फरमा रहे थे कि खैर, यह सीज फायर हो गयी, अगर हम इन कोलम्बो प्रस्तावों को मान लेते हैं तो फिर हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो फिर यह बात हो गयी कि हमने इसको स्वीकार कर लिया है और गवर्न-मैन्ट को अपने हिस्से लौटाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने मिसाल दी काश्मीर के बारे में, और जगह के बारे में; लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वही लोग जो बड़ी चिन्तायें व्यक्त करते थे इस बात के लिये और देशभक्त होने के नाते करनी चाहिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
श्री हिन्दुस्तान का हिस्सा चीन ने दबा लिया, हिन्दुस्तान की सरकार ने कमजोरी दिखाई वही लोग। दूसरे दिन जो अमरीका और अंग्रेज यहां पर आए हमारी मदद करने के लिये और उन्होंने मदद की उसके लिये हम शुक्रगुजार हो सकते हैं लेकिन कुछ ही अर्से के बाद हमने देखा कि उनकी कितनी सैल्फलैस सेवा थी हमारे लिये, वह अपने आप साफ जाहिर हो गया। फौरन उन्होंने हमारे सामने यह सवाल रख दिया कि आप पाकिस्तान के साथ फैसला करें तब हमारी आपको पूरी मदद मिल सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आथेंन्टीसिटी क्या है? इनके पास वायरलैस कहां से आ गया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यू. एस. आई. एस. ने। यू. एस. ए. की आॅफिशियल इनफोरमेशन सर्विस की तरफ से।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यानी आप बहुत बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कहें। आप तारीख दीजिये, उसको रैफर कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप यह रिफ्यूट कीजिये कि ऐसा नहीं हुआ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: हिन्दुस्तान की सरकार इसे मानने के लिये तैयार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यू. एस. आई. एस. के आॅफिशियल बुलेटिन में निकला था। उसमें इस बात का सजेशन रखा गया कि काश्मीर वेली में पाकिस्तान के तो कल्चरल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरियल रिलेशन्स हैं इसलिये उसका ज्यादा इंटरेस्ट है और हिन्दुस्तान का केवल काश्मीर वैली के लिये, इस हद तक के लिये ही इन्टरेस्ट है कि उसको लद्दाख में जाने के लिये अपना रास्ता चाहिये। इसलिये उन्होंने इसमें सजेशन दिया कि इस प्रकार का काश्मीर वेली के बारे में कुछ समझौता कर लेना चाहिये जिससे कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों को इसमें कुछ हिस्सा मिल जाये और हक मिल जाय और उस बुनियाद पर यह फैसला हो जाये। उपाध्यक्ष महोदय, एक विदेशी सरकार ने इस प्रकार का सुझाव रखा। इसकी तो अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रोप्राइटी के बारे में मुझे एतराज है लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि वे पार्टियां वे लोग जो कहते थे कि चीन को इतना हिस्सा दबवा लेने दिया गया पंडित नेहरू ने, इसलिये उसको हटा देना चाहिये। उन लोगों ने भाषण दिये, अखबारों में लेख लिखे और खुले तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान से किसी भी आधार पर फैसला कर लेना चाहिये। ओपनली स्वतंत्र पार्टी के लीडर, श्री राजगोपालाचारी, ने सबसे पहले आगे बढ़ कर इस बात के लिये कहा कि किसी भी सूरत के ऊपर पाकिस्तान से समझौता कर लेना चाहिये। जब कि उसी पाकिस्तान ने उसी तरीके से सन् ४७ में जब इतनी मारकाट हो रही थी ट्रेचरसली अपनी फौजों को देशी वर्दी-सिविलियन ड्रेस पहना कर काश्मीर पर हमला करवाया था और आज भी हमला किये हुए है, उसी तरह की सीज फायर है जिसके लिये आज बात कर रहे हैं। उनके साथ किसी भी कीमत पर समझौता कर लेना चाहिये, यह कौनसी देशभक्ति है? यह नक्शा आपके सामने आ गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महारावल साहब ने साफ कहा कि यह लड़ाई सिद्धांतों की है; यह लड़ाई, हमारी हिस्सा दबा लिया उस बात की लड़ाई नहीं है। जब कि प्रधान मंत्री ने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई काम्युनिज्म की नहीं है। कॉम्यनिस्ट देश हमारे अच्छे से अच्छे मित्र हैं। चीन की जो अपनी नीति है उससे हमारी लड़ाई है, वहां के नेताओं से हमारी लड़ाई नहीं है, चीन की जनता से कोई लड़ाई नहीं है। इसलिये हमारे देश में कोई प्रचार नहीं करना चाहिये कि हम नफरत फैलायें चीन की जनता के प्रति।

चीन की जनता और हिन्दुस्तान की जनता के बीच में बहुत पुराने संबंध हैं। हमने उनको दिया है बौद्ध मत। हमारे और उनके सांस्कृतिक और इकोनोमिक रिलेशन्स बहुत पुराने रहे हैं, इसलिये प्रधान मंत्री ने इस बात को कहा, लेकिन उसके बावजूद शुरू से कुछ लोग और कुछ पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि यह लड़ाई दरअसल चीन के साथ किसी इलाके को वापिस लेने की नहीं होकर सिद्धांत की, वेज ऑफ लाइफ की लड़ाई है। यह कॉम्यूनिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ लोग इसको इसी किस्म की लड़ाई समझते हैं और इस लड़ाई को यही रंग देना चाहते हैं। आज से नहीं, जब से चीन ने आक्रमण किया है; उस दिन से नहीं बल्कि जब से उनकी सत्ता छिनी है जब से उनको हिन्दुस्तान की जनता ने सत्ता के मैदान से हटाया है और मुझे तो खुशी हुई कुछ हद तक हमारे मित्र ने कन्फैस भी किया है कि काफी हद तक वह तबका जो यह चाहता है वह तकबा इस बात की कोशिश में है कि उनका सिद्धांत, उनकी लड़ाई इस बात के लिये है कि वेस्टेड इन्टरेस्ट को लिक्विडेट नहीं करना चाहिये जो हिन्दुस्तान में समाजवाद लाने के खिलाफ हैं, जिनके सिद्धांत अमेरिकन तरीके से मिलते हैं, जो पूंजीवादी समाज को हिन्दुस्तान में कायम करना चाहते हैं इसलिये हिन्दुस्तान में वे सोशियलिज्म के खिलाफ हैं, प्लाण्ड इकोनोमी के खिलाफ हैं, नोन अलाइनमेन्ट के खिलाफ हैं, कोआपरेटिव सेक्टर के खिलाफ हैं। वे तमाम अपने सिद्धांतों के लिये लड़ना चाहते हैं। उस लड़ाई को मोड़ना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम हिन्दुस्तान की बहुमत जनता इन सिद्धांतों को, इन बातों से सोशियेलिज्म हमारा गोल है, हम पीसफुल कन्ट्री हैं, हम नॉन-अलाइण्ड होकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह पार्टी के तौर पर भी लें तो भी हिन्दुस्तान की बहुमत पार्टियां इस मोटी बात को मानती है। उनके डिफरेन्सेज हैं, डीप डिफरेन्सेज हैं कई बातों में तीव्र मत-भेद हैं, लेकिन आब्जेक्टिवज़ के बारे में आम तौर पर एकरूपता है। तो जो रिएक्शनरी कहलाने के नाम पर चिड़ते हैं जो कि वास्तव में यहां भी आते हैं, या बाहर भी आते हैं इसलिये कि जिस हद तक भी वेस्टेड इन्टरेस्ट को कायम रख सकें उस हद तक वह पार्लियामेन्ट के चुनाव भी लड़ते हैं, असेम्बली में भी बैठते हैं लेकिन उनकी दौ-धूप केवल अपनी रक्षा करना है। ये उनके सिद्धान्त हैं और इसको बचाने की लड़ाई चीन के साथ हमारी लड़ाई को बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश को इस बात को तय करना होगा और सदन को भी बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि आया हम अपने देश में एक शान्ति की एक तटस्थता की ओर चीन के साथ मौका मिलेगा आनरेबिल कम्प्रोमाइज़ का तो कोलम्बो प्रस्ताव के आधार पर उसकी नीति को अपनाना

(रामानन्द अग्रवाल)
चाहते हैं या हम अपने देश को एक जिंकोइज्म के आधार पर एक बार हिस्ट्री क्रियेट कर के एक युद्ध मनोवृत्ति पैदा करना चाहते हैं।

बहुत से मेरे साथियों में से कुछ ने आवाज लगाई थी कि कैलाश और मानसरोवर हमारे हैं, तिब्बत हमने क्यों दे दिया ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आप नहीं मानते क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं तो अर्जुन अमेरिका और ईरान में व्याहा गया था, यह पुरानी हिस्ट्री की बात है।

श्री मानसिंह महार: (आमेर) आप अपने विचार बतायें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं अपने ही विचार रख रहा हूँ ।

श्री मानसिंह महार: चीन के प्रति क्या नीति है ? हम आपकी नहीं सुनेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जब आप में सुनने की शक्ति नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप दलीलों को मीट नहीं कर सकते ।

श्री मानसिंह महार: दलील तो दीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं यह बतला रहा हूं कि दो रास्ते हैं; बहुत ही खुले तौर पर । एक रास्ता तो है शान्ति का तटस्थ वैदेशिक नीति अपना कर और दुनिया में शान्ति रहे· · ·

श्री मानसिंह महार: यह सबक चाइना को सिखाइये आप· · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल: दूसरा रास्ता है · · ·

श्री मानसिंह महार: अपने भाई चाइना को सिखाइये ।

श्री उपाध्यक्ष: Order ! order?

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो चीज हमारे दोस्त रख रहे हैं, हमारे देश के अन्दर रख रहे हैं, इस सदन के अन्दर रख रहे हैं कि हमें एक युद्ध का रास्ता अपनाना चाहिये; वह उनके क्लास इन्टरेस्ट से भी मेल खाता है, वह उनके वर्ग-हित से भी मेल खाता है और उन्हीं सिद्धांतों के बचाव के लिये ये सारी की सारी बातें उनकी ओर से कही जाती है; परन्तु, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन को और विशेष तौर से उन साथियों को कहना चाहता हूं, यद्यपि यह कहने की बात उनको तेज और तर्रार लग सकती है, लेकिन दुनिया हिटलर, मुसोलिनी और टोजो को भूली नहीं है ।

श्री मानसिंह महार: चाम्रो को भी नहीं भूली है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : न भूलेगी चाम्रो को और न भूलेगी माम्रो को । उन्होंने दुनिया के अन्दर जो गलती की है उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा, लेकिन· · ·

श्री मानसिंह महार : उनकी गलती क्या है, बताते जाइये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: गलती यह है कि हिन्दुस्तान एक शान्तिप्रिय देश है, उस पर हमला किया गया है । उसने यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
गलती की है कि एक काम्यूनिस्ट देश होते हुए भी उसने कम्युनिस्ट सिद्धांतों को तोडा है, उसको बदनाम किया है . . . .

श्री विजयसिंह झाला : आप सच्चे दिल से कह रहे हैं या डिफेन्स ऑफ इंडिया एक्ट से डरकर ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसकी गलती यह है कि चीन ने केवल हिन्दुस्तान की जनता के प्रति जुर्म किया है, न केवल हिन्दुस्तान के लोगों के प्रति यह आक्रमण किया है; दूसरा जुल्म चाइना ने यह किया है; कि दुनिया भर के कॉम्युनिस्टों और कॉम्युनिस्ट सिद्धांतों पर भी हमला किया है, उन पर भी आक्रमण किया है और दुनिया भर की गरीब जनता जो एक आशा की आंख उठाये देखती थी, साम्यवाद के प्रति उनका उसमें संदेह पैदा किया है . . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आप यह दिल से कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस करना चाहता हूं . . . .

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष Order ! order please

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सबको अपनी बात कहने का अवसर होता है, तो जब ये अपनी बात कहते हैं तो उनको जबाब देने का अवसर मिल सकता है, फिर इस तरह से बीच में रुकावट डालकर हाउस के वातावरण को इस तरह का क्यों बनाया जाता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ महानुभावों ने जो हमारे मित्र देश, जिन्होंने कोलम्बों में इकट्ठे होकर यह प्रयत्न किया उनका जो इन्टेन्शन था, उनकी जो नियत थी, उस पर भी उन्होंने आक्षेप किया। उनको भी यही कहा कि वे चीन के साथ मिले हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा देश और हमारे साथ जो इस दुनिया के ५०–६० और देश आजाद हुए हैं, साम्राज्यवाद की गुलामी से इसी दौरान में, हम सारे के सारे एक राह के राही हैं, एक ही मंजिल पर हम सबको पहुंचना है। सब इम्पीरियलिज्म के शिकंजे में फंसे हुए थे उसमें से निकले हैं। इकोनोमिक डेवलप्मेन्ट्स के हमारे प्रोब्लम्स हैं, डिफेन्स के हमारे प्रोब्लम्स हैं और इस तरीके से एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, हम एशिया के पडौसी देशों को या अफ्रीका के ५०–६० देश जो अभी आजाद हुए हैं उनको भी अपना मित्र नहीं कह सकते . . . .

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। ऐसे प्रतीत होता है कि मेरे लायक दोस्त भारत की पृष्ठ भूमि में रूस की वैदेशिक नीति की सफाई देने के लिये यहां सदन में खडे हुए हैं। मैं यह मानता रहा कि . . .

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपको जो समय मिलेगा उस समय बोल सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: लोगों की नासमझी की वजह से यहां कहना पड़ता है......

श्री मानसिंह महार: उपाध्यक्ष महोदय, "नासमझी" वर्ड नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उचित गंभीरता रखें। इस तरह की क्षुब्धता से कोई वास्ता नहीं है। आप सुनलें, फिर हरेक को मौका मिलेगा।

श्री मानसिंह महार: मैं व्यवस्था चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि "नासमझी" शब्द एक बराबर के मेम्बर के लिये कहा जाना बड़ा आपत्तिजनक है। माननीय सदस्य को उसे वापिस लेना चाहिये। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि "नासमझी" कहना उचित है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): (Far better a Parliamentary assertion than XXXX उससे कई गुना अच्छा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आपने तो इससे भी कई ज्यादा बातें कही हैं।

श्री मानसिंह महार: आप एतराज करते

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): उनका शब्द XXXX का जो शब्द आपने कहा था उसके बराबर का नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हमारा देश जो हमारे साथ साथ, कुछ आगे और कुछ पीछे आजाद हुए हैं, अगर उनसे दोस्ती नहीं रखें, अगर उनको मित्र नहीं बनाये, उनको अपना भला चाहने वाला नहीं कहें, भला चाहने वाला नहीं समझें तो क्या उनको समझें जिनके हम सैंकडों वर्षों तक गुलाम रहे। जिन्होंने गोआ के सवाल पर कहा था कि हिन्दुस्तान की फौजों को वहां से बाहर निकाल देना चाहिये, जिन्होंने पाकिस्तान को सहायता देकर वहां पर ग्राहम को भेजा और यह कोशिश की थी उन्होंने कि वहां पर उनको अड्डा मिल जाय, जिन्होंने अपनी फाइल्स के अन्दर जुनागढ़ और हैदराबाद के मामले दबा कर रखे हुए हैं, उनको हम अपना दोस्त समझें ? उनको कहें कि उनसे हमारे सिद्धांत मिलते हैं, उनको कहें कि वे हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमें मिल जाना चाहिये। मुझे अफसोस है कि हमारे साथियों की मेमोरी इतनी कमजोर है लेकिन मैं कहूं कि और कुछ नहीं आप इतने जॉन्डाइज्ड हैं, इतने प्रेज्युडिस्ड हैं, तो कुछ प्रैक्टीकल पोलिटिक्स भी समझिये। आखिर नान-अलाइनमैन्ट के जरिये हिन्दुस्तान यही तो कर रहा है जोकिं उसकी बडी भारी कामयाबी है, जोकि दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। जो वैस्टर्न पावर्स कहलाती हैं हम उनके साथ भी मदद लेते हैं और जो कम्युनिस्ट पावर्स हैं, जो आर्डीनरिली यह समझते थे, आम तौर पर वे चाइना की मदद करेंगे, मगर उनकी चाहे आप न्युट्रेलिटी समझिये या उनकी कितनी भी मदद समझिये कि उनका झुकाव अपने प्रेस के जरिये और मिग विमान देकर जाहिर किया है। दोनों तरफ से हमको मदद मिल रही है। अगर यह मानलें इन दोस्तों के कहने के मुताबिक तो क्या यह अर्थ है कि अमेरिका और इंग्लैंड जिसकी तरफ हो गये उन्होंने अपना सारा इलाका वापिस ले लिया ? वेस्ट जर्मनी के वाइस चान्सलर एडिनोयर को जाकर पूछें जो छाती पीट रहे है, उन्होंने क्या ले लिया। साउथ कोरिया के बाउदाई को पूछिये...

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : साउथ कोरिया में बाउदाई है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : साउथ कोरिया को जाकर पूछ लीजिये, साउथ विएटनाम गवर्नमेंट को जाकर पूछ लीजिये, आखिर उन देशों में हुआ क्या है . . .

श्री मानसिंह महार : जरा फोर्मुसा से भी पूछा जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फोर्मुसा को पूछ लीजिये, चांगकाई शेक की अमरीका इस तरह से मदद नहीं करता है कि वह जाकर उन पर हमला करे . . . .

श्री मानसिंह महार : आप भी इसको सपोर्ट कर रहे है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, वे सोदागर हैं, वे लडाई का वातावरण बनाये रखना चाहते हैं, वे बिल्कुल तनी हुई तलवार रखना चाहते हैं, आप मांगें तो तलवार दे दें और दूसरे मांगे तो कफन दे दें । वे तलवार और कफन साथ साथ तैयार रखना चाहते हें। वे व्यापारी हैं, एक को तलवार और दूसरे को कफन देने को तैयार हें । वे व्यापारी हें और अर्थ समझते हैं । पाकिस्तान को क्या मिल गया, वे तो नोन अलाइन्स में नहीं रहे तो क्या उन्होंने हमारे से काश्मीर ले लिया ? क्या उन्होंन जूनागढ़ ले लिया, क्या उन्होंने हैदराबाद हमसे ले लिया ?

आपको नेहरु पसन्द नहीं है । नेहरु के क्रिटिक हम भी हैं, हम भी उनकी आलोचना करते है । लेकिन आप क्या नेहरु के बजाय अय्यब लाना चाहते हैं ? क्या आप एलाइन होकर उस तरह की हकूमत यहां कायम करना चाहते है . . . . .

श्री मानसिंह महार : भुटो साहब का क्या हाल है जो चीन गये हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सबक लें मिस्र से। मिस्र पर हमला किया था फ्रान्स और ब्रिटेन ने । मिस्र नोन एलाइनमेन्ट को छोड कर कहीं शामिल नहीं हुआ लेकिन उसको मदद मिली इधर से भी और उधर से भी। फौजी तौर पर वह फ्रान्स और इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दे पाया हो लेकिन उनको मजबूर कर दिया इन्टरनेशनल प्रेशर ने और दोनों तरफ से फौजों को वापिस ले जाना पडा और मिस्र गोरव के साथ केनाल पर हावी है । उसी तरह से यह हो सकता है कि शुरू में कुछ भागों में चीन जीत गया हो लेकिन एक दिन आयेगा, अब भी उसको पीछे हटना पडा है इन्टरनेशनल प्रेशर है, एक दिन आयेगा जब हिन्दुस्तान का सिर ऊंचा होगा और चीन को गलतियों के कारण पश्चाताप करना पडेगा; ओपीनियन के साथ ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे प्रान्त में हम सब लोगों ने मिलकर कुछ अपनी सामर्थ्य के मुताबिक डिफेन्स में एफर्ट्स किये हैं और राज्यपाल महोदय ने उनका उचित ही उल्लेख अपने इस भाषण में किया है। लेकिन इस ओर भी, यह भी देख कर मुझे खुशी हुई कि इस भाषण में राज्यपाल महोदय ने जो मजदूरों ने, किसानों ने विशेष तौर पर सहयोग दिया इस राष्ट्रीय संकट के समय में उसकी सहायता की है। लेकिन मैं इस बात को इस सदन के नोटिस में लाये बगैर नहीं रहूंगा कि वे लोग जो क्रिटिसिज्म करने के लिये, कमजोरी बताने

Page No 80

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के लिये तो बहुत उछल कर बातें करते हैं लेकिन जिन वर्गों का वे यहां प्रतिनिधित्व करते हैं उन वर्गों ने क्या सहायता दी, उन वर्गों का क्या योग रहा? इसके अलावा अभी इस सदन में भी कहा गया, बड़े बड़े राजाओं ने, जागीरदारों ने और बड़े बड़े पूंजीपतियों और सेठों ने वह सहयोग, वह कुर्बानी राष्ट्रीय संकट के समय नहीं बताई जो मजदूरों ने, किसानों ने और मध्यमवर्ग के लोगों ने बताई....

श्री मानसिंह महार : आपने क्या दिया? आप भी बहुत बड़े सेठ हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारत सरकार की तरफ से यह अपील की गई नरेशों से कि वे १० परसेन्ट अपने प्रिवी पर्स का कम से कम इस रक्षा कोष में दे दें....

श्री मानसिंह महार : राजाओं से पूछें उससे पहले हम पूछना चाहते हैं कि माननीय सदस्य जो अलवर के बहुत बडे पूंजीपति हैं उन्होंने सुरक्षा फंड के लिये क्या दिया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पूछ लेना, बता दूंगा। आपको तसल्ली हो जायगी।

श्री मानसिंह महार : उन्हीं से पूछहीं रहे हैं........

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्टरवीन न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, : मैं अर्ज कर रहा था कि राजाओं से अपील की गई और उन्होंने जहां तक अखबारों में पढ़ पाया हूं, अखबारों से जानकारी कर पाया हूं उनसे, राजस्थान के २२ राजाओं में से केवल ९ राजाओं ने अपना १० परसेन्ट प्रिवी पर्स देने की इत्तिला दी है और बाकी लोगों ने इस प्रकार की इत्तिला नहीं दी। जहां तक अखबारों से जानकारी मिली है यह सही है। कुछ इस प्रकार के भी हैं जिन्होंने कुछ अधिक भी दिया है। जिस तरह पिछले सदन में ही इस सदन के सदस्य राजा हरिश्चन्द्रजी ने १५ परसेन्ट देने का ऐलान किया था। इस प्रकार की मिसालें शायद एक-दो और हैं; लेकिन यह खेद है कि २२ में से केवल ९ लोग रेस्पोन्स करने के लिये आये और दूसरों को जब डिफेन्स की यादगार दिलाकर राष्ट्र संकट के समय कुछ देने को कहा तो पुरानी बातों की याद दिलाकर, पुराने वायदों का जिक्र करके अपनी प्रिवी पर्स को बचाने की कोशिश की जाय तो यह किसी भी तरह से राष्ट्रीय संकट में सही रवैया कहा जा सकता है, यह देखने की बात है।

इसके अलावा फोरिन एक्सचेन्ज की समस्या देश में पैदा हुई और अपील की प्रधान मन्त्री ने कि जिसके पास फोरिन एक्सचेन्ज है, दूसरे कन्ट्रीज में, उनको हम यहां पर रुपया बदले में देंगे, वे हमें फोरिन एक्सचेन्ज मुहैया करें। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि राजस्थान के कई भूतपूर्व नरेश हैं जिनका फोरिन एक्सचेन्ज बाहर की कन्ट्रीज में न हो। वे चाहते तो करोडों रुपयों का फौरिन एक्सचेन्ज हमारे देश को दे सकते थे। जहां तक जानकारी मिली है, अकेले जयपुर के भूतपूर्व नरेश के ३५ करोड रुपयों के एस्टेट फोरिन कन्ट्रीज में हैं। इसी तरह से भूतपूर्व बीकानेर नरेश के १० करोड रुपयों के एस्टेट फोरिन कन्ट्रीज में है। लेकिन

Page No 81

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अफसोस की बात है कि बावजूद इस अपील के कोई इन्सपिरेशन नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, सेठों की तरफ से, मिल मालिकों की तरफ से जिस प्रकार का कन्ट्रीब्यूशन, जिस प्रकार का चन्दा इसमें दिया गया उसमें वह ढंग, वह तरीका अपनाया गया जिस प्रकार कि वे एक कम्पनी की तरह से दे रहे हैं। कम्पनीज़ के अकाउन्ट्स में ले लेने से इन्कम टैक्स से माफी होजावे और फर्क भी नहीं पडे, इस तरह का तरीका अपनाया गया। लेकिन कौनसा तबका देश-भक्त निकला, कितने देश-भक्त निकले, यह हमारे सबके सामने आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दौरान में जब भारी संकट देश के सामने आया, हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे जो विरोधी थे उनके दिमाग में जो बुनियादी तौर से समाजवाद के खिलाफ होने से हमसे उनका विरोध चीन के हमले से पहले भी था, कुछ कहने का मौका मिला, यह स्वाभाविक था। लेकिन हम यह मानते हैं कि जो लोग आम तौर से एन्टी कम्युनिस्ट नहीं थे उनके दिमाग में भी शंकाएें और संदेह पैदा हुए और मैं मानता हूं कि कुछ ओब्जेक्टिव कंडीशन्स हैं जिनसे इस तरह का संदेह हमारे मित्रों के दिल में पैदा होना असंभव नहीं था।

हम रोजमर्रा की जिन्दगी में क्या देखते हैं। हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाई हो जाय तो यह मत देखो कि कौन सही है और कौन गलत है। बस हिन्दू-हिन्दू एक तरफ और मुसलमान-मुसलमान एक तरफ। अगर दो गांवों में लड़ाई हो जाय, तो एक गांव इधर और दूसरा गांव उधर। हमने पिछले इलेक्शन में देखा कि जातियों के आधार पर वोट देते हैं। कौन केन्डीडेट सही है, कौन गलत है; यह कम देखा जाता है। ऐसे वातावरण में हमारे मित्रों ने ख्याल किया कि क्योंकि चीन कॉम्युनिस्ट है, इसलिए यहां के कॉम्युनिस्ट चीन का साथ देंगे। इसलिए हमारी नीयत और हमारे कार्यों के बारे में सन्देह उत्पन्न किया गया। यह सवाल भी हम लोगों से किया जाता था, चीन के आक्रमण से पहले भी किया जाता था कि अगर कभी कोई कॉम्युनिस्ट देश पर हमला करेगा तो तुम क्या करोगे और आम तौर पर यह हमारे मित्र यह समझे कि हम लोग उस कॉम्युनिस्ट देश का साथ देंगे, अपने देश का साथ नहीं देंगे.......

श्री मानसिंह महार : कॉम्युनिस्टों ने क्या किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी किसी खराबी में से कोई अच्छाई निकल आती है। हमारे देश पर चीन ने हमला किया और गलती हमारी दुरुस्त हुई। हम मानते हैं कि हम गर्व के साथ यह बात कहते थे.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) आपने हमला कब माना ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कि कोई कॉम्युनिस्ट देश गलती नहीं करेगा। इस तरह का एब्सोल्यूट विचार था, इसको दुरुस्त करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूं कि उस आधार पर जो रीज़नेबल माइन्ड्स हैं, जो सोबर माइन्ड्स हैं, जो दलीलों से कन्विन्स होते हैं वे इस बात से कन्विन्स्ड हुए...

श्री मानसिंह महार : पिछले सदन में माना था कि चीन ने आक्रमण किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: तो हमारे मित्र इस बात पर सन्देह किया करते थे कि हिन्दुस्तान पर अगर किसी कम्युनिस्ट देश से हमला हुआ तो कम्युनिस्ट क्या करेंगे। जब तक कम्युनिस्ट देश ने हमला नहीं किया, हम कहते थे वह हमारा जवाब थ्योरिटिकल जवाब था। मैं समझता हूं, जो रीजनेवल माइन्ड्स हैं, उन्होंने हमारी पार्टी ने जो रुख लिया, जो हम लोग-कम्युनिस्ट पार्टी ने कार्य किये, उससे यह सन्देह उन लोगों के दिमाग से रीजनेवली, मैं समझता हूं, दूर हुआ होगा। न केवल हिन्दुस्तान में, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की कॉम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि चीन ने आक्रमण किया है, चीन ने हिन्दुस्तान जैसे शांतिप्रिय देश पर आक्रमण किया है, चीन ने कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को तोड़ा है और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री डांगे ने दुनिया भर में दौरा किया व सारा खाका बना कर रखा; यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके बाद जो जो देश हैं जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, जिनकी मदद कुछ मेटीरियल इफेक्ट करती है इधर या उधर, उन बारह देशों, जहां हुकूमत है कम्युनिस्ट पार्टी की, के सामने स्थिति साफ हुई। उसके बाद रूस में कांग्रेस की मीटिंग होती है, उसके बाद बल्गेरिया में मीटिंग होती है, रुमानिया में मीटिंग होती है, हंगेरी में होती है और फिर ईस्ट जर्मनी में होती है। सब की सब जगह कांग्रेस में ओपनली हिमायत की गई है........

श्री विजयसिंह झाला: ओपनली कब किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसको जरुर कहा.....

श्री रामकिशन (बैर): किसमें है, कोई रिजोल्यूशन बतायें।

श्री विजयसिंह झाला: यह आक्रमण चीन ने किया, यह कहां कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष: Order Please !

श्री रामानन्द अग्रवाल: अपेक्षा.....

श्री उपाध्यक्ष:—Order Please

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह भी मैं बताता हूं।

श्री मानसिंह महार: गलत स्टेटमेंट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दिक्कत यह है कि मेरे दोस्त फुलेरा से आगे के अखबार पढते नहीं हैं, सिवाय पांचजन्य और ऑर्गनाइजर के

श्री विजयसिंह झाला : इंगलैंड के अखबार पढते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: Order Please. !

श्री विजयसिंह झाला: चीन के अखबार आप पढते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्रोब्लम ऑफ सोशलिज्म पढें, उसमें बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे फोबिया का कोई इलाज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस दौरान में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुछ लोगों ने जो कि हमारे बड़े क्रिटिक रहे हैं, भारत सरकार की भी तटस्थता होने के नाते अंग्रेजी और अमेरिका के गुट में न मिलने की नीति से बड़े नाराज रहे। उन्होंने क्या किया ? बजाय इसके कि यह सोच कर जुट जाते कि चलो भाई, इस बात में राय न मिली तब भी....

Page No 83

श्री मानसिंह महार : आप जैसा चन्दा नहीं देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : साथ देना है। लेकिन आपने कह दिया तब से मन हट गया और सहयोग देना बन्द कर दिया लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने क्या किया। ऐसे वक्त, जब लड़ाई हो रही थी, माणक चौक की चौपड़ पर भाषण दिये जाते थे, कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी फौज में भरती होगा, जिसमें कि कुत्तों की तरह मर जायं, जहां पर पहनने को कपड़ा नहीं मिले, जहां पर पहनने को जूता नहीं मिले। यह वास्तविकता भी होती तो भी देश की रक्षा के लिए जरुरी था कि इस तरह की बातें पब्लिक प्लेट फॉर्म से न कह कर सरकार को कही जातीं। इस तरह की बातें स्टेज पर कह कर राष्ट्र के मनोबल को गिराने की कोशिश की है। यह कौनसा आपका देश-प्रेम था, यह कौनसी देश-भक्ति थी? देश-प्रेम की बात यह होनी चाहिए थी, कि हम अंग्रेजों या अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं हैं हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन देश की रक्षा के लिए कुछ करने के बजाय, देश की रक्षा के के लिए कोई उपाय सोचने की भी बात हो तो....

श्री मानसिंह महार : × ×
है कि आप जैसे यहां खड़े होकर
× × बोलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में राष्ट्रदूत और लोकवाणी में अग्रलेख लिखे गये....

श्री मानसिंह महार : मैं कहता हूं कि कॉम्युनिस्ट राष्ट्र-द्रोही हैं, देश-द्रोही हैं।

× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं कि हममें और सरकार में खाई पड़ेगी...

श्री रामानन्द अग्रवाल : खाई पड़ती है या नहीं पड़ती है। अखबारों में यह साफ लिखा है। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : Order please.!

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके और सरकार के बीच में खाई पड़ती है, लेकिन जो रवैया इस दौरान आप लोगों ने अपनाया है, जो तरीका आपने राष्ट्र के संकट-काल में अपनाया है वह साम्राज्यवाद की चाकरी करने वाला है। उसने हिन्दुस्तान की जनता और आपके बीच में खाई पैदा कर दी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह का रवैया इस सुरक्षा के पीरियड में उन लोगों ने, जो इस तरह के आक्षेप और आरोप हम लोगों पर लगाने की कोशिश करते हैं, अपनाया है और उन लोगों का यह रवैया रहा है। मैं समझता हूं कि आज देश के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर एक तरफ वे शक्तियां खड़ी हो गई हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

I will not take much time.

जो चाहती हैं तटस्थता, जो समाजवाद, प्लान्ड इकोनोमी चाहती हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहती हैं। दूसरी तरफ वे शक्तियां हैं, वे पार्टियां हैं जो युद्ध का वातावरण चाहती हैं, जो पूंजीवादी सिस्टम चाहती हैं, जो डिक्टेटरशिप चाहती हैं। उनका रास्ता यह है, यह देश के सामने एक बहुत बड़े राजनैतिक प्रश्न के रूप में आया है। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय इसकी ओर इंगित करते

Page No 84

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

तो देश और राजस्थान के प्रान्त की जनता अधिक जागरूक होकर उन शक्तियों को देखती जो वास्तविक रूप में राष्ट्र-नीति की बुनियाद के अन्दर गड्डा खोदने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय . . . . .

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मन्त्री चीन की वकालत हुई है।

श्री मानसिंह महार: अब रूस की वकालत चालू होगी।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): हम नॉन-अलाइन्ड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह खेद है, इस दौरान में जो एमर्जेन्सी कायम की गई . .

एक माननीय सदस्य: उस कानून से आप बच गये हैं।

श्री विजयसिंह झाला: अब गिरफ्तार नहीं किये जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह स्पष्ट है, कई जगह की शिकायतें हैं, काफी जगह की शिकायतें हैं कि कोअर्शन के जरिये, जबरदस्ती के जरिये चन्दा लेने की बात हुई है और इस बात से मैं सहमत हूं, जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि इस प्रकार की बातें कुछ सम्पन्न लोगों के साथ हो जातीं तो कम से कम यह बात कही जा सकती थी कि उनके पास अफोर्डिंग कैपेसिटी है। लेकिन यह वाकया है, यह तरीका अधिकतर गरीब लोगों के साथ और आम तौर पर देहातों में प्रयोग किया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है अपने इलाके की, देहातों में इस तरीके को अपनाया गया। जहां पर . . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: एक बात में तो दोनों मिले।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जहां तक सार्वजनिक कार्यकर्ता थे वहां इस प्रकार की अनियमिततायें नहीं हुई हैं लेकिन जहां नौकरशाही पर यह काम छोड दिया गया तो उसने अपने तरीके से एक रास्ता अपनाया। यहां तक मुझे जानकारी मिली . . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं नौकरशाही पर आब्जेक्शन लेता हूं। आज कोई, शाही, नहीं है, नॉन पब्लिक के वास्ते कोई शाही-वाही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप ले लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लिखने की तो स्याही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से अनियमितताओं की मिसालें कितनी ही हैं और कई जगह की हैं। मुझे झुन्झुनू जिले की शिकायत मिली है। वहां मुख्य मंत्रीजी ने दो आना लगान में माफ करने की घोषणा की थी, मगर वह दो आना माफ की घोषणा की थी उसके अनुसार लोगों को दो आना लगान में माफी तो नहीं हुई और उनसे १।। आना लगान वसूल किया गया राष्ट्रीय रक्षा कोष के नाम पर। इस प्रकार की बात हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है। मैंने यह परिस्थिति आपके सामने रखी और जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया और दूसरे लोगों ने लिया। मगर हमें खेद है कि इस एमर्जेन्सी का उपयोग भी हमारे साथियों के साथ ही किया

Page No 85

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया; जबकि मैं समझता हूं कि हर एक आदमी इस बात को क्रिटिसाइज़ करता है और मानता है कि कम्युनिस्ट डिसिप्लिन को मानते हैं और मानने वाले लोग हैं और मैं मानता हूं कि इसके बावजूद भी हमारे साथियों के प्रति कोई इल्जाम नहीं होते हुए भी गिरफ्तार किये गये और अगर सरकार के पास कोई सुबूत हो तो सरकार मुकदमा चलाती। हम उसके लिये तैयार हैं। पीनल कोड के अनुसार सरकार मुकदमा चलाती.....

श्री मानसिंह महार: आपको तो पहले एरेस्ट कर ले, उसके बाद में मुकदमे की बात होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अगर आपका यही हाल रहा तो मुकदमा चालू हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह बात सही है कि जब हम लोग बोलते हैं तो इनको अखरते हैं और हमारी पार्टी का झन्डा भी इनको अखरता है। आखिर इनको हमसे यही शिकायत है कि हमारे रहते वे नहीं आ सकते। अगर आपको दासता ही और गुलामी करनी है? तो आप जिनकी वर्षों तक गुलामी करते रहे हैं उनको बुलाएं। उन्होंने आपको गारन्टी कर दी है कि हम आ जावेंगे तो सब ठीक कर देंगे। इसलिये आप उनको बुलाने की कलम लगा रहे हैं।

श्री मानसिंह महार: वह तो रहेंगे और देश में.......

(शोर-गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्यपाल महोदय के भाषण में..

श्री मानसिंह महार:— On a point of information, Sir, कार्ल मार्क्स ने जो किताबें लिखी हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल: × ×

(शोर-गुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप तो स्याही ढूंढ रहे थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इन परिस्थितियों में जो इस संकट-काल में इस प्रकार की रही और विभिन्न वर्गों का इस प्रकार का रोल रहा उसमें यह और भी आवश्यकता थी और हम आशा करते थे कि गवर्नमेंट इन चार महीनों के एक्सपीरियन्स और बिटर एक्सपीरियन्स के बाद सही नतीजे पर पहुंच कर अपनी पॉलिसी में रीओरिएन्टेशन करेगी। मगर उनका इधर–उधर चलना, कूदफांद, यह कहना कि कमजोरी है इससे दब कर सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया जिससे गरीब लोगों पर बोझ ज्यादा डाला। उम्मीद तो यह की जाती थी कि आज भी इसका असर बड़े बड़े आदमियों पर पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरी तरह फैसला नहीं कि सीज़ फायर पक्का हो गया हो और हमें सही तरीकों से अपने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाते चलना है। अभी प्लान की बात आई, तो मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सरकार इस दबाव में तो नहीं आई और राज्यपाल महोदय ने इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी तभी सही तरीके से की जा सकती है जब प्लान को ज्यादा अच्छी तरह से पूरा करें।

× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्लान को पूरा करने के लिये (री-ओरिएन्टेशन) करने के लिये जिस किसान ने अपना पेट बांध कर पैसा दिया, दूसरे लोगों ने खून से और पैसों से लड़ाई नेफा में लड़ कर सहयोग दिया वहां दूसरी ओर वे लोग जो इस चक्कर में थे कि कौनसी सड़क निकलेगी, कौनसा और काम निकलेगा जिससे कमाई कर लेंगे और जब चन्दे का समय आया तो कमी उस फंड से दे दिया और कभी रुपया देकर इन्कम टैक्स से बरी अपने आपको कर लिया। हम उम्मीद करते थे कि गवर्नमेन्ट रीओरिएन्टेशन करेगी जिससे राष्ट्र की रक्षा हो सके और वास्तव में देश की शान बढ़े। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनको देश की सुरक्षा से कोई ताल्लुक नहीं, जो अपने स्वार्थ की ज्यादा चिन्ता रखते हैं उनको इससे ज्यादा चोट लगेगी। अगर हम प्लान को देखें . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार : १।। घन्टा हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : No; no; it is wrong.

श्री उपाध्यक्ष : It is over one hour.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४० मिनट हुए हैं। I started at 3.

श्री उपाध्यक्ष : It is over one hour and ten minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : All right, sir उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो प्लान सामने रखा है उसे बनाते वक्त जिस तरह की आशा व्यक्त की थी कि हमारा जो गैप है, हमारी पर-केपिटा इनकम है वह हिन्दुस्तान के मुकाबले में कम है और राजस्थान और हिन्दुस्तान के बीच में १३।। प्रतिशत का गैप है उसको मिटा कर ९ प्रतिशत तक ले आवेंगे। मगर ऐसा मालूम पड़ता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव से दूर हटते जा रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस गैप को पूरा करने के लिये ५५० करोड़ रुपये चाहिये। आपने २३६ के कोर को बदला और २०८ का कोर बनाया और अभी आप खर्चा कर पाये हैं ३१ करोड़ तो आपने पहले साल में खर्च किये। ३५ करोड के करीब दूसरे साल में खर्च कर पायेंगे और तीसरे साल में ३५ करोड़ रुपया ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तीन वर्षो में १०० करोड़ रुपया खर्च करेंगे, फिर पिछले दो वर्षो में आप बाकी का बचा हुआ रुपया खर्च कर पावेंगे, यह बात उचित मालूम नहीं होती है। आपने उद्योग में, पॉवर में, एग्रीकल्चर में क्या किया है? आप एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन जिस समय आप यह कहते हैं उस समय आप ग्राम सुधारों की बात भूल गये। आपको सीलिंग की बात की फिक्र नहीं। रूल्स इसके बन गये। रूल्स बने हुए रखे हैं लेकिन किसी प्रेशर की वजह से आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनसे मत डरिये। आपको किसानों से मदद मिलने वाली है।

श्री मानसिंह महार : आप डरिये मत। चीन से लड़ने में यह साथ नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें बड़ी खुशी है, आप हमारा समर्थन करेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें राज्यपाल के भाषण में प्लान की पॉलिसी का रिओरिएन्टेशन करना चाहिये ताकि हम सुरक्षा के प्लान को ज्यादा मजबूती से पूरा कर सकें। मगर इस बात का संकेत नहीं होकर दूसरी तरफ संकेत है। इस दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के उपलक्ष में धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके समर्थन में मैं बोलने खडा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष, कल से मैं सुन रहा था हमारे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कोई कॉम्युनिस्ट, कोई यू. एस. ए. के प्रतिनिधि एजेन्ट के रूप में बोल रहे थे और वे चर्चा करते हुए हिन्दुस्तान की आजादी के खतरों को रोकने के बारे में ऐसा तोड़-मरोड कर बोल रहे थे, मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि देश का डिफेन्स राष्ट्रीय संकट में किसके साथ में जाय और वे किसका प्रतिनिधित्व रखते हैं, इसका उन्होंने यहां सही नमूना रखा। बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ १२ साल हुए देश की शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक ढंग से शुरू किये हुए और इस बीच में राष्ट्रीय संकट की स्थिति खड़ी हुई। हमें दो तरफ संभालना पडा था। एक तो फोरिन स्थिति और डिफेन्स को संभालना था और साथ ही उनको सम्भालना पड रहा था कि जिनको हमने कुछ दिनों पहले शासन से उतारा था, शासन से उनको उतारने का उन्हें दुख था, दर्द था, और वे चाहते थे किसी तरह इससे लाभ उठायें। मारवाड़ी में एक कहावत है कि काला सांप मर जाता है, उसे नहीं बाला जाता है तो पुरवाई हवा लगने से वह फिर जी जाता है और डस जाता है। वही कहावत याद है। जिस समय नेता लोग राजाओं और जागीरदारों को खत्म करने की बात कर रहे थे; १९११ में आन्दोलन हुआ, फिर १९१५ में, १९३२ में उदयपुर से शेखावाटी तक मजदूर आन्दोलन चला, उसी समय नहीं, आजादी मिलने के बाद भी जिस समय यह कानून पास किया गया कि १।६ प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू लिया जाय उस समय गोलियां खानी पड़ीं हमारे करणीराम और रामदेवसिंह को। मुझे स्पष्ट दिखता था कि वे किसके प्रतिनिधि हैं, वे अमेरिका के प्रतिनिधि हैं या किसके हैं।

मैं अमेरिका, यू. एस. ए. भी गया हूं। मैंने वहां जनता की हालत को देखा। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि अमेरिकन पीपल की इकोनोमिक कन्डीशन क्रश हो चुकी है। विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे थे कि हम प्राइवेट सैक्टर चाहते हैं। जिस समय वे बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि वे अमेरिकन शक्ति लाना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। मैं वहां की हालत बताऊं; ५०० कम्पनियों के हाथ में अमेरिका की सारी पॉलिसी कन्ट्रोल्ड है। डिफेन्स का ९५ परसेन्ट तीन कम्पनियों को मिलता है; और किसी को नहीं मिलता, रोकफैलर, फोर्ड और ड्यूपोल। इन तीन कम्पनियों को मिलता है बाकी किसी को नहीं मिलता। यह अमेरिका के एक उच्च कोटि के पोलिटिशयन जो अमेरिकन नेशनल कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव के मेम्बर थे और अमेरिका की कोऑपरेटिव

(श्री मोतीलाल चोधरी)

लोग है, उसकी एग्जीक्यूटिव के मेम्बर थे उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मोनोपोली करेक्टर इतना बढ़ गया है कि यदि कॉमर्शियल इम्पीरियलिज्म के खिलाफ कोई मूवमेन्ट नहीं किया गया तो देश के पूंजीपतियों के हाथ में ९९ प्रतिशत मोनोपोली करेक्टर के जरिये आर्थिक सत्ता चली जायगी। पेज ९६ में वे लिखते हैं

"*Monopolistic power*: —About 85% development was in the United States Today it is carried on only by 355 Private companies and 95% of the oil contracts go to the same group of three persons."

तो वे ऐसा क्यों चाहते हैं? सिर्फ डिफेन्स के लिये चाहते हैं या देश को गुलाम करने के लिये कहते हैं? आज के समय में कोई देश दूसरे देश पर हुकूमत नहीं कर सकता, फिर भी दूसरे देश की आर्थिक स्थिति पर कब्जा करने की कोशिश करता है। संकट काल के समय में हमें कुछ आर्म्स दिये, कुछ प्लेन्स दिये, इसके लिये हम उनको धन्यवाद देते हैं; पर यह नहीं हो सकता कि हम अपनी नॉन अलाइनमेन्ट की पॉलिसी को ही छोड़दें। स्वेज के मामले में हिन्दुस्तान ने सही पक्ष का साथ दिया, अमेरिका को अब घबराहट हुई, तो नोन अलाइनमेन्ट को पॉलिसी को हमने मजबूत किया है। आज यहां कहते हैं, नोन अलाइन-मेन्ट की पॉलिसी को छोड़ने के लिये। गांधी की अहिंसक शक्ति की मार्फत देश को इन्डिपेन्डेन्स मिली थी तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे, गांधी के मारने के बारे में क्या कह रहे थे? पर इनका यह तो पुराना इतिहास है, पुरानी हिस्ट्री है। क्या इतिहास था इनका? गुलामी का इतिहास था, अंग्रेजों के राज में राजा लोग गुलाम थे, जिनको कोई अधिकार नहीं था, गुलाम थे, राजा लोग, जिनको वाइसराय की आज्ञा के बिना शादी करने का अधिकार नहीं था, बिना वाइसराय की पर्मीशन के गोद लेने का अधिकार नहीं था। राजा लोग खुद गुलाम थे, जागीरदार इनके गुलाम थे, फिर गांव वाले गुलाम थे। पर गांधीजी ने आपको स्वतन्त्रता दी और एक प्रजातान्त्रिक शासन दिया, बराबर का वोट दिया, एक × × का एक वोट और × × का एक वोट। ऐसा और कोई भगवान् का रूप नहीं मिलेगा, गांधीजी राम से कृष्ण से आगे निकल गये, क्राइस्ट से आगे निकल गये। पर आज वे लोग गांधीजी के दिये हुए समाजवाद को तोड़ने के लिये आघात करना चाहते हैं, आघात करनेवाली बातें करते हैं। देश का इतिहास ही गुलामी का इतिहास रहा है। एम. एन. राय ने अंग्रेजों के टाइम में मार्क्स पर कई किताबें लिखीं, पर सेकिन्ड वर्ल्ड वार के टाइम में अंग्रेजों के साथ में बिक गया। मन्नू मसानी ने २१ वर्ष पहले 'आवर इन्डिया' किताब लिखी, उसमें लिखा है कि कलेक्टिव फार्मिंग से ही हमारे देश की उन्नति होगी पर अब वह टाटा डालमियां के हाथ में बिक गये और अपनी इस चीज का विरोध करते हैं। इसी तरह राजगोपालाचारी, जिन्होंने बड़ी बड़ी इतिहास की, राजनीति की किताबें लिखीं, उनमें भी परिवर्तन हो गया है। जो गवर्नर जनरल इन्डिया के थे, इतिहास की इतनी बातें लिखते थे, वे आज इस तरह की बातें करते

× × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 89

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हूं। दुनिया के डेमोक्रेटिक सेट-अप में कहीं भी इन्टरमीजियरी को स्थान नहीं है। पर पहले इसी तरह के बिकनेवाले बुद्धिजीवी थे उन्होंने राजाओं के साथ में बिक कर एक ऐसी पॉलिसी को क्रियेट किया, जिससे कि इन्टरमीजियरीज जागीरदार पैदा हुए। उसको पहले हमने मन्जूर किया, पर डेमोक्रेटिक सेट-अप में इन्टरमीजियरीज के लिये कोई जगह नहीं। सब जगह हाथ से काम करनेवालों का स्थान है। अन्तर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेनीफेस्टो को पढ़ें, जो हाथ से काम करता है वही वर्कर है; हिन्दुस्तान में जो हाथ से काम नहीं करता था वह इन्टरमीजियरी था। जो माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें उस ब्लाक में मिलना चाहिये, इस ब्लाक में मिलना चाहिये, उनकी बातों को सुन कर दुख होता है। हमारी सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं कदम उठाती? राष्ट्र की नान अलाइनमेन्ट की पॉलिसी है उसके खिलाफ हाउस के प्रिविलेज के माफिक बोल नहीं सकते। मुझे दुख है कि बहुत से माननीय सदस्य इसका उपहास कर रहे थे, वे राजा थे। वे एक-तंत्री थे, राजा थे लेकिन वे दूसरों के गुलाम भी थे। आज भी गांवों के अन्दर बेटी के विवाह में दरोगनियां देते हैं, उन्होंने आज तक उनको मुक्त नही किया है और उनके ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर रखा है। देश आजाद हो गया, किन्तु राजाओं के घरों में, जागीरदारों के घरों में दरोगे और दरोगनिया मौजूद हैं, उनको उन्होंने मुक्त नहीं किया है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपके घरों में भी दरोगनियां हैं। आप भी तो नये राजा हो।

श्री मोतीलाल चौधरी: माननीय सदस्य, कल तो इस तरफ थे, किन्तु आज उस तरफ चले गये। यह तो घटना-चक्र है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): राजा आपकी पार्टी में भी हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: पार्टी के राजाओं को नहीं, आपको राजा कहता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी: माननीय उपाध्यक्षजी, मैं बेगार में गया हूं। क्या कभी माननीय जयनारायणजी भी बेगार में गये हैं? डाबला का कांड अभी ताजा ही है। कितने लोग मरे थे!

श्री जयनारायण सालोदिया: मुझे तजुर्बा है, भूला नहीं हूं। नये राजाओं को भी देख रहा हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी: हम कहां जा रहे हैं? राजा लोग अपनी मोटरों पर राजस्थान का नम्बर प्लेट नहीं लगाना चाहते थे, किन्तु वे तो चाहते थे डूंगरपुर, बांसवाडा। कहते हैं यह तो उनकी प्रिविलेजेज है। अभी तक डूंगरपुर, बांसवाडा आदि इस प्रकार की भावना नहीं बदली है। आज भी महाराज, दरबार अपने आपको कहते हैं। अब तो राजा रहते हैं ताश के पत्ते में। राणी रही है तो XXXX कह सकते हैं। समाज ने राजा राणी को उड़ा दिया है। कहां हैं राजा? अपने घर में होंगे।

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानसार निकाला गया।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हमारे समाजवाद के अन्दर रुकावट आयी चीन के आक्रमण के कारण। समाज ने देश के खातिर अपना ब्लड दिया है, फौज में गये हैं। मेजर शैतानसिंहजी बहुत बड़े हीरो थे। राजस्थान सरकार ने उनका सम्मान किया है। उनके निधन से बड़ा दुःख हुआ। जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना बडा काम किया है यदि उसको हम सम्मान देते हैं तो कोई बडी बात नहीं। उनको दुःख होता इससे। मीरा को भी पहले पसन्द नहीं किया था। आज कहते हैं कि हिन्दुस्तान उसको पूजता है। मीरा को भी बुरा भला कहते थे, चित्तौड के राणा प्रताप को भी बुरा कहते थे। इतिहास-क्रम से, घटना-चक्र से कई इतिहास बनते रहते हैं। आज इतिहास हमारे सामने है। आज इस संकट-काल में देश के डिफेन्स को और अपनी फोरिन पोलिसी को कायम रखना है, देश को डिफेन्स के लिए तैयार करना है और कितना तैयार है यह भी हमारे सामने है। हम क्या कर रहे हैं, यह भी हमारे सामने है। इधर से और उधर से सब ने यह कहा कि बडे बडे पैसे वालों ने, पूंजीपतियों ने पैसा नहीं दिया। मैं मामूली उदाहरण दूंगा। वे क्या कहते हैं? अमेरिका के अन्दर प्रोडक्शन, मेन्युफेक्चर पर फोर्ड ने और ड्योक ने कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान में भी केपिटलिस्ट लोग कब्जा कर लें, किसी प्रकार प्रभाव में आकर इन पर कब्जा कर लें। उनकी मोनोपोली हो जाय। उनकी यह मोनोपोलिस्ट टेन्डेन्सी है। मैं एक सेन्टेन्स पढूंगा। अमेरिका का एक व्यक्ति है, वह है वाइस प्रेसिडेन्ट ऑफ मिनरल एन्ड केमिकल कार्पोरेशन। रोकफेलर, फोर्ड, ड्योक आदि वहां के प्रोडक्शन पर, मेन्युफेक्चर पर छाये हुए हैं। फोर्ड और रोकफेलर की गाडियों का कितना कब्जा है कि वे प्राइस को कन्ट्रोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार हिन्दुस्तान में बिडला और टाटा फ्री एन्टर प्राइज को समाप्त करना चाहते हैं। धर्म की दृष्टि से हम हिन्दुस्तान में यह मानते हैं कि लक्ष्मी चंचल है। हिन्दुस्तान में पहले कोई करोड़पति नहीं था किन्तु पहली और दूसरी लड़ाई में देखिये कितने करोड़पति बन गये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज देश की परिस्थितियों को देखते हुए भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पूंजीपति लोगों की ओर से अधिक सहयोग मिले; लेकिन जब देश में यह स्थिति है तब भी गरीबों की ओर से अधिक मिला है और पैसे वालों की ओर से नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार का कानून बनाये कि दस लाख से ऊपरवालों को इतना देना पडेगा। दूसरे लोगों ने अपना बेटा दिया, पत्नियों ने अपना सुहाग लुटाया; सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी। लेकिन यदि दस लाख रुपया मिलता है तो उनके लिए भी कानून लाना चाहिये, डिफेन्स एक्ट बना कर टैक्स लगाना चाहिये और उन पर लगाना चाहिये जिनके पास दस लाख से ऊपर सम्पत्ति है। जो लोग इस प्रकार टैक्स देने में समर्थ नहीं हैं उन लोगों से काम लिया जा सकता है और लोग तैयार हैं खून देने के लिए, चन्दा देने के लिए, खेती करने के लिये, मिल के अन्दर मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ मजदूरों ने फैसला किया है कि स्ट्राइक नहीं करेंगे, बुद्धिजीवियों ने यह कहा है कि दो

(श्री मोतीलाल चौधरी)

घंटे अधिक काम करेंगे । लेकिन स्वतन्त्र पार्टी के दोस्तों ने यह प्रस्तुत किया है जिससे झंझट बढ़े, किसी प्रकार गडबडी पैदा हो, उनको मौका मिले ।

माननीय चेयरमैन, इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि संकट-काल को हमें देखना पडेगा । डिफेन्स के माने में हमें आगे बढ़ना पडेगा । हमारे देश में हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा । मैं इसको पांच क्षेत्रों में बांट सकता हूं; एग्रीकल्चर, फौरेस्ट, माइनिंग, एनीमल हस्बेन्डरी, इन्डस्ट्रीज । इनको हमें बैलेन्स करना पडेगा कि ये मोनोपोलिस्टिक तरीके से हों, या कोआॅपरेटिव या पब्लिक सेक्टर के अन्दर जायं । मैंने सारे भाषण को पढा । मैंने कल मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि मोनोपोलिस्टिक पैटर्न को हमें डिस्करेज करना चाहिये । मुझे इस बात का दुःख है कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर केवल एक सोडियम फैक्टरी के अलावा कुछ नहीं आया । प्राइवेट में नाइलांन और दूसरी प्रकार की फैक्टरीज हैं । उसी प्रकार हम इन्डस्ट्रीज में देखें कि समाजवाद को मजबूत करने के लिए कितना डीसेन्ट्रलाइज कर सके हैं । मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार की नीति लाये हैं समाजवाद की, डमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और वालन्टियर कोर आदि ? ग्राम सेवक को सेक्रेटरी बनाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है । ग्राम सेवक को सेक्रेटरी बना कर पंचायत समिति में भेजना चाहते हैं, यह उचित नहीं । डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी में कलेक्टर भी एक इन्डिविजुअल मेम्बर की हैसियत से आता है उसी तरह से ग्राम सेवक को भी रखा जाना चाहिये ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सिर्फ दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

मैं खास तौर से सरकार को दो बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ६ सालों में जिन बातों को हम नहीं कर सके वह हमें इस अभिभाषण में देखने को मिली । किसानों को बिजली देने का फैसला किया गया है, १२ न. पै. प्रति यूनिट पर एग्रीकलचर पर्पज के लिए देना बहुत महत्वपूर्ण बात है । ६ साल तक किसान आपसे निवेदन करते रहे, लेकिन आखिर उनकी बात मान ली गई । इससे कुछ एरिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा ।

दूसरा धन्यवाद मैं सहकारी आन्दोलन और पंचायत आन्दोलन के संबंध में देना चाहता हूं । आज जो पंचायतों के प्रमुख हैं वे शिक्षित नहीं हैं । उनको आप एडल्ट एजूकेशन के जरिये शिक्षित करिये । वे प्राइमरी और हाई स्कूल पास करके तो कब पंच बनेंगे ? उनको एडल्ट एजूकेशन के [illegible] शिक्षित करिये । आज तक आप तीन-चार लाख लोगों को शिक्षित कर देते । सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में कि सरकार की ओर से ढील हुई है । इसके बिना पंचायत आन्दोलन सही दिशा में नहीं चल सकता । स्वीडन और डेनमार्क में जब यह आन्दोलन चला तो वहां १८१४ में कम्पलसरी एजूकेशन हो गया था । इसलिये निवेदन करूंगा कि जो भी सरपंच आ गये हैं और शिक्षित नहीं हैं उनको एडल्ट एजूकेशन के जरिये जल्दी से जल्दी शिक्षित करिये, जिससे हमारा पंचायती राज सफल होगा और यहां का प्रोडक्शन बढ़ेगा ।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद–विवाद चल रहा है। इस पर कई महानुभावों ने अपने अपने विचार प्रगट किये हैं। उन विचारों के दर्मियान कुछ गर्मी भी आई। उस गर्मी में कुछ मुद्दे ऐसे भी आये जो लोकतन्त्र के लिये आवश्यक भी थे. . . .

श्री सभापति: मैं सिर्फ आपको पन्द्रह मिनट का समय दूंगा, आप भूमिका में ही उलझे रहे तो you will probably not have time to make your point.

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में विचार हो चुका है और उनकी आज्ञा है कि हरेक पार्टी के एक एक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाय। हमारी पार्टी से अभी कोई नहीं बोला है।

एक माननीय सदस्य: सब पार्टी के करीब करीब एक एक सदस्य बोल चुके हैं।

श्री सभापति: Continue please; but try to be as brief as possible.

श्री मुरलीधर व्यास: इसलिये मैं खास करके इस मौके पर जब कि देश में संकटकालीन परिस्थिति है हमें इस विषय में गम्भीरता से सोचना है कि हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को परम्परागत आधार पर देखते हैं तो मैं समझता हूं इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं यह चाहता हूं कि अपनी बात को इस मौके पर जब कि देश में संकटकालीन परिस्थिति है स्पष्ट शब्दों में कहूं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण हमारे सामने रखा वह परम्परागत जिस तौर पर चलता था उसी आधार पर हम समझते हैं तो यह ठीक नहीं होगा।

मैं यह सोचता हूं कि परम्पराओं में परिवर्तन हुआ है। राज्यपाल महोदय अपने विचार समाजवादी विचारों के अनुकूल मानते हैं। अपने भाषण में राज्य की समाजवादी व्यवस्था है, राज्य का जो इस बारे में आर्थिक ढांचा है उस संबंध में प्रकाश डालते; लेकिन राज्यपाल महोदय ने इसका कतई उल्लेख अपने भाषण में नहीं किया।

जिन राज्यों ने इस संकटकालीन परिस्थिति में देश की सुरक्षा में योगदान दिया, उसके लिये जो कदम उठाया उसमें हमारी राजस्थान की सरकार भी दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अच्छा काम कर सकी है। दूसरे प्रान्तों से हमारे यहां सुरक्षा के बारे में काफी काम हुआ है, उसके लिये हमें गौरव है। लेकिन जिस प्रकार के आंकडे हमारे सामने रखे गये हैं, जब हम उनको देखते हैं, जो सुरक्षा के संबंध में कार्यवाही की गई है, सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं उसकी तरफ गौर करते हैं। उसके साथ साथ जो हवाला दिया गया है कि इतना काम कर लिया है, इतना काम हो गया है वह इतना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है कि इस मामले के अन्दर भी कहना पडेगा कि संकट काल की परिस्थिति में भी ऐसी बातें कही गई हैं जो एक प्रकार से गलत हैं। यहां गलत आंकडे दिये गये हैं, यह एक प्रकार से देश के साथ बडी भारी गद्दारी कही जा सकती है और है। इस मामले पर कई माननीय सदस्य कह चुके हैं कि हमारी किस प्रकार की तैयारी है। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

यहां जो आँकडे दिये गये हैं वे केवल कागजी आंकडे हैं। यहां जिस प्रकार की तैयारी होनी चाहिये वैसी स्थिति नहीं है। जैसा कि एन. सी. सी. के बारे में कहा गया यह अनिवार्य रूप से कर दी गई। अनिवार्य रूप से अटेन्डेन्स जरूर है लेकिन उसके साथ साथ काम नहीं। सही मायने में जिस तरह से काम चलना चाहिये वैसा काम नहीं हो रहा है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार श्री कृष्णा मेनन जो हमारे भूतपूर्व सुरक्षा मन्त्री थे वे बराबर पालियामेन्ट में और बाहर इस बात को कहते रहे कि हमारे पास बहुत बडी तैयारी है और हम हर तरह से शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं; लेकिन उनकी इन बातों का पता नेफा और लद्दाख में लग गया। ये ही बातें हम आज भी सुन रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। इसी प्रकार हमारे सुरक्षा मंत्री भी कहते रहे; उसका नतीजा क्या हुआ उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। हम उस विश्वास में पडे रहे, हमारी सेना में चीनी सी. आई. डी. आ गये, चीन की औरतों के साथ हमारे सैनिकों ने शादी कर ली और वे खुफिया का काम करती रहीं; फिर भी हमारे सैनिकों को पता नहीं चला। हमारे सैनिकों की वर्दी पहिन कर वे यहां घुस आये, फिर भी पता नहीं चला। ये ऐसी बातें हैं इस मौके पर मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन जब राजस्थान की स्थिति के बारे में हम देखते हैं, जो कुछ यहां हो रहा है उसी तरह से आंकडे देते रहे तो हम देश को गुमराह करेंगे और इससे देश का अपमान होगा। यह देश के साथ में बडी भारी गद्दारी होगी।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आज क्या परिस्थिति है, इस पर प्रकाश डाला है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो सीमा सुरक्षा का सवाल है उसको केन्द्र ने अपने हाथ में लिया है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है। यह सीमा बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के इलाके से लगती है। उसके लिये राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने कहा है कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है। पाकिस्तान के इलाके से कुछ लोग आ जाते हैं और यहां लूटपाट करके चले जाते हैं। इसके रोकने का सरकार प्रयत्न कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो सीमा की स्थिति है उसको इस हद तक बनाने का कारण हमारी सरकार खुद है। पहले बजट सेशन में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, उस समय भी मैंने सीमा की स्थिति के बारे में सरकार को परिचित कराया था, लेकिन कहा गया कि आप कहते हैं वह गलत बात है। अभी सीमा पर श्री माणिक्यलाल वर्मा गये थे। वहां पर मैं भी उपस्थित था। वहां पर एस. पी. महोदय ने कहा कि हमारी सीमा के अन्दर पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तानी नागरिक के तौर पर रह रहे हैं और वे यहां पनाह पाते हैं, उनका स्वागत होता है और उन्हीं के जरिये सीमा पर हमले होते हैं। यह कहां तक सही है, इस बात की सरकार जांच करे। हमारी बहुत बडी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। वहां के लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। वहां की जनता की सुरक्षा नहीं है। मनमाने तौर से पत्र भेज दिये जाते हैं कि अमुक गांव को लूट लिया जायगा और इस तरह से खुले

(श्री मुरलीधर व्यास)

आम नोटिस देकर धन इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार डाकू लोग वहां के लोकतंत्र में भी दखल देने लगे हैं। वे चाहे जिस आदमी को सरपंच बनाते हैं। उनके कहने के अनुसार कार्यवाही नहीं होती है तो उनको मारने की धमकी दी जाती है। अभी अभी आपको पता होगा कि अजासर के ठाकुर और डाकू जगमालसिंह की पार्टी एक है और ये सारी पार्टियां पाकिस्तान की सीमा के अन्दर रहती हैं, वहां पनाह पाती हैं और हमारे इलाके पर हमला करती हैं।

उनके हमले की पुरानी कार्यवाहियों को जाने दीजिये। मैं तो ताजी घटना पर प्रकाश डालता हूं जो आठ, दस रोज पहले हुई है। हमारे यहां किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का प्रबंध बोर्डर पर नहीं है। वहां तो अराजकता की सी स्थिति है। जान-माल की सुरक्षा की कोई गारन्टी वहां के लोगों की नहीं है। जगमालसिंह डाकू स्वयं भवानीपुरा गांव में जाता है और उसमें बंसी दारोगा के यहां अजासर के ठाकुर के साथ जाकर कहता है कि तेरी लड़की हमें सौंप दे, बता वह कहां है। उसका जब पता नहीं बताता है वह, तो उसे गोली मार दी जाती है। इसके बाद में उसके भतीजे को स्वयं अजासर का ठाकुर जाकर कहता है कि तेरी बहिन कहां है? वह हैरान होता है, डरकर सिवाना नामक गांव में जाता है। वहां से उसे बन्दूक बताता है वह ठाकुर और किसी तरह उसको उसका ठिकाना बताना पडता है कि यह मेरी बहिन है। अजासर के ठाकुर की वह पार्टी उस १५ साल की कुंवारी कन्या को ले जाकर पाकिस्तान की सीमा पर छोड़ देती है। आज तक उसका कोई वापिस लाने का प्रयत्न नहीं किया गया। आज हमारी सुरक्षा का ये दम भरते हैं; पर इसकी सही हालत तो उस इलाके में जाकर देखिये। मालूम पड़ेगा कि वहां खुले आम डाके पडते हैं, सरे आम लूट लिया जाता है, जिसको चाहा उसको उड़ा लिया जाता है। किसी की सुरक्षा नहीं। हम कहते हैं कि हम मां-बहिन-बेटियों की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा की ये बातें करते हैं। हम पूछना चाहते हैं इनसे कि अपने देश को छोडिये, अपने राज्य की सीमा पर ही किस किस की रक्षा की? अक्टूबर के पहले की बात जाने दीजिये। इसके बाद में कितने ही गांव के गांव आतंक से खाली हो गये। गिणासर और गडियाला के लोग कोलायत और बीकानेर आने लगे हैं, इसलिये कि उनकी सुरक्षा वहां अब नहीं रह गई। यह तो वहां की बात हुई।

अभी कुछ समय पहले आसूसिंह और बाघसिंह को गिरफ्तार किया गया। किस लिये? जगमालसिंह गांव में जाकर कहता है कि बाघसिंह सरपंच बने। उत्तमा जो पहले सरपंच था उसको हटाया गया, डाकू जगमालसिंह के कहने से उसे हटाया गया। उत्तमा उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया था। इस पर, जगमालसिंह गांव में जाकर बैठता है। गांव के सारे पंचों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अविश्वास का प्रस्ताव मत रखो और इसके बाद में उत्तमा को कहा जाता है कि उनकी पार्टी के लोग हैं। बीकानेर तक ऊन का व्यापार है। उसे लेकर आओ। उत्तमा जाता है। वह वहां रिपोर्ट दे देता है और इसके कारण बाघसिंह और आसूसिंह गिरफ्तार किये जाते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं यह सब कह कर यह बताना चाहता हूं कि जिस लोकतन्त्र और डीसेन्ट्रलाइजेशन की आप डींग हांकते हैं उसकी नकेल किसके हाथ में है? जिम्मेदार तो आप अपने को बहुत कहते हैं,। पर वहां गांवों में पंच और सरपंच वही रह सकते हैं जिनको इन डाकुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। यह आपकी सुरक्षा का हाल है ।

इस तस्कर व्यापार के बारे में कहूं। आप कहते हैं कि वहां के लोग यह करते हैं। मैं मानता हूं। पर आपके यहां वे लोग भी और आपके पुलिस के बडे बडे कर्मचारी भी तो यही करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अफसर उनको वहां पनाह देते हैं, मैं मानता हूं पाकिस्तान की सरकार यह नहीं करती होगी, उसी तरह आपके यहां भी ये अफसर इनको पनाह देते हैं और ये सभी वे अपने स्वार्थ के लिये करते हैं, डाकुओं को पनाह देते हैं और माल मारते हैं। यही स्थिति हमारे यहां पर भी है। मैं बताऊं, दोनों तरफ के अफसरों की बातचीत बोर्डर पर हुई। उसके आधार पर पाकिस्तान ने कहा कि आपके हिन्दुस्तान में असलम नाम का आदमी है इस काम में। इसके आधार पर वह गिरफ्तार हुआ। असलम के बारे में पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि यहां की सरकार के कर्मचारियों ने उसको पनाह दे रखी है। यह विचित्र बात है हमारे लिये कि हम इस तरह के काम करते हैं स्वयं और उसकी जानकारी सरकार को नहीं। रहमत वगैरह इसी असलम की पार्टी के लोग हैं। इसका पता आप लगा लीजिये कि जो सूरतगढ के सरदारपुरा का रहनेवाला है, १९४७ तक सरदारगढ में रहता था, १९४७ में यहां से चला गया था पाकिस्तान । इसके बाद में ५६-५७ में जब तस्कर का यह व्यापार प्रारम्भ हुआ तो वह वापिस आकर वहीं बस गया। इसके साथ में और भी इसकी टोली के आदमी हैं। उसने तस्कर करना प्रारम्भ किया, लूट-पाट करना भी शुरू किया। सात-आठ आदमी हैं इसकी पार्टी में; बूला आदि। उसने किया जिसे रामसिंह सब-इन्सपेक्टर ने गिरफ्तार किया। इसके बाद में आपके एस. पी. श्री ललित-नारायण ने उसे छोड दिया । क्यों छोड दिया? क्योंकि लूटपाट में इसका भी हिस्सा था। आपके रेकार्ड में ये सब बातें हैं। आप अपना रेकार्ड देख लें।

इसी प्रकार की दूसरी पार्टी रहमत और असलम की है। इसके साथ आप यह भी देख लीजिये कि असलम का साथी रोडा गांव में ले जाकर बसाये गये। वहां पर भी इन्सपेक्टर ने पकडा-धकडी की, पर फिर छोड दिये गये। तो परिस्थिति की इस गम्भीरता को आप देखिये।

आज आर. ए. सी. के जवान मोर्चे पर खड़े हैं। अभी अभी १५ तारीख की बात है। जो माल लेकर पाकिस्तान से आ रहे थे उनके कदम पहिचान कर उन्होंने उनको पकड़ा, पीछा किया, दोनों तरफ से गोलियां चलीं। तीन आदमी मारे गये। उनका बीकानेर में पोस्टमार्टम हुआ। वह केस आपके पास आया होगा। परन्तु इस किस्से के साथ मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जहां लड़ाई हुई, गोलियां चलीं, तस्कर का माल मिला, राइफलें मिलीं, दूसरा सामान भी मिला वहां एक चीज नई मिली। एक

(श्री मुरलीधर व्यास)

पत्र मिला। आर. ए. सी. के सिपाहियों ने वह पत्र पुलिस के सुपुर्द किया। मैं उस पत्र को आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि वह कौन था, किस किसके साथ उसके सम्बन्ध थे, किसको उसने वह पत्र लिखा। मैं बार बार बहुत अर्से से कहता भी आया हूं कि सरकार इस बात की जांच करे कि इस तस्कर के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। पर सरकार ने कान में तेल डाल लिया। वह जानती थी इसलिये कुछ करने की उसकी इच्छा नहीं थी। आपको यह पत्र पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि आज हमारे यहां पर यह काम करानेवाले कौन लोग हैं। पत्र इस प्रकार है :—

"बखिदमत जनाब सेठ साहब अनोपचन्दजी मन्जूरखां की तरफ से सलाम आलेकम गुजारिश है कि जनाब की खिदमत में दो आदमी इरसाल कर रहा हूं के आप बराइ महरबानी फरमा कर इनको जल्द वापिस करदें, देर न करें। मैं आपको बार बार ताकीद करता हूं, गफलत मत करें ताकि मेरा काम आपकी तरफ भी है। वकफा पड़ रहा है और लोगों का तो बड़ा काम क्या होगा। मेरे लायक काम हो तो मैं हाजिर हूं।

द: मनूजखां, पठान बकलमखुद

चक ९४, नहर फतह।"

यह नहर फतह पाकिस्तान में है। तारीख इस चिट्ठी पर १३-२-६३ है। और अनोपचन्दजी बीकानेर के एक बहुत बड़े कांग्रेसी हैं। वे बीकानेर नगरपालिका के······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) आप हर किसी को बड़ा कांग्रेसी बना देते हैं। कोई होगा छोटा आदमी।

श्री मुरलीधर व्यास : नगरपालिका का सदस्य है, कांग्रेस के टिकट पर; यहां तक कि नगरपालिका में दल का नेता रहा है। आज अगर ऐसा आदमी....

श्री मथुरादास माथुर : (गृह मंत्री) बीकानेर में तो नगरपालिका नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर है।

श्री मुरली धर व्यास: आज डिजोल्व्ड है। पहले थी।

इस प्रकार इस कांग्रेस का सक्रिय सदस्य इस तरह के काम में इन्वोल्व्ड हो। आप देख लीजिये डायरी कांग्रेस की। इस प्रकार से ये तस्कर व्यापार करते हैं और इस तरह का पत्राचार करते हैं। वहां से पत्र भेजते हैं और मजा यह कि इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं होती।

आज पांच दिन हो गये। १३-२-६३ का यह किस्सा है। पन्द्रह को पकड़ा गया यह पत्र। मैं पूछता हूं अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की? जन सुरक्षा कानून के अन्तर्गत श्री अनोपचन्द वगैरह को क्यों नहीं पकड़ा गया? इस जन सुरक्षा कानून का उपयोग ऐसे देश हित के काम में होना चाहिये। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे का ग्रेस में हो चाहे और किसी पार्टी का हो, इस तरह से जो देश के साथ गद्दारी करता है, धोखेबाजी करता है, तस्करी करता है, तस्करी करने वालों को शह देता है उसे माफ नहीं किया जाना चाहिय। भले ही वह आपके साथ बैठता हो, उठता हो, काम करता हो, आपका

Page No 97

(श्री मुरलीधर व्यास)
कितना ही घनिष्ट साथी हो, कांग्रेस का कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को जब वे ऐसे काम करते हैं तो जरूर गिरफ्तार होने चाहिये वे, जन सुरक्षा कानून में और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

दुख इसी बात का है कि श्री अनोपचन्दजी कोचर, अगर माननीय मुख्य मन्त्रीजी बीकानेर जायेंगे तो उन्हीं के घर जायेंगे, उन्हीं के यहां खाना खायेंगे और अगर हमारे गृह मन्त्रीजी बीकानेर जायेंगे तो उन्हीं के यहां जायेंगे और खाना खायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): सभापति महोदय, एक बात मैं अर्ज कर देता हूं कि अनोपचन्दजी कोचर के यहां न तो मुख्य मन्त्रीजी ही गये हैं और न गृह मन्त्री गये हैं और न कोई और मन्त्री गये हैं हां, रामरतनजी कोचर की बात कहें तो वह जुदा है। इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास: यह रामरतनजी कोचर का ही भतीजा है और वहां ठहरने की, खाने की और जो कुछ व्यवस्था हो सकती है वह सब यही करते हैं। जिस समय बीकानेर में आप आये थे आपको वे मोटर में बैठा कर ले गये हैं......

श्री मथुरादास माथुर: मैं अनोपचन्द कोचर की शक्ल ही नहीं जानता। आप इतना ख्याल रखें कि रामरतनजी कोचर के बारे में कोई बात हो तो कहें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपको धोखा दिया गया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप चाहे इसको गुमराह करने की कोशिश करें। आज बीकानेर शहर का नागरिक आपका आचरण जिनके साथ जाते हैं सारा शहर जानता है कि वे किस तरह के आचरण के लोग हैं। हो सकता है कि मेरा कहना आपको बहुत बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं दुर्भावना के साथ नहीं कहना चाहता। आज कोई भी आदमी हो वह सारा परिवार है। आज सिकन्दर और आलम उसके भाई गिरफ्तार किये गये हैं। आप देख लीजिये इनके इन्श्योरेन्स किसने किये हैं? सब उनका बीमा करते हैं, काम करते हैं और उनकी दिक्कतों को दूर करते हैं। मुझे दुख है कि जो डाकू पकड़े जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह इन्श्योरेन्स उनकी लाइफ का किया है या प्रोफेशन का?

श्री मुरलीधर व्यास: उनकी लाइफ और प्रोफेशन दोनों का है। प्रोफेशन का तो इस प्रकार से है कि जब कभी वे गड़बड़ करते हैं तो झट ऑफिसर्स के पास पहुंच जाते हैं......

श्री सभापति: देखिये, order please, you made this point amply clear. Now proceed with anything else if you have to say, and please cut short your speech.

श्री मुरलीधर व्यास: तो बीच में एक बात आ गयी.......

श्री सभापति: यह तो पोइन्ट आपने काफी एलोबरेट कर दिया है।

Page No 98

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहना यह है कि सीमाओं की परिस्थिति के बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये। आप चाहे जैसलमेर के इलाके में चले जाइये वहां पर केसरीसिंह नाम का एक डाकू है, जिसके बारे में अर्जी दी। कलेक्टर के पास जो दरख्वास्त है उसको देख लीजिये कि उसको बचाने के लिए कौन गया? उसको बचाने के लिये भी आपके ही लोग गये। उनको यदि इस प्रकार से सहारा दिया जाता रहा तो उचित नहीं होगा। आपकी कांग्रेस की बड़ी पार्टी हो सकती है, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि मुल्क बड़ा है और मुल्क की रक्षा के लिए चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चाहे मेरी पार्टी का हो हम इसके लिए उसी प्रकार से आवाज उठाना चाहते हैं। तो यह तो सीमा परिस्थिति के बारे में आपके समक्ष कुछ बातें कहीं। दूसरी जो कुछ बातें हैं मैं दो-तीन अर्ज करना चाहता हूं ....

श्री सभापति : आप उनको बहुत ही संक्षेप में कहें। You will not have more than five minutes now.

श्री मुरलीधर व्यास : एक तो यह है कि इस समय संकटकालीन परिस्थिति को लेकर हमने सुरक्षा कानून बनाया। इसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान के अन्दर जो कुछ कार्यवाही होती है, कुछ होती है, कुछ नहीं होती है, यह दूसरी बात है, परन्तु हमें लोकतन्त्र की रक्षा करनी चाहिये। आज हमारे राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव लम्बे अर्से से रोके गये हैं। अब तो केन्द्रीय सरकार ने पार्लियामेन्ट के चुनाव भी कराने का फैसला कर लिया है। ऐसी हालत में यदि हम नगरपालिकाओं के चुनाव रोकते हैं तो यह किसी भी हालत में ठीक नहीं है। मुझे आशा है कि मुख्य मन्त्रीजी इस पर गम्भीरता से सोचेंगे और लोकतन्त्र की रक्षा करेंगे। इस समय जो नये परिवर्तन हो रहे हैं हमारे यहां भी हुए हैं; स्वर्ण-नियन्त्रण कानून आया। इसके कारण बहुत से लोग बेकार हो गये हैं। जो सुनार मजदूर भाई हैं वे काफी तादाद में बेकार हुए। हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे ज्यादा सुनारों की तादाद जो है वह राजस्थान और गुजरात में है। ये इलाके ओर्नामेन्ट्स का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। यह जो परिवर्तन हुए हैं उससे श्रमिक मजदूरों के बारे में भी सोचना चाहिये। पहले जागीरदारी गयी, अन्य परिवर्तन आए, जागीरदारों को मुआवजा दिया गया, आपने उन लोगों को जमीन दी और बसाने की कोशिश की तो जिसमें यह तो सारे मजदूर हैं। आपको इन्हें जमीन देनी चाहिये, कुछ न कुछ मुआवजा देना चाहिये। पहले शरणार्थियों को भी बसाने का जिम्मा हमने लिया था। इसलिये इस पर भी सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज देश का जो वातावरण बना है इसके लिए हम सबको त्याग करना चाहिये। हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके उसूलों पर चल कर त्याग करने की आवश्यकता है। आज केवल हम सुरक्षा की बात कह दें और समाजवाद की बात न कहें तो नतीजा यह होगा कि गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ता गया तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा। उस वातावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसलिये जन-सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे आपको अधिक से अधिक धन मिल सके और उसकी वसूली करने के लिए आप उन

Page No 99

(श्री मुरलीधर व्यास)
तिजोरियों की तरफ जाइये, उन महलों की तरफ जाइये जहां कि बहुत बडी तादाद में पैसा दबा हुआ है।

मैंने मालू कांड के लिये कहा था कि एक करोड़ की सम्पत्ति छिपा दी। उसकी शिकायत करने पर केन्द्रीय सरकार ने जांच की। ५७ मोहरें बीकानेर के अन्दर बेची गयी। अब किस किस ने लीं, किस प्रकार से है यह तो सरकार को चाहिये कि गुप्त तरीके से जांच करे ताकि आपको धन मिल सके। दूसरे समाज के अन्दर ऐसा परिवर्तन लाइये जिससे कि समाजवाद कुछ दिख सके।

सीलिंग के लिये कहा गया। आज सरकार को फैसला करना चाहिये कि किसानों को जमीन किस तरह से मिल सकती है। इसलिये सीलिंग को जल्दी से जल्दी लागू करके भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिए रास्ता निकालें। आज सीलिंग का कानून बनने के बाद भी वह ३ साल से पड़ा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह ऐसी चीज है जिसमें कि हमको परिवर्तन लाना चाहिये। दूसरे, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि सीलिंग के अतिरिक्त जो माइन्स और दूसरी इन्डस्ट्रीज हैं जो कि कम से कम समाजवादी रास्ते पर आनी चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिससे कि उनका कुछ राष्ट्रीयकरण हो और यह कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम करके जिससे कि एक ही आदमी के पास सारा धन जाता है वह किस तरह से दूसरे लोगों के हाथ में जा सकता है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। जो नीति है बुनियादी उसके ऊपर तो आप सोचें। सिर्फ यह कहते रहें कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो वह सिर्फ कागजों पर नहीं लाया जा सकता। इसके लिए दूसरे तरीकों से कदम उठाने चाहिये।......

श्री सभापति : That will do please, Shri Chattar Singh.

श्री मुरलीधर व्यास : एक पाइन्ट दो मिनट में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : I am sorry. That will do please.

श्री मुरलीधर व्यास : धन्यवाद के प्रस्ताव पर एक मिनट में बोल देता हूं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है उसके लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव का मैं इस समय पक्षपाती नहीं हूं और मैं उसका सख्त शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री छतरसिंह (आहोर) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसी को फायदा देने के लिये कई नये ऋणों की व्यवस्था की है, लेकिन मैं खासतौर से पंचायत मन्त्री को निवेदन करना चाहूंगा कि जो आजकल पंचायत समितियों की ओर से ऋण वितरित किया जाता है उसमें कई दोष हैं। ऋण-वितरण स्टेन्डिंग कमेटी से होता है पंचायत समिति की और उनका गठन सिम्पल मेजोरिटी आफ वोट्स से होता है। इससे यह होता है कि मेजोरिटी पार्टी जो पॉवर में होती है उन्हीं को वह ऋण मिलता है और दूसरे गांव जो प्रधान या मेजोरिटी पार्टी के पक्ष में नहीं होते हैं उनको ऋण मिलता ही

(श्री छत्तरसिंह)
नहीं है जिसके फलस्वरूप किसानों को कोई खास फायदा नहीं होता है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस कानून में संशोधन करने का प्रयत्न करें, जिससे एक तो यह फायदा होगा कि सबको बराबर लोन मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो जो ऑपोजीशन पार्टी के मेम्बर्स होंगे they will work as a check on the majority party . इससे कुछ फायदा ही होगा, नुकसान होने की सूरत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं कहा है। जब कभी भ्रष्टाचार के आरोप हमारे सामने बैठने वाले लोगों पर लगाते हैं तो कह देते हैं कि वेग हैं, आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें; तो मैं राजस्थान में एक पटवारी मरा हुआ भी जिन्दा हो गया उसका उदाहरण दूंगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह आपके इलाके में ही हो सकता है।

श्री छत्तरसिंह : यह आहोर तहसील की बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अच्छा तरीका है, अगर मरा हुआ जिन्दा होने लगा तो····

श्री छत्तरसिंह : सरदारसिंह एक पटवारी है। उसकी मृत्यु उसके ट्रेनिंग काल में ही हो चुकी थी; तो दूसरे सरदारसिंह टपक पडे और उन्होंने नौकरी करली और दो साल नौकरी करते हो गये, नेताओं के साथ उन्होंने जान–पहिचान की। जब पोल खुलने की आशंका हुई तो नेता लोग कलेक्टर के पास पहुंचे कि इसकी इन्क्वायरी मत कराइये। वहां पर बाप का नाम अलग हो सकता है और जाति अलग हो सकती है तो इन्टर कास्ट मेरेज तो होती है लेकिन इन्टरकास्ट एडॉप्शन भी वहां हुआ और पटवारी को वहां पर ही पर्मीशन दे दी गई, जब कि वह व्यक्ति नहीं है। मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल फैक्ट है, यह बात आपके एक ऑफिसर, जो कि आई. ए. एस. हैं उनके द्वारा की गई है, जो कि आपके राज्य में एक बहुत बड़े अफसर हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह वैद्यजी कौन से हैं जिन्होंने जिन्दा कर दिया ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उधर बैठनेवाले सारे ही वैद्य हैं।

श्री छत्तरसिंह : तीसरी बात इरिगेशन प्रोब्लम पर है। जवाई में पानी कम हुआ तो अब की बार यह तय किया गया था कि जवाई से काश्तकारों को प्रोपोर्शनेटली कम पानी दिया जायगा, लेकिन ७ बीघे से किसी को पानी कम नहीं दिया जायगा और जो बड़े रकबेवाले हैं उनको एक-तिहाई पानी दिया जायगा, सात दिन तक फलां नहर चलेगी और सात दिन तक फलां नहर। वहां पर ७ बीघावालों को सिर्फ तीन पानी मिला, जब कि ५०-६० बीघावालों को ४-५ पानी मिल गया। इसका कारण यह है कि जवाई के इलाके में बड़े बड़े अफसर व इन्जीनियरों के फार्म्स हैं। वे अपने फार्मों को सुरक्षित रखने के लिये गरीबों का गला काट सकते हैं। इसकी जांच करवाने की व्यवस्था करें ताकि गरीबों का भला हो सके।

राज्यपाल महोदय ने सरकारी अधिकारियों की उम्र ५५ से ५८ तक बढ़ाई। यह

(श्री छत्तरसिंह)
अच्छी बात है, लेकिन ये क्वालिफाइंग वर्ड्स "If found fit" नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे Government Servants पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आप उनको अपनी मर्जी के मुताबिक घुमायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : (गृह-मंत्री) अभी भी घूमते हैं।

श्री छत्तरसिंह : अभी तक का सवाल नहीं है।

इसी प्रकार से एक जगह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वहां पर आदमी नहीं हैं। उसके कोई सक्रिय सदस्य नहीं हैं और लाखों रुपयों का कर्जा सोसाइटी पर है। इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : Point of information, Sir, what is the name of that Society ?

श्री छत्तरसिंह : You know it very well.

श्री भगराज चौधरी : I don't know, Sir. कृपया नाम बतायें ताकि उस पर उचित कार्यवाही की जा सके।

श्री छत्तरसिंह : चांदराई की एक कमेटी है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था। उसका जवाब भी मिनिस्टर साहब ने दिया था, लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ।

इसके बाद इन्डस्ट्री का लोन भी उन्हीं आदमियों को दिया जाता है जो उसको इन्डस्ट्री खोलने के काम में नहीं लाते हैं और वे काम में लाते हैं शादी और विवाह में। इसके लिए पिछले सत्र में ...

श्री मथुरादास माथुर : वह भी एक इन्डस्ट्री है।

श्री छत्तरसिंह : अगर आप उसको उस डेफिनिशन में ला दें तो I will have no cause for complaint.

पिछले सत्र में कहा गया था कि वसूल हो जायगा, लेकिन वह आज तक वसूल नहीं हुआ है, जब कि गरीब काश्तकारों को तंग कर करके वापिस रिकवर किया जा सकता है और दूसरे काम में लानेवालों के साथ में रियायत बरती जाती है। मेरा सुझाव है कि हमारे सामने बैठनेवाले मेम्बर्स खास तौर से मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इन सब बातों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : (अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस पर माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। हमारे विरोधी पक्ष के अधिकांश सदस्यों को इनके अभिभाषण में कोई भी बात अच्छी नहीं लगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपको भी नहीं।

श्री भीमसेन : लेकिन कम से कम जो कुछ बात सही हो उसको सही कहना चाहिए।

(श्री भीमसेन)

में केवल इस बात को लेकर इस पक्ष में यह बात कहूंगा कि कोई बात खराब ही है, यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये।

हमारी तीसरी योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार का खासतौर से ख्याल यह होना चाहिये कि हमारे राज्य में औद्योगिक विकास हो, उसमें प्रत्येक जिले का या प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो, इस ख्याल से ध्यान रखा जाना चाहिये। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो सूची प्रस्तुत की गई है, जो नये लाइसेन्स दिये गये हैं या जो कोई इन्डस्ट्री शुरू की गई है, उससे यह बात जाहिर नहीं होती है कि इस बात का ख्याल रखा गया है। अधिकांश में जो इन्डस्ट्रीज शुरू की जा रही हैं वे या तो कोटा में, या उदयपुर में या भीलवाड़ा में या जयपुर में की जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर जिला है वह उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, हालांकि उस जिले के अन्दर ऐसे खनिज पदार्थ हैं और ऐसी सुविधाएं हैं जिनका यदि विकास किया जाय तो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट मिल सकता है और वहां औद्योगिक विकास हो सकता है। खास तौर से राज्य सरकार की ओर से जो पलाना माइन है उसके बारे में प्रथम योजना में सरकार का यह दृष्टिकोण था कि इस माइन को ओपन कास्टिग से ऑपरेट करें।

(४.३८ म० प०)
(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन तीसरी योजना के शुरू में धीरे धीरे काम शुरू किया जा रहा है। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उन्होंने इस बात का संकेत किया है कि इस पलाना खान का विकास होने से कई तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं। यहां डिज़ल ऑयल मेन्यूफेक्चर किया जा सकता है, यहां ब्रिकिंग प्लान्ट लगाया जा सकता है। इसी तरह की दूसरी इन्डस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। यहां थर्मल पवॅर लगाया जा सकता है, जिसमें कई हजार किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन राज्य सरकार यह कह सकती है कि इस खान के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता है, उस पानी की वहां कमी है तो माननीय उपाध्यक्ष, अगर किसी चीज की कमी है तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि उस कमी को दूर करे और इसके लिये राज्य सरकार राजस्थान नहर से मदवारा स्टेशन के पास से बीकानेर शहर और पलाना तक रेल्वे लाइन के सहारे पानी लेकर इस कमी को दूर कर सकती है और इस तरह से पानी लायेंगे तो लूणकरणसर के क्षेत्र में जो खारे पानी के गांव हैं उनको पीने का पानी मिलेगा और साथ ही साथ बीकानेर शहर और पलाना का विकास होगा।

फर्टीलाइज़र फैक्ट्री के बारे में यह शिकायत रही कि यह प्लान्ट बीकानेर शहर में लगाया जा सकता है, क्योंकि बीकानेर शहर के पास में जिप्सम काफी तादाद में मिलता है। बीकानेर शहर के पास केवल १३ मील दूर कोयला मिलता है और फर्टीलाइज़र प्लान्ट के लिए जो रॉ मेटीरियल की आवश्यकता है वह बीकानेर के पास मौजूद है, केवल चूंकि पानी की कमी है, अन्यथा यह जो प्लान्ट लगाया जाता तो वर्ल्ड में चिपेस्ट

(श्री भीमसेन)

फर्टीलाइज़र प्रोड्यूस किया जा सकता था, लेकिन बीकानेर के अन्दर इन्डस्ट्री लगायी जाती। लेकिन पानी की कमी है इसलिये फर्टीलाइज़र प्लान्ट जो है वह हनुमानगढ़ में लगाने का तय किया गया है। तो राज्य सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि केवल सिद्धांत रूप में ही इस बात को न रखें कि रीजनल प्लान्स पर डेवलपमेंट ग्रॉफ इन्डस्ट्रीज़ करना है, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहिये।

जो बीकानेर शहर में ऊन और कांच के कारखाने हैं वहां प्लान किये जा सकते हैं। वहां पलाना के अन्दर एक कम्पनी सल्फर का प्लान्ट लगाने को तैयार है। राज्य सरकार को प्रोत्साहन देकर भारत सरकार से लाइसेन्स दिलाना चाहिए।

इसके साथ साथ हमारे लूणकरणसर में नमक उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता है। वहां पर बीकानेर स्टेट के टाइम में करीब १ लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता था। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहां के लोग नमक उत्पादन के लिये प्लॉट लेना चाहते हैं, नमक पैदा करना चाहते हैं। यदि राज्य सरकार उनको कुछ इनीशियेटिव और प्रोत्साहन दे तो लाखों मन नमक पैदा किया जा सकता है और लोगों को रोजी मिल सकती है। राज्य की इस प्रकार की नीति है कि प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग कायम किये जायं और बेलेन्स कायम किया जाय। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारे यहां के तीनों जिलों का विकास हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय ने कृषि उत्पादन और अन्न उत्पादन के लिये राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति है, उस का ध्यान दिलाया। काम्युनिटी या सामुदायिक विकास योजना है, उसका बजट है उसके बारे में कहा कि स्टाफ और अन्य कार्यों पर जो खर्चा होता है उसमें कमी करके उसको कृषि, सिंचाई और पशु-पालन पर खर्च करेंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। यह सराहनीय बात है। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से जो राजस्थान एग्रीकल्चर डेयरी दी गई है उसमें आंकड़े दिये गये हैं उसकी ओर संकेत करें तो पर केपिटा एकड़ फसल की उपज है उसमें गिरावट आई है। बाजरा का प्रोड्यूस ५५-५६ में १९५ पौंड पर एकड़ था वह ६०-६१ में १४४ पौंड पर एकड़ ही रह गया। उसी तरह से व्हीट ५५-५६ में ८४५ पौंड पर एकड़ था वह ६०-६१ में ८४४ पौंड रह गया। इसी तरह से राइस का प्रोडक्शन ५५-५६ में १,१४० पौंड पर एकड़ था वह ६०-६१ में ५८८ पौन्ड ही रह गया। इसी तरह के आंकड़े दूसरी चीजों के बारे में हैं। वास्तव में प्रति एकड़ प्रोड्यूस में कमी होती जा रही है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

राज्य सरकार द्वारा पॉवर के बारे में जो कुछ किया गया है उसके बारे में अभिभाषण में कहा गया है कि बिजली का अधिक उत्पादन किया जा रहा है, यह अच्छी बात है। राज्य सरकार ने कृषकों को सस्ती रेट पर बिजली देने की घोषणा की है, वह भी बहुत सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस बात को माना है अपने भाषण में कि

Page No 104

(श्री भीमसेन)
लॉ एण्ड ऑर्डर, डकैत समस्या पर सरकार काबू नहीं कर पाई है। यह खास तौर से बोर्डर एरिया, बीकानेर, बाडमेर, जैसलमेर और उधर धौलपुर क्षेत्र में है। यह गंभीर समस्या है। अभी बीकानेर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था। तथ्य का जहां तक सवाल है सही नहीं थे, लेकिन जहां तक भावनाओं का सवाल है वह ठीक है। डकैत पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यह सही है। जैसा उन्होंने उदाहरण दिया बाघसिंह सरपंच नहीं था, पहलेवाले को हटा कर बाघसिंह को सरपंच बनाने आया। मौजूदा सरपंच को धमकी दी कि तुमको इस्तीफा देना पडेगा। १५ तारीख को उसने इस्तीफा दे दिया। यह सबूत है कि किस तरह से वे पार्टिसिपेट करते हैं ....

एक माननीय सदस्य : क्या नाम था उसका ?

श्री भीमसेन : हरिसिंह, उप-सरपंच ने इस्तीफा पेश किया। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके के हर गांव में पुलिस की व्यवस्था नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम सरकार इस बात की तो व्यवस्था कर सकती है कि वहां के जो लोग आर्म्स लेना चाहें उनको ठीक ढंग से तो आर्म्स दे। मैंने मेरे क्षेत्र में उन लोगों को इसके लिये तैयार किया। उन्होंने आर्म्स देने के लिये दर्ख्वास्तें दीं। लेकिनयह कहना कि आर्म्स चलाना नहीं जानते, इसलिये लाइसेन्स नहीं दिये जायं, उचित नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि लोग आर्म्स चलाना नहीं जानते हैं तो उनके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय। आर्म्स लेकर वे १० दिनों में ट्रेनिंग ले लें इस तरह की व्यवस्था करने से वे अपने आप अपनी रक्षा कर सकेंगे। वहां के लोग आपकी पुलिस के भरोसे रहना नहीं चाहते। अभी दो महीनों में राज्य सरकार ने हालांकि बहुत से नाकाबिल अफसरों को बदला है, उनके स्थान पर अच्छे लगाये हैं, स्थान स्थान पर टुकडियां लगाई हैं, कदम उठाये हैं, सरगर्मी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी डकैत इतने सतर्क हैं कि रातो रात डकैतियां करते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि उदार नीति से लोगों को आर्म्स लाइसेन्स दे।

इसके साथ ही साथ में सरकार की भूमि नीति पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गंगानगर जिले का प्रश्न है, खास कर नहरी क्षेत्र; भाखरा, गंग कैनाल आदि के किसानों का जहां तक संबंध है, आज भी गंगानगर क्षेत्र में हजारों बीघा ऐसी जमीन है जो टेम्पोरेरी तौर पर ईयर टू ईयर सरकार देती है। इस तरह से वे किसान पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा कष्ट पाते जाय, क्योंकि जगह जगह पर उनकी इच्छा की पूर्त्ति किसानों को करनी होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं टेम्पोरेरी के स्थान पर स्थाई रूप से एलॉट कर दी जाय, ताकि किसान को हर साल दर्ख्वास्त देने, गर्ज करने या उनकी इच्छा की पूर्त्ति नहीं करनी पडे और ऐसा करने से उनका पिण्ड छूट जाय और किसान शान्ति से उत्पादन बढ़ाने के काम में लगें।

इसके साथ ही साथ राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकार ने भूमि देना बिल्कुल बन्द कर रखा है। चार-पांच वर्षों से एक इंच भूमि भी काश्तकारों को नहीं दी गई है। इसके बावजूद

(श्री भीमसेन)

भी सरकार ने भूमि एलाट करने के लिये राजस्थान केनाल एरिया के लिये स्टाफ रख छोड़ा है। यह फिजूल खर्चा क्यों हो रहा है? मुझे इस बात की शिकायत है। सरकार एक तरफ कहती है कि फिजूल खर्चा बन्द करना चाहते हैं और दूसरी ओर हजारों रुपये स्टाफ पर खर्च किये जा रहे हैं, जबकि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भूमि काश्तकारों को आरजी तौर पर एलाट क्यों नहीं करना चाहते? सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिये। सरकार कह सकती है, राजस्थान केनाल में जमीन देने के नियम नहीं बनाये। नियम नहीं बनाये लेकिन कन्डीशन्स हैं कालोनाइजेशन के रूल ८ की तहत दे दें ताकि किसान पैदावार बढ़ा सके, उत्पादन बढ़ सके। इस तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में सरकार की मंशा के विरुद्ध कॉलोनाइजेशन कमिश्नर ने लूणकरणसर, कोलायत और बीकानेर के लिये ऐसे आदेश जारी किये हैं कि लिफ्ट एरिया में आरजी तौर पर जमीन देना रेवेन्यू तहसीलदार बंद कर दें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के किसानों की इकोनोमिक कन्डीशन का ध्यान रखें। वे लोग आधे भूखे हैं। उनको दरख्वास्त देकर पटवारियों आदि की गरज करनी पड़ती है लेकिन अब तो बिल्कुल ही जमीन देना बन्द कर दिया है। हजारों, लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। किसानों को जमीन नहीं मिलेगी और सरकार भी आमदनी से महरूम रह जावेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि सन् ६१ में जो आदेश जारी किया था कि लिफ्ट एरिया में आरजी तौर पर एलॉटमेन्ट किया जायगा वह ५ साल के बाद अब कमिश्नर, कोलोनाइजेशन ने १३ तारीख को आदेश देकर बन्द क्यों कर दिया? उसके अनुसार कोई आरजी एलॉटमेन्ट रेवेन्यू तहसीलदार नहीं करे। यह आदेश किस तरह दिया, यह सरकार के देखने की बात है। यदि यह जारी रहा तो किसानों को तकलीफ होगी। इसलिये सरकार का लिफ्ट एरिया के लिये जो पुराना आदेश है उसके मुताबिक कार्य किया जाय।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र में हमारे बीकानेर, जैसलमेर, इन इलाकों में आरजी तौर पर काश्त करते हैं किसान, उनसे सरकार चार आना फी बीघा मालिकाना लैण्ड रेवेन्यू के अलावा वसूल करती है। वहां पर जो रेट है वह कम से कम दो आना, दो पैसा फी बीघा है। वहां केवल नहर कागजों में आने से पैदावार नहीं बढ़ी है। तो ऐसी हालत में चार आना फी बीघा वहां के काश्तकार कहां से दे पायेंगे, यह सरकार के सोचने की बात है। जब कि वहां लैण्ड रेवेन्यू दो आना, दो पैसा, एक पैसा फी बीघा है तो चार आना फी बीघा वे कहां से देंगे, यह सोचने की बात है। मेरा निवेदन है कि जब तक वहां पानी न पहुंच जाय तब तक मालिकाना का टैक्स लगा रखा है उसकी वसूली स्थगित कर दें।

इसके साथ राजस्थान नहर में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ है, जिसके तहत खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये, उसके सम्बन्ध में २७ जुलाई, १९६२ को राजस्थान

(श्री भीमसेन)

की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में १९५७ में अमेन्डमेन्ट किया था कि राजस्थान नहर के काश्तकारों को खातेदारी नहीं देंगे, यह क्लॉज़ १५ में अमेन्डमेन्ट किया था, इसे राजस्थान हाई कोर्ट ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मुताबिक पुराने काश्तकार, जो सन् १९५५ से पहले के काश्तकार हैं, को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ के मुताबिक खातेदारी के अधिकार दें।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ आपके माइन्स डिपार्टमेन्ट, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट या दूसरे विभागों का लोगों के पास काफी रुपया बकाया रहता है। लेकिन अगर किसान के अन्दर एक पैसा, दो-चार रुपया बकाया रहता है तो सरकार उससे एक आना फी रुपया ब्याज का लेती है, यह सोचने की बात है। हमारी कोलायत तहसील के नायब तहसीलदार ने, अगर किसी किसान में दस नये पैसे, पांच नये पैसे भी बकाया थे तो कुर्की जारी की और उसके घर का सामान नीलाम कर दिया, यह सोचने की बात है। इस डेमोक्रेसी में एक तरफ लाखों रुपया बकाया है और उस पर ब्याज वसूल नहीं किया जाता, लेकिन किसान में एक पैसा भी बकाया हो तो उसकी बुरी हालत होती है। यह सरकार के दृष्टिकोण की बात है और इसमें सुधार होना चाहिये।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गोल्ड कन्ट्रोल हुआ है, आज बीकानेर में हजारों परिवार हैं, जो गोल्ड कन्ट्रोल से प्रभावित हुए हैं और जिनके पास खाने-पीने का कोई साधन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर का जो रेल्वे का वर्क शॉप है, उसका एक्सपेन्शन रेल्वे मिनिस्ट्री से बातचीत करके कराले, जिससे उन परिवारों को रोजी दिलवाई जा सके, क्योंकि उनके सामने रोटी की समस्या है, सुबह-शाम उनको रोटी मिलना आवश्यक है। इसलिये इस तरह की व्यवस्था सरकार करेगी तो काफी लोगों को एम्लॉयमेन्ट मिल जायगा और उन्हें रिलीफ मिल जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पांच सौ पलाना के मजदूर वहां बैठे हैं।

श्री भीमसेन : इसके बाद मैं फारेस्ट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर में फॉरेस्ट एरिया में जो जोड़बीड़ की जमीन है वहां सरकार ने चराई की रेट गाय, भेड़, ऊंट के लिये काफी बढ़ा दी है। एक ऊंट का दस रुपया रखा है, भेड़ पर सवा रुपया रखा है। इसके बाद सरकार ने आदेश निकाला है कि चार महीने इस जंगल में कोई नहीं चरा सकेगा। अभी सरकार ने वहां के लोगों की मांग पर बारह महीने तक के लिये खोल दिया है, लेकिन रेट सवा रुपये की जगह १.१४ ले रहे हैं। यह सरकार के सोचने की बात है। यह रेट ऐसी है जिससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लोग कम चराई के लिए लायेंगे और दूसरी तरफ चोरी होगी। इसमें सोचने की बात है · · ·

श्री भीखाभाई : सवा रुपये से ज्यादा न लेने पर, क्या आपका मतलब है कि चराई

(श्री भीखाभाई)
देने में चोरियां नहीं होती हैं ? १.१४ आना लेने से क्या फर्क है ?

श्री भीम सेन : यह होगा कि फारेस्ट वाले कमायेंगे और आपको नुकसान होगा। चोरी होगी उससे।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : कांग्रेसी कहें तो समझ लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपने बन्धु की बात तो मान लें।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ के पास फारेस्ट एरिया था। वहां अच्छे से अच्छे पेड़ थे, हजारों-लाखों की कीमत के पेड़ थे। वह जमीन सरकार ने जागीरदारों को अलॉट कर दी है और जितनी जमीन थी उसमें पेड़ काट दिये हैं। इसमें से हजारों रुपये के पेड़ काट काट कर बेच दिये। और जंगल बर्बाद हुआ क्योंकि जमीन अलाट हुई है, अब सरकार ने क्या किया है, वहां हनुमानगढ़ के पास आठ हजार एकड़ जमीन, इरिगेटेड जमीन फारेस्ट के लिए रिजर्व रखी है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो नहरी इलाका है, वहां जो इतनी कीमती जमीन है, जो कृषि उत्पादन और अन्न उत्पादन के लिए काम में लाई जा सकती है, वह ऐसी जमीन है जिसे अगर सरकार बेचे, जैसे सरकार नीलाम करके बेच रही है तो एक करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। तो उस एरिया के अन्दर हरियाली है, उसको आज फारेस्ट के लिए रिजर्व रख रहे हैं उसके बजाय, नहर के दोनों इलाकों की तरफ जो वेस्ट लैण्ड है, जो किसी काम में नहीं आ सकती है, ऐसी जगह फारेस्ट के लिए रखें। इसलिए जो आठ हजार एकड़ में फारेस्ट लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार उस पर ठंडे दिल से सोचे कि उसमें अन्न उत्पादन करने और उसमें फारेस्ट लगाने--इन दोनों में कौनसा अच्छा काम हो सकता है। यह सरकार के सोचने की बात है। मेरी दृष्टि में, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह जमीन बेची जाय तो सरकार को एक करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है और आपको फारेस्ट लगाना है तो रेगिस्तान इलाके में लगायें, ऐसी जमीन में लगायें जो खेती के काम में नहीं आ सकती। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा की है कि प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवक रख देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्राम सेवक का सवाल है, सरकार का यह कदम सराहनीय है। ग्राम सेवक की व्यवस्था होने से पंचायत का काम करने के लिये सेक्रेटरी मिल जायगा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सेक्रेटरी मिल जायगा लेकिन इससे सरकार पर कितना अधिक बोझ आयगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देहाती क्षेत्रों का जिस तरह आर्थिक विकास होता जाय उस तरह ग्राम सेवक दें। अभी पंचायत बनाई हैं, वे एक हजार, डेढ़ हजार की आबादी पर बनाई हैं। यह लक्ष्य हो सकता है कि एक एक गांव में पंचायत हो। यह लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन देहाती व्यवस्था जब तक विकसित नहीं होती है तब तक के लिये हम कम से कम डेढ़ हजार, दो हजार, तीन हजार की आबादी पर पंचायत बना दें, जिससे ग्राम सेवकों की संख्या कम हो जायगी और सरकार का खर्चा भी कम होगा और धीरे धीरे, जैसा हमार

(श्री भीमसेन)

उद्देश्य है, जिस तरह गांव की आर्थिक अवस्था ठीक होती जाय, उस तरह छोटी पंचायत बनाते जायं। इसके साथ अभी बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जो थोड़े में काम चला सकती हैं या बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जहां काम करने के लिये कुछ नहीं है। ऐसी जगह अगर ग्राम सेवक रख दिया तो ऐसे ड़ेजर्ट एरिया में क्या करेगा? वह बेकार बैठा रहेगा, कोई काम नहीं होगा सिवाय इसके कि कागजों में प्रपोज़ल्स बना कर भेज देगा। इसके सिवाय कोई काम नहीं। मेरा निवेदन है कि जिन पंचायतों के पास काम कम है, वहां ग्राम सेवक देने के बजाय आप उन्हें सब्सिडी दे दीजिये जिससे वे सेक्रेटरी रख सकें और काम चला सकें। इससे खर्च कम होगा, वर्ना ग्राम सेवक रखेंगे तो वह लोगों को लड़ायेगा, क्योंकि बेकार बैठा हुआ आदमी और क्या करेगा.....

श्री सतीशकुमार शर्मा : कॉंग्रेसी बन जायगा।

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, Sir, time is over, I think.

श्री उपाध्यक्ष : There are still two minutes.

श्री भीमसेन : राज्यपाल महोदय ने बाढ़ के बारे में जिक्र किया, घग्घर बाढ़ के बारे में। इस बाढ़ से पिछले दो-तीन वर्ष से तबाही होती रही है। सरकार को इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिये। जो स्कीम सरकार के सामने विचाराधीन है, पांच, छः करोड़ रुपये की है, उसे जल्दी मंजूरी देकर काम किया जाना चाहिये, जिससे हजारों किसान परेशानी से मुक्त हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : Order please

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं अपना भाषण शुरू कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है, इसलिये सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बजे, शुक्रवार दिनांक २९ फरवरी, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २८ फरवरी, १९६३)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२३५
श्री जगदीशजी का ध्वज, अलवर।	
राज्य सम्पत्ति में वृद्धि।	
मार्केटिंग सोसाइटी, पदमपुर के तोल।	
अलवर जिले के अध्यापक।	
रोयल्टी की वसूली।	
के. डी. जैन हायर सेकन्ड्री स्कूल, मदनगंज।	
ग्राम पंचायत अलीगढ़, जिला टौंक द्वारा बनवाया गया भवन।	
एक्सटेन्शन आफिसरों का स्थानान्तरण।	
बीकानेर सिनेमा गृहों में मनोरंजन कर की चोरी।	
घासोली तहसील किशनगढ़ (अलवर) के हरिजनों के मकानों के लिए जमीन।	
जालोर तथा बाड़मेर के अभाव-ग्रस्त गांव।	
सेलस टैक्स की अदायगी।	
बगैर जमीन रहन कराये कर्जा व तकावी सम्बन्धी आदेश।	
अलवर जिले में गोचर भूमि का डिमार्केशन।	
देवस्थान विभाग, बीकानेर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी।	
बानसूर पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव की तिथि।	
सेलस टैक्स की अदायगी।	
रायसिंहनगर में कापड़ियों के परिवारों को भूमि का आवंटन।	
तहसील सांचोर की सहकारी समितियों को ऋण।	
टौंक में अनुसूचित जाति के अध्यापकों की नियुक्ति।	
उपरमाल बिजौलिया में लागबाग बेगार आन्दोलन।	
स्थगन-प्रस्ताव	२८९
स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण स्वर्णकार मजदूर बेकार हो जाने तथा उन्हें अविलम्ब राहत पहुंचाने से संबंधित श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।	
कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर विचार	२९०

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। तत्पश्चात् श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अ तेर वाद-विवाद २९१

श्री बृजसुन्दर शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा :—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) श्री हरदत्त सिंह
(२) श्री केदारनाथ | संशोधन
(३) श्री सतीश कुमार |
(४) श्री नत्थी सिंह (१२५) | प्रस्तुत किया।
(५) श्री मानसिंह महार |
(६) श्री मथुरेशबिहारी माथुर
(७) श्री रामानन्द अग्रवाल | संशोधन प्रस्तुत किया।
(८) श्री मोतीलाल चौधरी |
(९) श्री मुरलीधर व्यास
(१०) श्री छत्रसिंह
(११) श्री भीमसेन

सदन की बैठक ठीक ५ **बजे** **शुक्रवार**, दिनांक १ मार्च, १९६३ को प्रातः ११.०० **बजे** तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३ को

कार्य-सूची

भूतपूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय डा. राजेन्द्रप्रसाद के प्रति श्रद्धाञ्जलियां।

उपरोक्त सदस्यों ने अपने संशोधन भी प्रस्तुत किये।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर देखिये)

पाली जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में नियुक्त प्रसार अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम व पद	पंचायत समिति	होम डिस्ट्रिक्ट में होने की तिथि	सेवा काल में होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहने की तिथि	विशेष विवरण
१.	श्री पुखराज, शिक्षा प्रसार अधिकारी	पाली	८-९-५९	—	नियुक्ति से ही इस जिले में हैं।
२.	श्री डूंगरसिंह, सहकारी प्रसार अधिकारी	,,	३०-३-६०	१२-२-५९ से २९-३-६० तक जिला जालोर में	
३.	श्री सांकलचन्द, सहायक निरीक्षक, सहकारी समितियां	,,	२३-९-६०	—	नियुक्ति से ही इस जिले में हैं।
४.	श्री हरिसिंह, शिक्षा प्रसार अधिकारी	सोजत	१३-२-६०	सितम्बर, १९५९ से फरवरी, १९६०	,, ,,
५.	श्री कल्याणसिंह, ओवरसियर	,,	२५-९-६१	—	,, ,,
६.	श्री कुन्नाराम, स. सहकारी प्रसार अधिकारी	जैतारण	२-१०-५९	—	,, ,,
७.	श्री बाबूसिंह, स. सहकारी प्रसार अधिकारी	,,	१३-७-६२	—	,, ,,

१	२	३	४	५	६	७
८.	श्री रामचन्द्र, पशुपालन प्रसार अधिकारी	बाली	२०-१२-६२	—	नियुक्ति से ही इस	जिले में हैं।
९.	श्री पदमसिंह खाद निरीक्षक	रायपुर	१-९-६०	—	"	"
१०.	श्री भीकमचन्द, सहायक निरीक्षक, सहकारी समितियां	"	२५-४-६०	—	"	"
११.	श्री तिलोकचन्द, प्रशिक्षक चर्म रंगाई	"	५-२-६२	—		
१२.	श्री मदनसिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक	सुमेरपुर	१८-७-६२	सन् १९४९ से ३-८-५१ तक जोधपुर में व उसके बाद जयपुर में	"	"
१३.	श्री ओमप्रकाश, कृषि प्रसार अधिकारी	"	२६-११-६२			
१४.	श्री भंवरसिंह सांखला, स. स. प्रसार अधिकारी	रोहत	दिसम्बर, १९६२	१९५२ से १९६१ तक	"	"
१५.	श्री सोहनलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी	खारची	२-८-६२			
१६.	श्री देवीसिंह, सहकारी प्रसार अधिकारी	"	१५-१२-५९		"	"
१७.	श्री गिरधारीलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी	देसूरी	४-९-६२	—	"	"
१८.	श्री मोहनसिंह, कृषि प्रसार अधिकारी	"	५-८-६०	—	"	"
१९.	श्री मोहब्बतसिंह सहायक निरीक्षक सहकारी समितियां	"	२-१०-५९	—	"	"
२०.	श्री कृष्ण शर्मा	"	७-८-६२	—	"	"

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ९१ का उत्तर देखिये)

वर्ष	बुधीराम बद्रीप्रसाद, भरतपुर	राजस्थान इक्विपमेन्ट वर्क्स, भरतपुर	बाबूलाल रामेश्वर, दौस	विश्वम्भरप्रसाद रामनारायण, दौस
५५-५६ ..	.. ११५४।१५।९	—	—	३५१।११।६
५६-५७ ..	.. २१७०।१२।–	—	२१५।८।–	४७२।–।–
५७-५८ ..	.. ३२३९।३।६	६६७.६१	३०६.००	६०४.२८
५८-५९ ..	.. २३६०।१५।९	१८०६.८६	३९१.६५	२२८.००
५९-६० ..	.. ४९९९।१०।३	४००.५०	१४३२.००	२९७.४०
६०-६१ ..	.. ४१९७.०५	९०१.७५	८०६.००	१३३.३०
६१-६२ ..	.. ४६३०.३०	—	२००.००	९०.३२

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर देखिये)

जिला टोंक में नियुक्त किये उम्मीदवारों की माह जुलाई, ६२ से माह अक्टूबर, ६२ तक की सूची ।

चुनाव तिथि १	नाम उम्मीदवार २	पिता का नाम ३	जाति ४	विवरण ५
२८-६-६२	१. श्री ओमप्रकाश सारस्वत	श्री हरनाथ सिंह	स्वर्ण	
	२. श्री नसीरुद्दीन अहमद	श्री मोहीनुद्दीन	मुसलमान	
	३. श्री मोहम्मद उस्मान	श्री मो. अकबरअली	"	
	४. श्री इश्वरी प्रसाद	श्री मुरलीधर शर्मा	स्वर्ण	
	५. श्री से. सादिक अली	श्री सादतअली	मुसलमान	
	६. श्री जहूरल हक खां	श्री गुलाम अहमद	"	
	७. श्री प्रहलाद दास	श्री सोमिलाल	स्वर्ण	
	८. श्री गुलमोहम्मद	श्री बुद्धामियां	मुसलमान	
	९. श्री मोहनलाल नागर	श्री किशोरी लाल	स्वर्ण	
	१०. श्री आनन्दकुमार	श्री रामशरण दास	"	
	११. श्री श्यामप्रकाश	श्री बुद्धि प्रकाश	"	
	१२. श्री मथुरालाल रेगर	श्री प्रेमराय	शि. कास्ट (पिछडी)	
	१३. श्री गिरधरलाल मोदी	श्री नाथूलाल मोदी	स्वर्ण	
	१४. श्री रघुनन्दन लाल	श्री पी. आर. गुप्ता	"	
	१५. श्री सीताराम शर्मा	श्री सूरजनारायण	"	
	१६. श्री गजेन्द्रपाल सिंह	श्री दफेदारसिंह	"	
	१७. श्री अब्दुल हकीम	श्री मोलाबक्श	मुसलमान	
	१८. श्री अमरनाथ मार्गव	श्री किशनचन्द	स्वर्ण	
	१९. श्री नन्दसिंह गोगावत	श्री हरिसिंह	स्वर्ण	
	२०. श्री मो. कमरुजमा	श्री मो. शम्शुजामा	मुसलमान	
	२१. श्री हरिप्रसाद	श्री राधेमोहन	स्वर्ण	
	२२. श्री टीकमचन्द	श्री सुन्दरलाल	"	

२३. श्री देवीशंकर	श्री सरवनलाल	,,
२४. श्री बीरूराम	श्री हासाराम	,,
२५. श्री शिवदयाल पारीक	श्री कन्हैयालाल	,,
२६. श्री अब्दुलरशीद	श्री अ. मुजीब	मुसलमान
२७. श्री दयालदास	श्री टेकचन्द	स्वर्ण
२८. श्री मोहम्मद रशीद खां	श्री हामिदसैयद	मुसलमान
२९. श्री नारायणदास	श्री गोविन्ददास	स्वर्ण
३०. श्री लादूराम	श्री रामविलास	,,
३१. श्री रामसिंह	श्री हुकमसिंह	,,
३२. श्री अखलाक अहमद	श्री अशफक अहमद	मुसलमान
३३. श्री सै. मो. इलयास	श्री सै. मोज्जमअली	,,
३४. श्री इस्लाम अहमद	श्री रफीक अहमद	,,
३५. श्री सुबराती	श्री अब्दुल मजीद	,,
३६. श्री नारायण	श्री जगन्नाथ	स्वर्ण
३७. श्री हंसराज	श्री जगन्नाथ	,,
३८. श्री हरिनारायण	श्री कल्याणमल	,,
३९. श्री छुट्टनखां	श्री अब्दुलमुनीरखां	मुसलमान
४०. श्री भंवरलाल जैन	श्री कन्हैयालाल	स्वर्ण
४१. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	श्री नेमीचन्द	,,
४२. श्री मासूद अहमद	श्री मोहम्मद मियां	मुसलमान
४३. श्री विमेद चन्द	श्री बाल चन्द	स्वर्ण
४४. श्री गंगाराम खटीक	श्री किशनलाल	पिछड़ी जाति
४५. श्री रामप्रसाद	श्री कालूराम	स्वर्ण
४६. श्री बजरंगलाल	श्री रूपनारायण	,,
४७. श्री अलीअहमदखां	श्री अलीमोहम्मदखां	मुसलमान
४८. श्री प्रहलाद दास	श्री सुन्दरलाल	स्वर्ण
४९. श्री लादूलाल शर्मा	श्री श्रीबक्स	,,
५०. श्री घनश्याम	श्री आनन्दीलाल	पिछड़ी जाति

१	२	३	४	५
	५१. श्री मनोहरलाल वर्मा	श्री मोहनलाल वर्मा	स्वर्ण	
	५२. श्री रामरतन शर्मा	श्री [illegible] प्रसाद	,,	
	५३. श्री इकबाल मोहम्मद	श्री निजाम मोहम्मद	मुसलमान	
	५४. श्री इरशाद अली बख्शी	श्री सै. मासूम अली	,,	
	५५. श्री दुर्गाशंकर	श्री रामगोपाल	स्वर्ण	
	५६. श्री रामनारायण बैरवा	श्री कन्हैयालाल बैरवा	पिछड़ी जाति	
	५७. श्री कंवरलाल	श्री धन्नाराम	,,	
	५८. श्री प्रेमनारायण	श्री गोपाराम	स्वर्ण	
	५९. श्री नन्दकिशोर	श्री रामगोपाल	,,	
	६०. श्री मुरतजाखां	श्री हुसैनखां	मुसलमान	
	६१. श्री चौथमल	श्री धनराज	पिछड़ी जाति	
	६२. श्री रूपनारायण	श्री रामनारायण	स्वर्ण	
	६३. श्री कन्हैयालाल पारीक	श्री मोतीलाल पारीक	,,	
	६४. श्री हनुमानप्रसाद	श्री रूपमोहन	पिछड़ी जाति	
	६५. श्री गणपतप्रसाद	श्री रामधन	,,	
	६६. श्री रामचन्द्रदास	श्री कल्याणप्रसाद	स्वर्ण	
२१-८-६२	६७. श्री माणकचन्द जैन	श्री कल्याणमल	,,	
	६८. श्री दत्तदेव पी. कछवानी	श्री फौजमल	,,	
	६९. श्री महावीर प्रसाद जैन	श्री रामगोपाल जैन	,,	
	७०. श्री राजेन्द्रनाथ शर्मा	श्री कल्याणमल	,,	
	७१. श्री सत्यनारायण	श्री रामकरण	स्वर्ण	
	७२. श्री ताराचन्द जैन	श्री कपूरचन्द जैन	,,	
	७३. श्री लक्ष्मीमोहन शर्मा	श्री लक्ष्मीनारायण	,,	
	७४. श्री बाबूलाल जोशी	श्री शिवनारायण	,,	

७५. श्री जुगलकिशोर सेठी	श्री रामगोपाल	"
७६. श्री चन्द्रशेखर	श्री रामकिशोर	"
७७. श्री रामनारायण	श्री मांगी लाल	पिछड़ी जाति
७८. श्री मोहनलाल जैन	श्री रघुलाल जैन	स्वर्ण
७९. श्री जयप्रसाद	श्री प्रहलाद	"
८०. श्री रामरतन मिश्र	श्री कालूराम	"
८१. श्री रामविलास शर्मा	श्री भैरोंलाल	"
८२. श्री सांवरलाल पारीक	श्री भंवरलाल पारीक	"
८३. श्री रंगलाल	श्री शिवकरण	"
८४. श्री मुरारिलाल पारीक	श्री रामनिवास	"
८५. श्री सुगन चन्द्र	श्री माधोलाल	"
८६. श्री गोविन्दनारायण	श्री मूरालाल शर्मा	"
८७. श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता	श्री भैरोलाल	"
८८. श्री महावीरप्रसाद जैन	श्री चिरंजीलाल	"
८९. श्री रामराय शर्मा	श्री गोविन्दनारायण	"
९०. श्री कादिर मोहम्मद	श्री अब्दुल मजीद खां	मुसलमान
९१. श्री सै. मोहम्मद अली	श्री सं. जैनुलाबुद्दीन	"
९२. श्री रमेशचन्द्र शर्मा	श्री लक्ष्मीशंकर	स्वर्ण
९३. श्री गोरधनसिंह	श्री बैरीसालसिंह	"
९४. श्री रामेश्वरलाल	श्री कल्याणमल	"
९५. श्री श्रीराम पारीक	श्री गंगाराम पारीक	"
९६. श्री इकबालअली	श्री अहमदअली	मुसलमान
९७. श्री हनुमानप्रसाद शर्मा	श्री दुर्गा लाल शर्मा	स्वर्ण
९८. श्री हरिमोहन पाठक	श्री सीताराम	"
९९. श्री शमशेर सिंह	श्री भंवरसिंह	"
१००. श्री प्रेमचन्द जैन	श्री बिरधीचन्द जैन	"

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तरों की सूची)

प्रश्न

जयपुर में राजस्व मंडल की सर्किट बैंच की नियुक्ति

५६. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर) :

Will the Revenue Minister please state:—

Does the Government intend to appoint Revenue Board Circuit Bench in Jaipur City for the contiguous districts; namely, Sikar, Jhunjhunu, Alwar, Bharatpur, Tonk, Sawai Madhopur and Jaipur, instead of its sitting in its headquarters only, has been done in the case of other important big cities like Jodhpur, Kota, Bikaner and Udaipur in Rajasthan so as to provide facilities for the poor litigating public of these districts in getting quick and cheap redress ?

उत्तर

There is no circuit Bench of the Board of Revenue at Jodhpur, Bikaner, Kota and Udaipur as indicated in the question The Government have no intention of establishing a bench of Rajasthan Board of Revenue at Jaipur.

प्रश्न

बिजली कर से मुक्त उद्योग

५७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के कौन कौन से उद्योगों को बिजली कर से मुक्ति दी गई है तथा उसके क्या आधार हैं ?

उत्तर

(a) Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962) की धारा ३ के Proviso (3) के अनुसार No. F 9(2)E & T/62-I दिनांक २६ मार्च, १९६२ के द्वारा निम्नलिखित उद्योगों को बिजली कर से मुक्त किया गया है :—,

(१) बिजली जो किसी भी कारखाने में सामान की तैयारी, उपज (Processing) या मरम्मत में खर्च होगी ।

(२) बिजली जो उन खनिज-उद्योगों में जिनका जिक्र (Indian Mines Act, 1923) में किया गया है, खर्च होगी ।

किन्तु बिजली-कर-मुक्ति की यह शर्त उस बिजली खर्च के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो व्यापारिक या रिहायशी मतलब के लिये किन्हीं मकानात में खर्च की जायगी ।

(b) विद्युत्-शक्ति उद्योगों की उन्नति का आधार है । इसकी कीमत कम रखने से उद्योग-पतियों को यहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन व आकर्षण प्राप्त होगा । विद्युत-कर इसीलिये उद्योगों द्वारा खपत की गई विद्युत् शक्ति पर नहीं लगाया गया है ।

प्रश्न

तहसील निम्बाहेड़ा व भदेसर की पत्थर की खदानों की लीज़ की दरें

५८. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील निम्बाहेड़ा व भदेसर की पत्थर की खदानों की लीज़ की रेट फिक्स करने के लिये क्लालिफिकेशन किया गया है ?

(२) अगर किया है, तो किस आधार पर ? अलग अलग खदानों की अलग अलग रेट बताई जावे व स्टोन की क्वालिटी खदान-वार बताई जाए ?

उत्तर

(१) जी हां ।

खदानों का क्लासिफिकेशन पत्थर की किस्म पर किया गया है :

(१) ए क्लास क्वेरीज़ ५०' २५'-२४)

(२) बी क्लास क्वेरीज़ ५०' २५'-१८)

(३) सी दलास क्वेरीज़ ५०' २५'-१२)

(२) यह क्लासिफिकेशन खानों के पत्थर की क्वालिटी को मद्दे नजर रखते हुए किया गया है ।

प्रश्न

जिला गंगानगर व जिला चुरू की तहसीलों में बन्दोबस्त का कार्य

५९. श्री हरवंतसिंह (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् ६३ में जिला गंगानगर व जिला चुरू की किस किस तहसील में बन्दोबस्त का कार्य चालू है ?

(ख) क्या उपरोक्त तहसीलों में बन्दोबस्त के कार्य के साथ साथ कृषि भूमि का वर्गीकरण भी किया जा रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त जिन तहसीलों में बन्दोबस्त कार्य किया जा रहा है वहां भूमि के लगान की दरें भी बढ़ाई जा रही हैं ?

(घ) अगर हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(क) जिला गंगानगर की तहसील भादरा के ५७ ग्रामों में सर्वे व तरमीम का कार्य चालू है । जिला चुरू की तहसील राजगढ़ व तारानगर में सर्वे व तरमीम की कार्यवाही चालू है ।

(ख) तहसील राजगढ़ में चकतराशी का कार्य समाप्त हो चुका है, बाकी में सर्वे व तरमीम का कार्य समाप्त हो जाने के बाद चकत राशी का कार्य किया जावेगा ।

(ग) सम्पूर्ण कार्य समाप्त हो जाने पर लगान की दरें निकाली जावेंगी ।

(घ) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न

भारत-दर्शन यात्रा

६०. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विकेन्द्रीकरण की सफलता की दृष्टि से सरपंचों, ग्राम-सेवकों व किसानों को सरकारी खर्च पर भारत-दर्शन यात्राओं पर भेजा जाता है ?

(२) क्या इस दृष्टि से सरकार पंचायत सेवाओं के प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों का कोई महत्व नहीं समझती ?

(३) यदि समझती है तो इन प्राथमिक शिक्षकों को सरकार इन यात्राओं में सम्मिलित क्यों नहीं करती ?

(४) क्या सरकार शीघ्र ही प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को भी इन यात्राओं में सम्मिलित करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न

विदेशों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

११. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार द्वारा विदेशों में पढ़नेवाले कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है ? उनके नामों की सूची मय तादाद स्कॉलरशिप व उस स्थान के, जिस जगह वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उक्त सूची में कितने विद्यार्थी गजटेड अधिकारियों के पुत्र हैं ? उन गजटेड अधिकारियों के नामों की सूची भी सदन की मेज पर रखें ।

(३) उक्त विद्यार्थियों में कितने विज्ञान के विद्यार्थी हैं और कितने कला (Arts) के ?

(४) क्या वजीफा देते समय इन विद्यार्थियों के अध्ययन समाप्त कर लेने के बाद इनको राजस्थान राज्य के लिये उपयोगिता व राज्य सर्विसेज में लिये जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया और उस पर निर्णय होने के बाद ही वजीफा स्वीकार किया गया ?

(५) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार द्वारा विदेशों में पढ़नेवाले किसी भी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है । नामों और तादाद स्कॉलरशिप की सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(४) वजीफा नहीं दिया जाता है । फोरिन स्टेडी लोन की स्वीकृति करते समय इन विद्यार्थियों के अध्ययन समाप्त कर लेने के बाद इनको राज्य सर्विस में लिये जाने के लिए बोण्ड भरवाया जाता है और बोण्ड भरने के बाद ही पेमेन्ट किया जाता है ।

(५) जब स्कॉलरशिप दिया ही नहीं जाता तो नियम बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । सरकार इस संबंध में नियम बनाने का अभी कोई विचार नहीं रखती ।

प्रश्न

बांदीकुई माधोगंज मण्डी की सरकारी दूकानें

६२. श्री **मथुरेश बिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बांदीकुई माधोगंज मन्डी की सरकारी दूकानात को पुराने काबिज दूकानदारान को निर्धारित कीमत पर बेचने के लिये सरकार के सामने कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब से विचाराधीन है और निर्णय होने की कब तक सम्भावना है व देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। इसमें यथासम्भव शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

कई पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

बिजोलिया में भूमिहीन काश्तकारों को अलॉट की गई भूमि

६३. श्री **गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि तहसील मांडलगढ की उप-तहसील बिजोलिया में सन् ५८-५९, सन् ५९-६०, सन् ६०-६१ व सन् ६१-६२ में जिन भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई है वह अभी तक कई स्थानों पर वास्तविक अलॉट किये गये किसानों को नहीं मिल पायी है और न उनके खाते अंकित हुई है ? यदि नहीं, तो उक्त वर्षों में कितने किसानों को भूमि अलॉट की गई; संख्या बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

सन्	भूमिहीन काश्तकार जिनको भूमि अलोट हुई।	तादाद काश्तकार जिनके खाते में दर्ज होगई है	तादाद काश्तकार जिनके खाते में दर्ज होना शेष है
१	२	३	४
५८	२६५	२५३	१२
५९	..	..	..
६०	४८७	३६	४५१
६१	१०९	६२	४७
६२	१०१	१८	८३
	९६२	३६९	५९३

प्रश्न

सन् १९६१-६२ में अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता व राहत कार्य

६४. श्री **माणिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६१-६२ में किन किन जिलों से अभावग्रस्त स्थिति की सूचनायें सरकार को प्राप्त हुई ?

(२) अभावग्रस्त क्षेत्रों की कुल जनसंख्या कितनी थी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) अमावग्रस्त क्षेत्रों को जिलेवार जो सहायता दी गई, उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(४) वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से अभावग्रस्त स्थिति की सूचना आने पर भी राज्य सरकार ने सहायता या राहत नहीं पहुंचाई ?

उत्तर

(१) सन् ६१-६२ में खरीफ २०१८ की फसल के नष्ट होने से अभावग्रस्त स्थिति की सूचनाएं जिला टोंक, बीकानेर, जोधपुर, चुरु और नागोर से प्राप्त हुई थी।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(४) जिला टोंक में राहत कार्य चलाने की आवश्यकता नहीं होने के कारण उक्त जिले में राहत कार्य नहीं चलाए गए थे।

सूची

उन क्षेत्रों की (जिलेवार) जन-संख्या जहां से १९६१-६२ में खरीफ २०१८ के नष्ट होने से अभाव की स्थिति की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

परिशिष्ट

क्र. सं.	नाम जिला	संख्या तहसील	संख्या गांव	जन संख्या
१.	बीकानेर	३	१२८	४७२१७
२.	चूरू	२	२१	६८९१
३.	टोंक	२	२३५	१२६१६०
४.	जोधपुर	१	१२	१०५७२
५.	नागोर	१	१३	७६९०
		९	४०९	१९८५३०

सन् १९६१-६२ में अभावग्रस्त जिलों में जिलेवार की गई सहायता :—

क्र. सं.	नाम जिला	सहायता रकम
		रु०
१.	बीकानेर	३,८०,०००
२.	जोधपुर	१,११,०००
३.	चूरू	६७,५००
४.	नागौर	७५,३००
५.	टोंक	..
	टोटल	६,३३,८००

सन् १९६२-६३ में अभावग्रस्त जिलों में जिलेवार की गई सहायता :—

क्र० सं०	नाम जिला	सहायता रकम
		रु०
१.	बीकानेर	४,५४,०००.००
२.	जोधपुर	२२,२९३.३५
३.	चूरू	५४,०६०.५२
४.	नागौर	४७,७३०.३९
५.	टोंक	..
	टोटल	५,७८,०९२.२६